राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का १९वां दिवस [संख्या ११

बृहस्पतिवार, ९ मई, १९५७

——

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-१२ बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

——

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गम्भीर नदी द्वारा रूपवास तहसील में कृषि योग्य की जाने वाली भूमि

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :

(a) Is Government aware that the channel frm the River Gambheer innundates and makes every year 1000 acres of land of the villages of Chankora, Sukkurpur, Mertha, Ibrahimpur etc. in Rupbas tehsil uncultivable ?

(b) What steps does the Government contemplated to control the regular menace !

(c) Does the Government intend to construct a culvert near about village Chankora ?

(d) If so, when is the work expected to be undertaken and completed ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(a) It is not a fact that about 1000 acres of land is innundated and rendered uncultivable every year in this region. only during abnormal rains some area gets submerged as a result of uncontrollable floods in the Gambheer river.

(b) The matter is under examination. The Engineering Department would submit a report after necessary survey whether this meance can be avoided by some economic construction. They are also being instructed to provide a double shutter regulation on the Singhawali regulator to avoid leakage of water from the river side.

(c) There is no need for a new culvert at present.

(d) This does not arise in view of (c) .

नगरपालिकाओं के अवधिकाल में वृद्धि

७५. **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार द्वारा किस २ नगरपालिका की अवधि में कब २ और कितनी कितनी और क्यों वृद्धि की गई ? कृपया एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ख) ऐसी किन २ नगरपालिका में कौन २ से सदस्य मनोनीत हैं, और क्यों ?

(ग) क्या जिन नगरपालिकाओं की अवधि में वृद्धि की गई हैं उनके चुनाव की तारीखें निश्चित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि कर दी गई हैं तो किन २ की ? कृपया एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं कि नगरपालिकाओं के चुनाव माह जुलाई में सम्पन्न करा दिये जायें। कलेक्टर साहेबान इसकी तारीख मुकर्रर कर रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है उसमें झुंझुनू नगरपालिका का चुनाव सात दफा स्थगित किया गया है और सात दफा ही उसकी अवधि में वृद्धि की गई है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनाव नहीं हो सकते इसलिए अवधि में वृद्धि की गई।

श्री भैरोंसिंह : चुनाव क्यों नहीं हो सके ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनाव नहीं होने के बहुत से कारण हैं। वह तो सारे राजस्थान पर ही लागू हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यहां सारे राजस्थान का सवाल नहीं है। झुंझुनू की नगरपालिका की अवधि में वृद्धि क्यों की गई, मैं यह पूछ रहा हूँ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई विशेष कारण नहीं हैं। वही म्युनिसिपेलिटी जो पहले थी वही जारी है, क्योंकि इलेक्शन जल्दी नहीं हुए।

श्री भैरोंसिंह : क्या अब हो चुके हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां, अब हो चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इलेक्शन कम्पलीट होने के बाद नई नगरपालिका को चार्ज दे दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस नई नगरपालिका के प्रेसीडेन्ट के चुनाव की तारीख २३ मुकर्रर हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : यह ३१-१२-५६ से ३१-३-५७ की अवधि में वृद्धि करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, जब कि २०-९-५६ को ही चुनाव हो चुके थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनाव के बाद में नोमीनेशन नहीं हो सके थे इसलिए इस

Page No.3

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अवधि की वृद्धि हुई और अब प्रेसीडेन्ट का इलेक्शन होने वाला है।

श्री भैरोंसिंह : जिस तारीख को चुनाव हुए उस समय कलेक्टर ने तो रिपोर्ट दे दी थी कि अमुक अमुक आदमियों को नामजद किया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह रिपोर्ट नहीं आई थी।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी रिपोर्ट आई थी। उसके बाद में रिपोर्ट को ६ महीने तक सेक्रेटेरियेट में क्यों दाबे रखा था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न अलग कैसे है, इसके साथ ही है। जब रिपोर्ट दे दी गई थी तो व्यक्ति नामजद क्यों नहीं हो सके ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने हर म्युनिसिपेलिटीं के बारे में पूछा है। यह कैसे हो सकता है कि किसी एक खास म्युनिसिपेलिटी के बारे में सारी सूचनायें दी जायें।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न सब म्युनिसिपेलिटीज़ के बारे में है, झुंझुनू के बारे में ही खास तौर से प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन फिर भी झुंझुनू की म्युनिसिपेलिटी के बारे में पूछा है। नई निर्वाचित म्युनिसिपेलिटी को चार्ज दिया गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि प्रेसिडेन्ट का इलेक्शन नहीं हो सकता था अतः उसके लिए २३ तारीख निश्चित कर दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सच है कि नई नगरपालिकाओं को दस-दस महीने तक चार्ज नहीं दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

रामपुरा डावड़ी से डूंगरी तक सड़क बनाने की योजना

७६. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील आमेर में ग्राम रामपुरा डावड़ी से डूंगरी तक (जयपुर से किशनगढ़ रेणवाल जाने वाले रूट पर) जो कच्चा रास्ता पड़ता है उस पर सड़क बनाये जाने की योजना है ?

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पर्याप्त धन के अभाव में।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : आवाज सुनाई नहीं दी।

श्री नाथूराम मिर्धा : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पर्याप्त धन के अभाव में।

Page No.4

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि जनता द्वारा सड़क बनाने की मांग काफी अर्से से की जा रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, हां। जनता द्वारा तो बहुत सड़कों की मांग की जा रही है, लेकिन धन की कमी है, इसलिये सड़क नहीं बनाई जा सकी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उनकी मांग को कब तक स्वीकार किया जा सकेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जब हमने सड़कों को लिया तो क्राइटेरियन यह रखा है कि पांच हजार की आबादी से ऊपर के जो टाउन हैं उनको खास तौर से टच करेंगे। इस व्यवस्था को देखते हुए आपने जो यह रामपुरा डावड़ी से डूंगरी दोनों जगह बताई हैं इनकी आबादी कम है। इसलिये आबादी को ध्यान में रखते हुए तो दूसरी पंच वर्षीय योजना के समाप्त होते समय तक इसका नम्बर आ जायगा, ऐसी संभावना है।

प्रश्न संख्या ७७

श्री अध्यक्ष : श्री सूबेदारसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, प्रश्न आगे लिया गया है)

ठिकाना पानखा (जि० उदयपुर) के जंगल का ठेका

७८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) ठिकाना पानखा (जागीर), जिला उदयपुर के जंगल का ठेका किसको, कितने रुपयों में और कितने वर्ष के लिए किस तारीख को दिया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि इस ठेके की नीलामी बोली नहीं लगवाई गई ? यदि नहीं, तो इस ठेके के लिये किस किस ने कितनी कितनी बोली लगाई थी ?

(ग) क्या यह सही है कि इसी जंगल का ठेका पानखा की जागीरदार ने एक लाख रुपये में श्री खानमोहम्मद को दिया था ? यदि हां, तो इस ठेके को रद्द करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ठेका श्री गुलाम अब्बास अकबर अली को १ अक्टूबर, १९५७, से जून, १९६२, तक पांच साल के लिये १८,००० रुपये सालाना पर ३१-१०-५६ को इस शर्त पर दिया गया है कि ठेकेदार उस जंगल में सड़क बनायेंगे और ठेके की अवधि समाप्त होने पर सड़क बिना किसी मुआवजे के ठीक ठीक हालत में वन विभाग के सुपुर्द करेंगे।

(ख) जी हां, नीलाम का प्रश्न नहीं था। केवल मौजूदा ठेके की अवधि बढ़ाने का ही प्रश्न था।

(ग) जी हां, पानखा जागीरदार ने यह जंगल श्री खानमोहम्मद को एक लाख रुपये में (तीन साल की अवधि के लिये) जरूर बेचा था। किन्तु यह उस समय बेचा गया था जिस समय पानखा जागीरदार को यह जंगल बेचने का अधिकार नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : इस ठेके को नीलाम क्यों नहीं किया गया ?

Page No.5

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ठेका पानवा जागीरदार के वक्त से इसी ठेकेदार को दिया हुआ था। यह ठेकेदार सर्टेन कंडीशन्स पर एनुएली पेमेंट करता था और इसमें काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सड़कें बना रखी हैं और इसी ठेके को जब जागीरदार को या दूसरे आदमी को एक लाख रुपये में करवाया जो कि कानूनी अधिकार नहीं था तो इसी आदमी ने कहा कि मैं सड़कें बना रहा हूं, मैंने इसमें इतना इन्वेस्टमेंट किया है और अब इस जंगल को १८,००० रुपये सालाना पर देने की इजाजत दी जाय। इसलिये यह ठेका उसको एक्सटेन्ड किया।

श्री भैरोंसिंह : यह जंगल जागीर रिजम्प्शन से पूर्व दिया गया या बाद में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जागीर रिजम्प्शन होने के बाद जागीरदार ने दिया था।

श्री भैरोंसिंह : जागीर रिजम्प्शन के बाद जब एक लाख रुपये में लेने के लिये ठेकेदार तैयार था तो १८ हजार रुपये पर देने में क्या आवश्यकता महसूस हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वह तीन साल का एक लाख रुपया दे रहा था, इसके मायने हुये ३३ हजार रुपया सालाना। और जिसको दिया गया उसने उसके १८ हजार रुपये सालाना दिये। जिसका विचार ३३ हजार रुपये सालाना देकर ठेका लेने का था उसको जागीरदार यह अधिकार दे रहा था कि वह मन चाहे ढंग से लकड़ी काट सके। जागीरदार ने यह देखा अपना इसमें क्या जायगा, अपने को तो एक लाख रुपये मिल जायेंगे। जो आदमी मर्जी के मुआफिक एक्सप्लोइटेशन करना चाहता था वह एक लाख रुपया देने को तैयार था।

श्री भैरोंसिंह : जिस व्यक्ति को जागीरदार ने एक लाख रुपये में ठेका दिया, क्या उसको बुलाकर सरकार ने पूछा कि अमुक कन्डीशन पर आप ठेका लेना चाहते हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरा ठेकेदार गवर्नमेंट के पास कभी आया ही नहीं वह तो उस कन्ट्रैक्टर के खिलाफ, जिसको सरकार ने ठेका दिया, उसके विरुद्ध कानूनी चाराजोई अदालत में कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह वाजिब नहीं समझती थी कि अगर ठेकेदार को बुलाया जाय तो इससे सरकार के कोष में आमदनी बढ़ती ; उस ठेकेदार को सूचना देकर बुलाया क्यों नहीं गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार ने उसको बुलाना उचित नहीं समझा।

श्री भैरोंसिंह : आपने बुलाया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम क्यों बुलाते ?

श्री भैरोंसिंह : आप इसलिये बुलाते कि जनता के कोष में पचास हजार रुपये की वृद्धि होती।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब उसको यह मालूम हुआ कि १८ हजार रुपये में ठेका दिया गया है तो उसको खुद को आकर कहना चाहिये कि मैं एक लाख देने के लिये तैयार हूं। उल्टा वह तो १८ हजार रुपये के ठेकेदार पर कानूनी अदालत में चाराजोई कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय १८ हजार रुपये में ठेका दिया गया उस समय सरकार के सामने उस ठेकेदार की एप्लीकेशन विचाराधीन थी कि एक लाख रुपये में जागीरदार ने ठेका दे दिया है उसी को फोर्स में रखना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बेक ग्राउन्ड बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया वह ठेकेदार सन् '४१ से उस जंगल में काम कर रहा है; उसमें उसने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, जंगल में करीब ४० हजार रुपये की रोड्स बनायी हैं, ३० हजार की रोड और बनाने वाला है; ऐसे आदमी को १८ हजार रुपये में ठेका देना उस टेम्परेरी तौर पर जो कि बुरी तरह से उस जंगल का एक्स्प्लोइटेशन करने वाला है, ज्यादा वाजिब था।

श्री भैरोंसिंह : इनवेस्टमेंट किया तब जागीरदार ने वह ठेका दिया था या सरकार ने ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस आदमी को जागीरदार ने सन् ४५ में दिया था और वह टाइम टू टाइम उसको एक्सटैन्ड करता रहा। वह ठेका जागीरदार के मातहत १३ हजार में भी गया, दो तीन साल तक १५ हजार रुपये में गया और फिर गवर्नमेन्ट ने उसको १८ हजार रुपये में दिया। पहले के मुकाबले यह रकम ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय ठेका दिया गया क्या उस समय यह कन्डीशन थी कि जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए ठेका नीलाम नहीं किया जा सकता और कुछ ठेके की रकम में वृद्धि करे उसको दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कोई कन्डीशन नहीं थी, फिर भी जो एक जंगल में सड़कें बनवाने के लिये ४० हजार रुपया इन्वेस्ट करता है ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने का हमारा कायदा है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल बिल्कुल पर्टीकुलर है। जिस समय जागीर रिजम्पशन के समय तक जिस ठेकेदार के पास ठेका रहा तो क्या सरकार ने ऐसा कमिटमेंट कर रखा था कि अगर ठेकेदार इन्वेस्ट करता है तो वह ठेका उसी के नाम कर दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार के कमिटमेंट का सवाल ही नहीं है। जिस समय तीन साल का ठेका लेने के लिये ठेकेदार जागीरदार के पास चला गया उस समय जागीरदार को ठेका देने का अधिकार नहीं था, उस वक्त यह आदमी स्टेट गवर्नमेंट के पास आया, जागीरदार कानूनी तौर से ठेका दे नहीं सकता था तो उस आदमी ने कहा कि ठेका ऑलरेडी मेरा चल रहा है इसलिये १८ हजार रुपया सालाना पर मुझे दे दिया जाय। गवर्नमेंट ने यह उचित समझा और उसको ठेका दे दिया।

श्री सतीशचन्द्र : यह ठेका जिसको दिया गया उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया; कितना डेवलपमेंट किया ? क्या आपने एस्टीमेट किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एस्टीमेट करके ही बताया है।

श्री सतीशचन्द्र : कितना एस्टीमेट का डेवलपमेंट हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ४० हजार का।

श्री सतीशचन्द्र : तो भी गवर्नमेंट को घाटा है।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार द्वारा कमिटमेंट नहीं था तो फिर सरकार इस बात के लिये कैसे विवश थी कि उसका ठेका नीलाम न किया जाकर उसी व्यक्ति को दिया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विवशता की कोई बात नहीं, इक्वीटेबल प्रिन्सिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है ; जिस व्यक्ति को ठेका दिया गया उसको लगातार ४५ से मिलता चला आ रहा है और उसने इन्वेस्टमेंट भी काफी कर रखा है। इसलिये इक्वीटेबल प्रिन्सिपल्स का ध्यान रखते हुए उसको देना वाजिब था। जागीरदार चाहता था कि एक लाख रुपया लेकर दूसरे को दिया जाय, क्योंकि वह उसका एक्सप्लोइटेशन करवाना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

झोटवाड़ा से कालवाड़ तक सड़क निर्माण

७६. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जिला जयपुर में झोटवाड़ा से कालवाड़ तक एक सड़क बनाई जा रही है ?

(ख) यदि हां तो इस पर रोड रोलर कब कब सप्लाई किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) अब यह सड़क कब तक पूरी हो जायगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा (क) जी हां।

(ख) अक्टूबर, सन् १९५५ में मार्च सन्, १९५७ में।

(ग) प्रथम चार मील इस वर्ष (१९५७-५८) शेष कार्य योजनानुसार सन् १९५८ के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सड़क का ठेका किस वर्ष दिया गया और इसके समाप्त करने का टाइम क्या था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : समाप्त करने का टाइम बता दिया है सन् ५८-५९ के एन्ड (end) तक।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : ठेका किस व्यक्ति को किस सन् में दिया गया ? ५१-५२ में या ५३-५४ में ?

श्री अध्यक्ष : ओरीजिनल जो कोन्ट्रेक्ट था उसके अनुसार यह काम कब खत्म हो जाना चाहिये था।

श्री नाथूराम मिर्धा : ५८-५९ में खत्म होना चाहिये।

प्रश्न संख्या ८०

श्री अध्यक्ष : श्री सूबेदारसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित, यह प्रश्न आगे लिया गया है)

पंचायत विभाग तथा स्वायत्त शासन विभागों का एकीकरण

८१. **श्री भैरोंसिंह** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने पंचायत

(श्री भैरोंसिंह)

विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग के एकीकरण का निश्चय किया था ?

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वायत शासन मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : निर्णय कर लिये तो विचाराधीन क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इम्प्लीमेन्टेन्शन विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : जब निर्णय हो चुका है तो क्या कोई आवश्यक कार्यवाही करनी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां।

श्री भैरोंसिंह : इसका इम्प्लीमेन्टेशन कब तक हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समय के लिये नहीं कह सकता, इलेक्शन के बाद दुबारा विचार हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : कब से विचाराधीन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब से फैसला हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : फैसला कब हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इलेक्शनस् के पहले हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या हम यह समझें कि इस साल यह स्कीम इम्प्लीमेन्ट हो जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तहकीक नहीं कह सकता। दुबारा भी विचार हो सकता है क्योंकि नई गवर्नमेन्ट बनी है।

श्री मदनसिंह : तो फिर इस सवाल का जवाब कौन देगा, यह कब होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो गवर्नमेन्ट पर निर्भर है कि वह इस निर्णय को इम्प्लीमेन्ट करे या न करे।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या इस बात को माना जा सकता है कि नहीं, जो निर्णय हुआ है वह फाइनल है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तक तो है।

श्री भैरोंसिंह : तो इसका मतलब यह समझा जाए कि इस पर फिर विचार हो सकता है ? यह निर्णय फाइनल माना जाये या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तक तो फाइनल है, आगे क्या होगा कह नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह ; यह निर्णय जब फाइनल है तो सरकार ने इसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिये क्या क्या व्यवस्था की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा आपसे इसका इम्प्लीमेन्केशन विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : विचाराधीन कैसे है, जब निर्णय हो चुका। अब इम्प्लीमेन्टेशन की कार्यवाही करने के संबन्ध में जो कुछ कार्य-

(श्री भैरोंसिंह)

वाही करनी है वह विचाराधीन है या और कुछ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों बातें विचाराधीन हैं।

श्री भैरोंसिंह : निर्णय तो हो चुका। जब उसको इम्पलीमेंट करने का प्रश्न आता है, यह तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि इसको किस प्रकार इम्पलीमेंट किया जाय। अगर हम इस निर्णय को फाइनल मान लेते हैं तो फिर इन दोनों डिपार्टमेंट्स को अमेलगमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इलेक्शन की वजह से इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जा सका, दोनों बातें विचाराधीन हैं। इस फैसले को दुबारा रिवाइज़ भी किया जा सकता है, फाइनल डिसीज़न बाकी है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब तक तो यह निर्णय फाइनल था, तो यह प्रश्न बीच में कैसे पैदा हो गया कि दुबारा भी इस पर विचार किया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब तक कोई निर्णय इम्पलीमेंट नहीं होता दुबारा उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मूव आपकी तरफ से हुआ है कि इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अपोइन्मेन्ट डिपार्टमेंट की ओर से।

श्री भैरोंसिंह : क्या अपोइन्टमेंट डिपाटमेंट ने इस पर दुबारा विचार करने को कहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और कोई दिशा सोची जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह किस आधार पर कह रहे हैं कि यह प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने इम्पलीमेण्टेशन के लिये कहा कि विचाराधीन है, यह डिसीज़न फाइनल है और इसको बदला भी जा सकता है। इसको रिवाइज़ भी कर सकती है केबीनेट।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सरकार को विदित है कि हमारे पड़ौसी प्रांत पंजाब, जम्मू-काश्मीर, सौराष्ट्र, बंगाल आदि में पंचायत विभाग और म्युनिसिपेलिटीज़ के विभाग अलग अलग हैं ? यहां फिर शामिल क्यों किया जा रहा है ?

श्री भैरोंसिंह : इसलिये कि राजस्थान में घोटाले बहुत होते हैं।

बंध के दरवाजे के समीप से जयसिंहपुरा (त० जयपुर) की सड़क का श्रम-दान से निर्माण

८२. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील जयपुर में बंध के दरवाजे के पास से ग्राम जयसिंहपुरा खोर को जाने वाली एक सड़क श्रमदान द्वारा बनाई गई है ?

Page No.10

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

(ख) यदि हां, तो उक्त रोड को बनाने हेतु रोड रोलर कब २ दिया गया ?

(ग) यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

(घ) रोड रोलर देने की मांग कब से की जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) रोड रोलर इस सड़क पर....

एक माननीय सदस्य : जोर से साहब, आवाज नहीं आ रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आ जावेगी। (पहले से कुछ जोर से)

(क) जी हां,

(ख) रोड रोलर इस सड़क पर अभी नहीं दिया जा सका है।

(ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की अधिकता है और रोड रोलरों की कमी है, इस कारण से नहीं दिये जा सके।

(घ) अब शीघ्र ही देने की व्यवस्था करेंगे।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमदान द्वारा इस सड़क का निर्माण कब से हुआ और कब से यह अधूरी पड़ी है, रोड रोलर के बिना ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गत वर्ष जून के माह से। रोड रोलर की समय समय पर मांग की है, पर रोड रोलर बड़ी बड़ी सड़कों पर काम करते हैं और वैसे इनकी काफी कमी भी है फिर श्रम-दान से काफी छोटे टुकड़े बनते हैं, तो जहां बड़े काम होते हैं वहां से रोड रोलर पर्टीक्युलरली इसके लिये हटा कर लाना व्ययसाध्य है और उन बड़े कामों का हरजा भी होता है। इसलिये जब कभी आस पास में खाली देखेंगे रोड रोलर को तो उधर भेज कर वहां का काम भी करा लेंगे।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम-दान द्वारा किये गये कामों का सरकार कोई मूल्य नहीं समझती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो समझ की बात है। मैंने यह नहीं कहा कि इसका कोई मूल्य हम नहीं समझते। यह जरूर है कि हम बड़े कामों को पहले प्रायोरिटी देते हैं और इन छोटे कामों में हमें अधिक खर्च नहीं करना पड़े और काम बन जावे, यह सोच कर चलते हैं। हमें बड़े बड़े ठेकेदारों को भी रोड रोलर समय पर सप्लाई करने में कठिनाइयां हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे ही कम हैं और बाहर से मिलते भी किराये पर कम हैं।

श्री भैरोंसिंह : किराये पर लेकर ठेकेदारों को नहीं दे सकते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कई बार किराये पर लेकर ही दिये हैं। कभी कभी उचित रेटों पर हमें नहीं मिलते। हमारे पास भी कमी आ रही है इस साल में कुछ नये खरीदने का प्रोवीजन है। किराये पर भी उचित रेट पर मिलता है तो लेते हैं। इस सबके होते हुए भी काम इतना ज्यादा है कि उसे भी पूरा करना कठिन हो रहा है; फिर भी जल्दी ही यहां भी देने की कोशिश में हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि किराये पर लेने की कोशिश की गई थी और वह नहीं मिले ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सुना नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जावे कि सरकार ने इसके लिये रोड-रोलर किराये पर लेने की कोशिश की थी और कोशिश के बावजूद भी वह मिले नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस सवा मील के टुकड़े के लिये कोशिश करने का सवाल न पहले हमारे सामने था और न आगे भी इसके लिये कोशिश करेंगे। कोई बड़ी लम्बी सड़क होती है तो उसके लिये किराये पर लेने की कोशिश करते हैं और वह भी बड़ी मुश्किल से मिलता है और अगर मिलता है तो अच्छी टर्म्स पर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिये जहां तक होता है किराये पर लेने की बात को एवोइड ही करते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह सड़क कितने मील लम्बी बनाई गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सवा मील है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि इस प्रकार की जो सड़कें बनाई जाती हैं उनके लिये रोड-रोलर सप्लाई नहीं किये जाते।।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य या तो मेरे सवाल के जवाब को सुन नहीं पाये या समझ नहीं पाये। मैंने यह कहीं नहीं कहा कि हम नहीं देते, हम देंगे और यही मैंने कहा है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या सरकार को यह पता है कि इतनी लम्बी सड़क बनाई गई श्रम-दान से और वह अब वापिस बिगड़ भी गई है रोड रोलर के अभाव में और इस तरह वह श्रम-दान बेकार चला गया है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, नेक्स्ट। श्री सूबेदारसिंह।

पॉवर हाउस धौलपुर की उत्पादन-शक्ति में न्यूनता

८३. **श्री सूबेदारसिंह** (बाड़ी) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पॉवर हाउस, धौलपुर की उत्पादन-शक्ति उसकी पहले की क्षमता से न्यून हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो कब से, कितनी और क्यों ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां।

(ख) मार्च १९५७ से ११० किलोवाट, एक सेट के खराब हो जाने के कारण।

श्री सूबेदारसिंह : एक बार और बोलिये साहब; अच्छी तरह से सुनाई नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : once more.

(हंसी)

श्री भीखाभाई : तो सुन लीजिये : (क) जी हां।

(ख) (१) मार्च, १९५७ से, (२) ११० किलोवाट, (३) एक सेट के खराब हो जाने के कारण।

Page No.12

श्री सूबेदारसिंह : क्या यह जल्दी ठीक हो सकेगा ?

श्री भीखाभाई : हां, इसकी जल्दी कोशिश की जा रही है और इसके लिये ऑर्डर भी डी० जी० एस० डी०, नई-दिल्ली के पास खरीदने के लिये रख दिया है ।

श्री सूबेदारसिंह : तो क्या माननीय उपमन्त्री महोदय के उत्तर से मैं यह समझूं कि कोई नया एन्जिन खरीद कर फिट किया जावेगा ?

श्री भीखाभाई : जी हां, इसके लिये नया एन्जिन जो ३०० किलोवाट का होगा, मंगाया जा रहा है ।

श्री मदनसिंह : इसको लगा कर कब तक कम्पलीट कर देंगे ?

श्री भीखाभई : Inaudible, Sir. He must repeat, sir.

श्री बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि उन मशीनों में देशी पार्ट्स खरीद कर लगाने से वे मशीनें खराब हो गई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि यह बात नहीं है । धोलपुर के पॉवर हाउस के एन्जिन बहुत पुराने हो गये हैं । इसलिये उनसे कम किलोवाट का प्रोडक्शन होता है । इसके लिये पहले जोधपुर से भी टैक्नीकल एड भेजने की बात थी, पर वहां भी कमी होने से नहीं भेजी गई । इस स्थिति में नये एन्जिन मंगाने का तय किया गया है और इसके लिये जैसे आपसे कहा गया डी० जी० एस० डी० के यहां ऑर्डर भी हमारा बुक करा दिया गया है ।

श्री सूबेदारसिंह : क्या जो एन्जिन खराब हो गया है वह धोलपुर राज्य के वक्त का पुराना एन्जिन था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

श्री सूबेदारसिंह : नहीं, ऐसा नहीं है । वह राजस्थान में खरीदा गया है और उसको ५ साल खरीदे हुए हुए हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा ही कोई एन्जिन है वहां पर । खराब होकर वह बन्द पड़ा है । नया मंगाया गया, वह खराब हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : जो खराब हुआ है वह राजस्थान सरकार द्वारा मंगाया हुआ नया था या स्टेट के वक्त का पुराना ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि पांच वर्ष पहले भी जो था वह खराब हो गया है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो खराब हुआ वह नया था या पुराना ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुराना ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह ।

पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत को पत्र इत्यादि क्रय करने के आदेश

८४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मुख्य पंचायत अधिकारी ने पंचायतों को कुछ समाचार-पत्र व पुस्तकें

Page No.13

(श्री भैरोंसिंह)

खरीदने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो किन किन समाचार पत्रों व पुस्तकों के और क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे निर्देश पचायत विभाग द्वारा परिपत्र छपवा कर पचायतों को पंचायत विभाग के खर्चे (पोस्टेज) से भेजे गये हैं ? यदि हां, तो इस पर गत दो वर्षों में कितना कितना खर्चा हुआ ?

(ग) क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर्स को कुछ पुस्तकों के विक्रय करने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन पुस्तकों के और क्यों ?

पंचायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां, निम्न पुस्तकों व समाचार पत्रों को पंचायतों के लिये उपयोगी होने से उन्हें एप्रूव्ड लिस्ट में रखने की स्वीकृति दी गई है :

नाम पुस्तक—

१. राजस्थान परिचय ग्रन्थ
२. राजस्थान विधान सभा के तीन वर्ष
३. राजस्थान की जातियां
४. किसानों के कानून

नाम समाचार पत्र—

१. मरुवाणी जयपुर
२. राष्ट्रदूत ,,
३. अमरज्योति ,,
४. कांग्रेस-संदेश ,,
५. नवयुग ,,
६. प्रेरणा जोधपुर
७. लोक सेवक ,,
८. प्रजा सेवक जयपुर
९. ज्वाला ,,
१०. राजस्थान-केसरी ,,
११. १५-अगस्त, उदयपुर
१२. पंचायत मार्ग, कांकरोली
१३. किसान सन्देश, कोटा
१४. ग्रामोद्योग

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त चार पुस्तकों के लिये।

श्री भैरोंसिंह : इन पुस्तकों को एप्रूव्ड लिस्ट में लेने के लिये सरकार द्वारा क्या आधार मुकर्रर कर रक्खा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो उपयोगी होते हैं उनको ले लिया जाता है, यही आधार है।

श्री भैरोंसिंह : किस तरह उनको उपयोगी समझा जावे ? कांग्रेस का प्रचार करे वे उपयोगी समझा जावें या जो स्वतन्त्र पत्र हैं, अपने स्वतन्त्र विचारों का प्रचार करते हैं, वे उपयोगी समझे जावें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे तो कांग्रेसी नहीं हैं ?

श्री भैरोंसिंह : सारे के सारे ही हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कैसे। अब राजस्थान का परिचय ग्रन्थ है, इसमें सभी विधान सभाइयों का परिचय है। किसानों के कानून हैं, यह सब किसानों ने कानून तो सबके लिये हैं। इनमें क्या कांग्रेस का प्रचार है !

श्री भैरोंसिंह : किसान संदेश, नवयुग, राष्ट्रदूत, जनवाणी, नववाणी आदि पत्र

Page No.14

(श्री भैरोंसिंह)

अप्रूव्ड लिस्ट में हैं। इनमें लोकवाणी क्यों नहीं है! लोकवाणी को क्यों नहीं अप्रूव्ड लिस्ट में लिया गया!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसने शायद एप्लाई नहीं किया होगा। हमने आवेदन-पत्र नहीं मांगे थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने आवेदन पत्र मांगे थे कि पंचायतों में भेजने है इसलिये आवेदन पत्र दें?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आवेदन पत्र अपने आप दिये है, इन्वाइट नहीं किये गये।

भैरोंसिंह : "विधान सभा के तीन वर्ष" नामक पुस्तक को पंचायतों के लिये किस प्रकार उपयोगी माना गया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विधान सभा में कौन कौन सदस्य हैं, इसकी जानकारी देने के लिये एप्रूव किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह आवश्यक है कि पंचायत के पंचों को विधान सभा के सदस्यों के जीवन चरित्र की जानकारी कराई जाय? जहां अधिकांश पंच अनपढ़ हैं, वहां यह किताब किस प्रकार से उपयोगी होगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सदस्यों के जीवन की जानकारी उपयोगी होगी।

श्री भैरोंसिंह : वे अनपढ़ हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जहां अधिकांश पंच अनपढ़ हैं उनके लिये किस प्रकार यह पुस्तक उपयोगी होगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो पंच पढ़े लिखे हैं वे दूसरों को पढ़ाते है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत उपयोगी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप रिलेवेन्ट सप्लीमेन्ट्री पूछिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो रिलेवेन्ट ही पूछता हूँ लेकिन ये जवाब नहीं देते हैं। यदि ये ठीक तरह से जवाब देने लगे तो मेरा प्रश्न छोटा सा है। मेरा प्रश्न यह है कि जो एप्रूव्ड लिस्ट में पुस्तकें रखी गई हैं क्या उन्हें इन्सपेक्टर्स के जरिये भेजने का आदेश जारी किया गया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कहा गया है कि कोई उपयोगी समझें तो ले सकते हैं। किसके द्वारा भेजने का तय किया है, यह जरूरी नही है।

श्री भैरोंसिंह : आप सीधा जवाब दें। आदेश जारी किया या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि ऐसा आदेश जारी किया गया है कि ये पुस्तकें उपयोगी हैं इसलिये आप इनको खरीद सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन पुस्तकों के बंडल इन्सपेक्टर्स के पास भेजे गये हैं और उनसे कहा गया है कि वे जाकर जबर्दस्ती पंचायेतों को ये पुस्तेकें बेचें?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें जबर्दस्ती करने की बात नहीं है, किसी ने चाहा तो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लिया, नहीं चाहा तो नहीं लिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन्स्पेक्टर्स के लिये पुस्तकें बेचने पर कमीशन तय किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में यह बात नहीं है। आपकी जानकारी ज्यादा हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पार्टी के पत्रों व पुस्तकों को प्राथमिकता दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 'किसान कानून" सब के लिये है। इसमें पार्टी पोलिटिक्स का कहां प्रश्न आता है ?

श्री भैरोंसिंह : लिस्ट एप्रूव करने का अधिकार चीफ पंचायत ओफिसर को है या सरकार को है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार को है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो दरख्वास्तें एप्रूव्ड लिस्ट में आई हैं वे पंचायत ओफिसर की सिफारिश से आई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट ने स्वीकार की हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या चीफ पंचायत ओफिसर ने इनिशियेटिव लिया था या गवर्नमेंट के कहने पर सिफारिश की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन २ पुस्तकों को और पत्रों को परचेज किया गया उनमें लोकवाणी नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी मेरी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लोकवाणी को अस्वीकार किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है। उपयोगिता और अनुपयोगिता का भी कोई सवाल नहीं है। अपने फन्ड के माफिक भी किसी पत्र या पुस्तक को खरीदे, न खरीदे यह पंचायतों पर निर्भर है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की तरफ से सीमा निश्चित की गई है कि इतने खरीदे जांय और अधिक नहीं खरीदे जांय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पास में पैसा हो तो खरीदें, न हो तो नहीं खरीदें।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब यह है कि एप्रूव लिस्ट के बारे में चीफ पंचायत ओफिसर को अधिकार है; तो क्या इसकी संख्या मुकर्रर है कि इतने ही पत्र या पुस्तकें एप्रूव्ड लिस्ट में आवें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नंबर लिमिटेड नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति दरख्वास्त देकर अपने पत्र का नाम एप्रूव्ड लिस्ट में दर्ज करा सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि उपयोगी हो तो।

श्री भैरोंसिंह : उपयोगिता का आधार आपने बताया नहीं।

Page No.16

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप फिर रिपीट करने लगे। मैंने कहा था कि गांवों के विकास के लिये यदि कोई पुस्तक उपयोगी साबित होगी तो उसको एप्रूव्ड लिस्ट में लिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एक व्यक्ति ने "कांग्रेस के काले कारनामों" नामक पुस्तिका लिखी, जिसमें बतलाया गया है कि सरकार ने कितना घोटाला किया है। इस पुस्तक को एप्रूव नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

बयाना रुदावल सड़क को पूर्ण करना

८५. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना : Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) Whether the Government intends to complete the Bayana-Rudawal Road from Rudawal onwards?

(b) If so, which will be the route and through how many villages will it pass? If not, why?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(a) No.

(b) Limitation of funds.

श्री श्रीभानसिंह : Why was this road taken from Bayana to Rudawal first?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको बताया कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिये सिर्फ १.६६ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसमें मोस्टली जो रोड्स एप्रूव की गई हैं उनके लिये बेसिक फेक्टर जो रखा गया है वह यह है कि जो कस्बे ५,००० से ऊपर की आबादी वाले हैं उनको रोड से कनेक्ट किया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : What is the population of Rudawal?

श्री नाथूराम मिर्धा : रुदावल की पोपुलेशन ५००० से बहुत कम है।

श्री श्रीभानसिंह : Why was the construction of this road started from Bayana to Rudawal when the population of Rudawal is less than 5,000 in the First Five Year Plan?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा नहीं आपके प्रश्न को।

श्री श्रीभानसिंह : When the population of Rudawal is stated by the Hon'ble Minister to be less than 5,000, why was the construction of this road stared during the Firest Five Year Plan from Bayana to Rudawal?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहली पंचवर्षीय योजना में रुदावल को भरतपुर से पक्की रोड से एक तरफ कनेक्ट किया गया है।

Rudawal is already connected to Bharatpur by a pucca road on one side. Rudawal is also connected to Bharatpur-Dholpur road (under construction) via Baretha. Rudawal to Baretha is a pucca road and Baretha to Bharatpur Dholpur road is an existing fair weather

Page No.17

(श्री नाथूराम मिर्धा)

road. Moreover there is a parallel railway line running on the fair weather road.

श्री श्रीभानसिंह : My question is, why the construction of this road was undertaken from Bayana to Rudawal when the population of Rudawal is less than 5,000, during the First Five Year Plan ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मान लीजिये एक गांव को एक सड़क से कनेक्ट करते हैं तो उसी गांव को अलग-अलग सभी रोड्स से कनेक्ट किया जाय, यह जरूरी नहीं है। यदि रुदावल को एक सड़क से कनेक्ट किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी से कनेक्ट किया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : The construction must be according to a certain plan. Once the road has been connected to Rudawal, why under the Second Five Year Plan the construction is not being extended beyond Rudawal ?

श्री नाथूराम मिर्धा : As I told you money funds are limited in this behalf and some more important roads are to be undertaken.

श्री श्रीभानसिंह : What is the criterion of important roads ?

श्री नथूराम मिर्धा : I told you, they are mostly connected by principal towns with a population of 5,000 or over.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble Minister aware that the population of Rupwas is more than 5,000 and this is the former Imperial Defence Road about which I am questioning. Therefore, the importance of this road cannot be less than any other road.

श्री नाथूराम मिर्धा : Yes. It may be in the opinion of the Hon'ble Member, but on account of lack of funds we have not taken up this.

श्री श्रीभानसिंह : That is the historical opinion. If the Minister wants, I can bring historical records here.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

डीडवाना नगरपालिका के मनोनीत सदस्य

८६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

डीडवाना नगरपालिका के मनोनीत सदस्यों को क्यों और किस किस अधिकारी की सिफारिश पर मनोनीत किया गया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : बोर्ड में सदस्य मनोनीत करना सरकार की डिस्क्रीशन (discretion) में है।

श्री भैरोंसिंह : किन किन को नोमिनेट किया गया, नाम बताइये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : श्रीमती इन्दुदेवी और श्री अब्दुलगफूर को डीडवाना म्युनिसि-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पैलिटी के लिये मनोनीत किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : श्री अब्दुलगफूर का नोमिनेशन किस प्रकार हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जुलाहा हरिजन होते हैं इसलिये उनको नोमिनेट किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस बात की जांच की गई थी कि वह जुलाहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां, जांच की गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जांच कलेक्टर ने की और उन्होंने कहा कि यह हरिजन नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाहा शिड्यूल्ड कास्ट्स में है या ट्राइब्स में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह शिड्यूल्ड कास्ट्स में है। इनकी जो लिस्ट बनी है उसमें यह क्लास शामिल है। लॉ डिपार्टमेन्ट ने भी कहा है कि यह ठीक है।

श्री श्रीभानसिंह : Under which Act the privision is there for providing a seat to the Backward class person for the Municipalities

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Under the Municipal law.

श्री श्रीभानसिंह: In which section it is specifically mentioned that the Backward classes must be provided a seat in a Municipality ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The Government has a discretion to nominate any person from the Backward classes.

श्री श्रीभानसिंह : Did the nominated member obtain a certificate from the Collector that he belonged to the Scheduled castes.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It was not necessary that he must be from the Scheduled castes. It is sufficient that he is from the Backward-classes.

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है कि बैकवर्ड क्लास के किसी सदस्य को म्युनिसिपल कमेटी में मनोनीत किया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी इन्क्वायरी कर ली है कि जुलाहा एपोइन्ट हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट के अन्तर्गत किसी बैक वर्ड क्लास के मेम्बर को म्युनिसिपल कमेटी में सदस्य मनोनीत किया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिसे एपोइन्ट किया गया है, वह ठीक प्रकार किया गया है और बिल्कुल लीगल है, दुरुस्त है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि बैकवर्ड क्लास के सदस्य को किस प्रकार मनोनीत किया गया है ? एक्ट के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट के सदस्य को नॉमी-

Page No.19

(श्री भैरोंसिंह)

नेट कर सकते हैं, बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति नको मीनेट किया गया है, इसके सम्बन्ध में क्या सरकार ने जांच कर ली है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार ने जांच कर ली है म्युनिसिपेलिटी एक्ट के मातहत उनको एपाइन्ट ठीक किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : बैकवर्ड को एक्ट के कौन सी धारा के अनुसार नोमीनेट किया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद : मैं यह एक्ट देख कर बता दूंगा। लेकिन जो एपोइन्टमेंट किया गया है, वह दुरुस्त है।

श्री भैरोंसिंह : जिस सेक्शन के लिए आप कह रहे हैं वह शिड्यूल्ड कास्ट के लिए है; उसमें बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न लीगल इन्टरप्रिटेशन का है, इसलिए इस पर वाद-विवाद करना उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह जांच कर ली है कि बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति को नोमीनेट किया जा सकता है, मैं यह पूछना चाहता हूं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको दो बार कह दिया है कि जिनको एपोइन्ट किया गया है, वह एक्ट के अनुसार ठीक है। मैं एक्ट को देखकर सेक्शन बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : फिर....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने कह दिया है कि जुलाहे बैकवर्ड क्लास में होते हैं और इन मेम्बरों को मनोनीत करने के लिए राय ले ली गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाए कि सरकार की यह नीयत है कि शिड्यूल्ड कास्ट के स्थान पर बैकवर्ड क्लास के व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : उस एक्ट में शिड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट में क्या थोड़ा अन्तर रखा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद : यह आप एक्ट में देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पहले ही देख लिया है।

श्री अध्यक्ष : यह लीगल इन्टरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, इस पर वाद-विवाद करने से फायदा नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : At least we are entitled to know the specific section. Since the Government has a right to nominate from th Backword classes and the Hon'ble Minster has said that according to such and such act the nomination has been made the House is entitled to know the section. We are not interpreating the law. We just want to know the section provided under the Municipalities Act.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : When the law is there the Member may see it.

Page No.20

श्री श्रीभानसिंह् : I am appealing to the chair and not to the Hon'ble Minister that since he has said that the law is there, the House wan to know which Section is there.

श्री उपाध्यक्ष : I do not think the Hon'ble Minister is prepared to answer specifically.

श्री श्रीभानसिंह् : It is only the question of policy that cannot be answered in the House, but it is a Section. When the Hon'ble Minister is not prepared, he must say that there is no Section und er which the Government has taken that step.

श्री उपाध्यक्ष : Section or no Section. A certain man is taken for which the information is made available to the Hon'ble Member. If there is any question on that, they are at liberty to ask.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : This is Sec-18 of R. T. M. Act.

श्री भैरोंसिंह् : मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच कर ली थी कि मुसलमान या हिंदू जो जात से जुलाहा हो या पेशे से जुलाहा हो, उसको मनोनीत किया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो कौम से जुलाहा हो । आर. टी. एम. एक्ट की धारा १८ के अन्तर्गत जो आये, वह हो सकता है कॉन्स्टीट्यूशन में जो कास्ट्स ले डाउन (lay down) हैं उनके अन्तर्गत आता है ।

श्री भैरोंसिंह् : क्या जो पेशे से जुलाहा हो उसको मनोनीत किया जा सकता है या जो कौम से जुलाहा हो, उसको मनोनीत किया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप दोनो बातें मान सकते हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : According to Government order of the President 1950, Scheduled castes.....जो व्याख्या है उसके अनुसार वे जुलाहा न होकर मुसलमान हैं; क्या यह सत्य है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसमें जुलाहा लिखा हुआ है । जुलाहा हिन्दू भी हो सकता है और मुसलमान भी हो सकता है. उसमें कोई रुकावट नहीं है । दोनों नेमीनेट हो सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह् : कौन से जुलाहे मनोनीत किये जा सकते हैं, जो कौम से जुलाहे हों, या पेशे से जुलाहे हों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनो ही ।

हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ प्रेसीडेन्ट, १९५० का जो है उसके अन्तर्गत जिन जातियों का उल्लेख किया गया है, उन जातियों में से ये व्यक्ति हैं या नहीं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस ऑर्डर के मुताबिक यह है, इसलिये किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

वाटर बोर्ड की ओर से ग्राम सुरेली (त० उनियारा) में कुआ खुदवाना

८७. रावराजा श्री सरदार सिंह् (उनियारा) :

Page No.21

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वाटर बोर्ड की ओर से ग्राम सुरेली, तहसील उनियारा, के किसी मोहल्ले में कोई कूआ खुदवाया जा रहा है ?

(ख) उस कूए के लिए बोर्ड से किस कदर रकम दी गई और जनता से किस कदर वसूल हुई ?

(ग) कूए का काम किस कदर हो चुका है और कितना बाकी है ?

(घ) क्या यह सही है कि कूआ जो जल बोर्ड की सहायता से बन रहा था बैठ गया और उसमें ४ आदमी दब कर मर गये ?

(ङ) यदि हां, तो उन ४ मनुष्यों की लाशें कूए में से निकालने में कितना सर्चा व समय लगा ? क्या लाशें दस्तयाब हो गईं और अगर हो गईं तो किस हालत में ?

(च) क्या मृतक मजदूरों के परिवार को सरकार की या जल बोर्ड की ओर से कोई राहत दी गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस सम्बन्ध में सामुदायिक विकास डिपार्टमेंट के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने क्या कहा, सुना नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री नाथू राम मिर्धा : कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के पास से कोई सूचना नहीं मिली ।

रावराजा श्री सरदार सिंह : इसमें आ गया है कि यह सूचना आपके पास में है ।

श्री बद्रीप्रसाद : इस डिपार्टमेंट से कन्सर्न्ड नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दें ।

राव राजा श्री सरदार सिंह : यह सेक्रेटरीज़ का काम है, उनको ठीक जगह भेजना चाहिए थे ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के बारे में जांच कराने के बाद सम्बन्धित मंत्री के पास भेज देंगे ।

राव राजा श्री सरदार सिंह : कब तक जवाब मिल जायगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

भरतपुर नगरपालिका के हिसाब का १९५६-५७ में ऑडिटिंग

८८. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Local-Self Government be pleased to state :

(a) Whether the accounts of Bharatpur Municipality were audited in 1955-56 as a result of reports of serious irregularities in the accounts ?

(b) Has the audit report been submitted to the Government ?

Page No.22

(श्री श्रीमानसिंह)

(c) On whom did the audit report lay responsibility for irregularities in the Municipal Board's accounts ?

(d) Has any action been taken against those responsible for these irregularities ?

(e) If yes, what and when ? If not, why not ?

(f) Is the Govt. prepared to lay the aubit report on the table of the House ?

स्वायत्त शासन मन्त्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) (a) The Audit of Municipal Board, Bharatpur, in 1955-56 was not made on any report of serious irregularities in the accounts of the Board, but was made as a matter of routine.

(b) Yes.

(c) The matter is still under the consideration of the Government and the respnosibility has not been fixed so far.

(d) & (e) The question does not arise.

(f) Until any Government decision is taken, it will not be advisable from the administrative point of view to place the audit report on the table of the House.

श्री श्रीमानसिंह : Is the Government not in a position to place it on the table of the House ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Until it is finally decided, it is not in the public interest to place the report.

श्री श्रीमानसिंह : Is the Audit report complete ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes, it is.

श्री श्रीमानसिंह : Mr. Speaker, I draw your attention to the very contradictory reply of the Hon'ble Minister. Some way must be sought to correct this. On 18th April, 1956 a similar question was tabled by Hon'ble member, Shri Jawan Singh. The question was :

"Will the Hon'ble Minister etc. etc.

(a) Is the Government aware that serious irregularities were reported in the accounts of the Bharatpur Municipality ?"

To this the then Revenue Minister, Shri Damodar Lal Vyas, replied :

"(क)कुछ इस प्रकार की शिकायतें विचाराधीन हैं)"

It means the irregularities are there and now they are being denied. I again appeal to the Chair for the rescue of our rights. The question is about the same Audit report.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताया कि प्रति सदन की मेज पर रखी नहीं गई है, रख दी जायगी।

श्री श्रीभानसिंह : It is a specific statement made by the Hon'ble Minister that the Audit Report will be placed on the table of the table of the House, and now the Hon'ble Minister say 'no'. It is here in the proceedings of the House.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The Hon'ble member does not know that Auditing is done every year. I referred to the Audit of the previous year. This Audit of 55-56 has been received by the Government in February, and it was sent to the Municipality for clarification, and the reply has been received. Until it is finally decided the question does not arise.

That question does not refer to the Audit Report. It refers to some irregularities.

१२. मध्यान्ह

श्री भैरोंसिंह : ऑडिट रिपोर्ट आ गई है तो उस रिपोर्ट में म्युनिसिपल बोर्ड के एकाउन्ट्स की इर्रेग्युलेरिटी किस व्यक्ति की जिम्मेदारी ठहराई है !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑडिट रिपोर्ट का कानून है कि and the rules it has to be sent to the Municipality concerned. जब कोई रिपोर्ट आती है तो म्युनिसिपेलिटी को रिमार्क के लिये भेज दी जाती है। The reply has been received only two days ago. Now the Government will consider the whole thing. The version of both the sides is there.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

छीपा बड़ोद के लिये नगरपालिका की मांग

८६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छाबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) छीपा बड़ोद, जिला कोटा, की जन संख्या कितनी है ?

(ख) छीपा बड़ोद में अब तक नगरपालिका न होने का क्या कारण है ?

(ग) क्या इस विषय में सरकार कोई निश्चय ले चुकी है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) ४२२२।

(ख) छीपा बड़ोद एक पंचायत केन्द्र है जो सुचारु रूप से कार्य कर रही है। इस क्षेत्र के कुछ लोगों ने मांग की है।

(ग) अभी तक अन्तिम निश्चय नहीं लिया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शीघ्र लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष ; श्री मुक्तिलाल मोदी।

सिपाही से थानेदार तक वरिष्टता नियतन

६०. श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पुलिस विभाग के कॉन्स्टेबिल, व हैड कॉन्स्टेबिल और सब इन्स्पेक्टर्स की सीनियोरिटी नियत करने हेतु रूल्स बन गये हैं ?

(२) यदि हां, तो सिनियोरिटी नियत करना सरकार ने अपने अधिकार में रखा है या पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया है ?

गृह-मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(क) जी हां।
(ख) आई. जी. पी. को।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोटा डिस्ट्रिक्ट में खोले गये विकास खंड

६१. श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा डिस्ट्रक्ट में किन किन स्थानों पर विकास खण्ड खोले जा चुके हैं और कहां कहां के विचाराधीन हैं ?

(२) क्या छाबड़ा में भी विकास खण्ड खोलने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्या ?

विकास योजना मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) कोटा जिले के लाड़पुरा, शाहबाद और अन्ता तहसीलों में ग्राम विकास योजना चालू है। इसके अतिरिक्त बारों में ग्राम विकास योजना का कार्य पूरा होकर अब ग्राम सेवा योजना चालू है। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सारे राजस्थान में विकास खण्ड खोले जाने की व्यवस्था है।

(२) नये ग्राम सेवा योजना खण्ड खोले जाते समय छाबड़ा की उपयुक्तता का भी ध्यान रखा जावेगा।

सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की एक्सरे मशीन व लिफ्ट की मरम्मत

६२. श्री मुक्तीलाल मोदी (बैराठ) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई मानसिंह होस्पिटल, जयपुर में एक्सरे मशीन तथा लिफ्ट कितने अर्से से खराब हुई पड़ी है।

(ख) इन्हें ठीक कराने की क्या व्यवस्था की गई है और वे अब कितने दिनों में ठीक होकर काम देने लगेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :
(क) तीन या चार महीने से।

(ख) लिफ्ट तो चालू करा ली गई है और एक्सरे मशीन बहुत जल्दी ठीक होने की आशा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कब तक ठीक हो जायगा लिफ्ट और एक्सरे की मशीन ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लिफ्ट की मशीन तो ठीक हो गई है, एक्सरे की मशीन के लिए सामान यहां मिलता नहीं है इसलिए बाहर से मंगाया गया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक्सरे की मशीन को जल्दी से ठीक नहीं कराने से लोगों को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, इसे कब तक ठीक कराया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक्सरे की और मशीनें हैं। वे काम कर रही हैं, इस मशीन का फॉइल जल गया है जो बाहर से मंगवाया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बारैठा (त० बयाना) सड़क को धौलपुर से मिलाना

६३. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Wil the Public works Minister be pleased to state:

(a) Whether it was proposed to Link Dholpur by completing the Baretta Road in Bayana Tehsil in the first Five Year Plan ?

(b) What were the reasons for subsequently droping this Road and this route ?

(c) Has the road been included in the Second Five Year plan ?

If so, when will the work start and by what time will it be completed ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा)—

(a) No.

(b) Question dose not arise.

(c) No.

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कर्मचारियों की वरिष्ठता एवं उन्हें राज्य सेवक मानने सम्बन्धी

६४. श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों की सिनियोरिटी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा तय कराने एवं उनकी सर्विसेज़ गवर्नमेंट सर्विसेज़ मानी जाने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट, १६५४ की धारा ७३ के अन्तर्गत केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरियों की ही पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सीनियोरिटी की जायगी, अन्य कर्मचारियों की नहीं।

(ख) केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरियों की ही सर्विसेज़ उपरोक्त धारा के अन्तर्गत गवर्नमेंट सर्विसेज़ मानी जायेंगी अन्य कर्मचारियों की नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : क्या मन्त्रीजी बतायेंगे कि जब गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सीनियोरिटी तय करने का अधिकार पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में रखा है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों की सीनियोरिटी तय करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों नहीं भेजा जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : समझा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझा दूं साहब। म्युनिसिपेलिटीज़ का कानून बनने वाला है, उसमें व्यवस्था की जा रही है कि १००) रुपयों से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की सीनियोरिटी का निर्णय करने का अधिकार पी० एस० सी० को न सौंप कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरीज़ को सौंप रही है, यह क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कानून इससे पहले वाली विधान सभा द्वारा ही बनाया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार जरूरी समझती है कि इनकी सीनियोरिटी का निर्णय करने का अधिकार पी० एस० सी० को न

(श्री भैरोंसिंह)

सौंप कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरीज़ के हाथों में सौंपा जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

सारे डिस्ट्रिक्ट को रन करता है, उसके हाथों में ज्यादा अधिकार होने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ग्राम व तहसील पंचायतों को शासकीय अर्थ सहायता

६५. श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों तथा तहसील पंचायतों को कितनी कितनी आर्थिक सहायता प्रति वर्ष दी जाती है ?

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे प्रार्थना-पत्र पंचायतों की ओर से प्राप्त हुए हैं कि उक्त दी जाने वाली आर्थिक सहायता अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायतों तथा तहसील पंचायतों के लिए अधिकतम आर्थिक अनुदान का मापदंड निर्धारित करने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) तहसील पंचायतों को ५०० रुपया प्रति वर्ष व नई पंचायतों को एक सौ रुपया कार्यारम्भ हेतु सहायता दी जाती है ।

(ख) जी हां । समय समय पर इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आते रहते हैं । सवा छः प्रतिशत तक मालगुजारी जो पंचायत क्षेत्रों में वसूल होती है वह देने को सरकार ने निश्चय किया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या वह ऑर्डर बदल या है जिसमें यह रखा गया है कि इस प्रकार की अनुदान सहायता उन्हीं पंचायतों को दी जायगी जो निर्विरोध चुनी गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : पहले ऐसा ऑर्डर हुआ था कि सवा छः पर्सेन्ट उन्हीं पंचायतों को दिया जायगा जो निर्विरोध चुनी गई होंगी ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाकी के लिए कुछ कन्डीशन लगाने की बात है, अभी उसे एग्ज़ामिन किया जा रहा है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या मन्त्री महोदय समझते हैं कि जो अनुदान सहायता पंचायतों और तहसील पंचायतों को दी जाती है वह बहुत कम है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसीलिये तो सवा छः पर्सेन्ट का तय किया है ।

श्री अध्यक्ष : कुछ प्रश्न बाकी रह गये हैं । श्री सूबेदार सिंह, प्रश्न संख्या ७७ ।

उद्योग हेतु राजस्थान में विद्युत दरें

७७. श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में उद्योग के लिए विद्युत की दरें क्या हैं और यदि इन दरों में विभिन्नता है तो क्यों ?

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान में रोशनी आदि के लिए विद्युत की दरों में भी विभिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार ये दरें एक समान करना चाहती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) राजस्थान में उद्योग के लिये पॉवर सप्लाइ की दरें निम्नलिखित हैं :

१ छोटे उद्योग

जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डीग, गंगानगर, हिन्डोन, करोली किशनगढ़, निवाई, सागवाड़ा, सीकर शाहपुरा व टोंक	तीन आने या १६ नये पैसे प्रति यूनिट
जोधपुर....... १५०० यूनिट तक ज्यादा पॉवर उपभोग करने के लिये स्लाइडिंग स्केल	तीन आने छः पाई प्रति यूनिट या २२ नये पैसे।
भरतपुर....२०० यूनिट तक ज्यादा पॉवर उपभोग करने के लिये स्लाइडिंग स्केल।	तीन आने या १६ नये पैसे।
धौलपुर.......	साढ़े तीन आने या २२ नये पैसे प्रति यूनिट।
झालावाड़ ....चक्कियों (आटे की)	साढ़े तीन आने या २२ नये पैसे प्रति यूनिट।
छोटे उद्योग...	चार आने या २५ नये पैसे प्रति यूनिट।
कोटा........आटे की चक्कियां	साढ़े तीन आने या २२ नये पैसे प्रति यूनिट।
पांच हार्स पॉवर के उद्योग।	४ आने या २५ नये पैसे।
पांच होर्स पॉवर से अधिक के उद्योग	३ आने से ४ आने प्रति यूनिट।
अलवर........साढ़े चार हार्स पॉवर के लिए	चार आने या २५ नये पैसे प्रति यूनिट।
ज्यादा हार्स पॉवर के लिए स्लाइडिंग स्केल जैसलमेर.......	साढ़े चार आने या २८ नये पैसे प्रति यूनिट।

२. बड़े उद्योग

बीस हजार यूनिट प्रति माह से ज्यादा उपभोग के लिये दो आने या १२ नये पैसे प्रति यूनिट कोल क्लाज़ एड्जस्टमेन्ट को ध्यान में रखते हुए।

(ख) जी हां। पॉवर सप्लाई की दरें प्लान्ट की साइज़, बिजली उत्पादन के खर्च व बिजली की खपत पर प्रायः निर्भर रहती हैं।

(ग) यह सम्भव नहीं है क्योंकि दरों का चढ़ाव उतार प्लांट की साइज़, कॉस्ट

(श्री भीखाभाई)

ऑफ प्रोडक्शन, खपत इत्यादि पर निर्भर है। इस प्रकार जिन जिन पॉवर हाउस में समानता पाई गई उनकी दरें एक सी कर दी गई हैं और भी इस विषय में हमारे मुख्य अभियन्ता विचार कर रहे हैं।

(घ) जी हां। प्लान्ट की साइज, प्रोडक्शन कॉस्ट, व खपत पर ये दरें नियत की जाती हैं।

घरेलू कार्यों के लिए आम दरें प्रति यूनिट निम्न हैं :

जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर	६ आने ६ पा. या ४१ नये पैसे।
कोटा	६ आने ६ पा. या ४१ नये पैसे।
धौलपुर	७ आने या ४४ नये पैसे।
अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डीग, झालावाड, हिन्डोन, करौली, किशनगढ़, निवाई, सागवाड़ा, शाहपुरा, सीकर, टोंक.......	ने ६ पा. या ५० नये पैसे
जैसलमेर जिसमें जल्दी अदायगी करने के लिए एक आने की छूट दी जाती है।	६ आने या ५६ नये पैसे।

(ङ) इसका उत्तर 'ग' में दिया जा चुका है।

(नोट– प्रश्न में केवल 'क' 'ख' व 'ग' भाग हैं परन्तु माननीय मंत्री जी ने उत्तर 'क', 'ख', 'ग', 'घ' व 'ङ' भागों में दिया है।)

श्री सूबेदारसिंह : साहब न तो सुनाई ही दिया और न कुछ समझ में ही आया। मेरा प्रश्न इतना ही है कि दरों में विभिन्नता है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, है।

श्री सूबेदारसिंह : वह कितनी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो आपने बताया है।

श्री सूबेदारसिंह : वह तो कुछ भी समझ में नहीं आया।

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी कॉपी आपको दे देंगे, समझ लीजियेगा और कोई बात हो तो पूछ लीजियेगा।

श्री सूबेदारसिंह : पूछने के लिए समय मिलेगा कॉपी देने के बाद ?

श्री रामकिशोर व्यास : पूछ लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रश्नकर्ता खासतौर पर धौलपुर के बारे में जानना चाहते हैं तो वे ही क्यों न पूछ लें।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सूबेदारसिंह।

भूतपूर्व धौलपुर राज्य में सिंचाई की दरें

८०. **श्री सूबेदारसिंह** (बाड़ी) क्या सिंचाई : मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री सूबेदारसिंह)

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व धौलपुर राज्य ने सिंचाई की दरें इस प्रकार से निश्चत कर दी थीं कि एक बार पानी मिलने पर आधी आबपाशी ली जाएगी ?

(ख) यदि हां, तो क्या अब भी उस पर अमल होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार सिंचाई की सम्वत्, २००० से पूर्व की बकाया को माफ करने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(क) भूतपूर्व धौलपुर राज्य में सिंचाई की दरों में यह कहीं भी अंकित नहीं कि एक बार पानी मिलने पर आधी आबपाशी ली जायगी ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(ग) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सूबेदारसिंह : नहीं, ऐसा है कि धौलपुर में एक पानी मिलने पर आधी आबपाशी लेने के लिये महाराजा से हुक्म था और ऐसे आदेश काश्तकारों के पास मौजूद हैं और ऑफीसर्स को दिखा दिया जाता है, लेकिन वह आदेश मुआफिज़खाने से नहीं मिलता है, इसलिये इस पर कोई गौर नहीं किया गया है और पूरी आबपाशी ली जाती ।

श्री भीखाभाई : It is not a question. It is only an argument.

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या यह सही है कि एक पानी आबपाशी होने पर भी उनसे पूरे इरींगेशन चार्जेज़ वसूल किये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : It is not in accordance with the quantity of water given.

श्री भैरोंसिंह (१४) : पर ये रेट्स किस आधार पर निश्चित की गईं ?

श्री रामकिशोर व्यास : टोटल्ली एडहॉक बेसिस पर ।

श्री भैरोंसिंह : एडहॉक बेसिस किस वक्त से चल रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्टीग्रेशन से पहले ।

श्री भैरोसिंह : क्या यह सही है कि यह उचित नहीं समझते हैं कि इन्टीग्रेशन से पहले की जो रेट्स हैं उनको तब्दील किया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, सोचने की बात है और सोच रहे हैं ।

१२-१३ म. प.

कार्य-परामर्शदात्री समिति की स्थापना

श्री अध्यक्ष : एक बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी बनाई गई है जिसके सदस्य निम्न-लिखित हैं :

१. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
२. राजा श्री मानसिंह
३. श्री भैरोंसिंह (१४)
४. श्री हरिदेव जोशी
५. श्री चन्दनमल वैद

Page No.30

जनलेखा व प्राक्कलन समितियों के हेतु निर्वाचित सदस्य

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति सन् १९५७-५८ के चुनावों के हेतु नामजदगी के पर्चे कल दिनांक ८ मई, सन् १९५७ को ३ बजे सायं तक प्राप्त हुए थे, उनकी जांच कल ही पांच बजे सायं की गई थी। इस जांच के पश्चात् निम्नलिखित उम्मीदवारों के मनोनीत पत्र स्वीकार किये गये हैं :

जन लेखा समिति

१. श्री सहदेव
२. श्री भीमसेन
३. श्री सज्जनसिंह
४. श्री मानकचन्द कोठारी
५. श्री हरिदेव जोशी
६. श्री परसराम
७. श्री तनसिंह
८. श्री मुरलीधर व्यास
९. श्री महेन्द्रसिंह (६०)
१०. श्री होतीलाल
११. श्री सोहनलाल
१२. श्री भैरोंसिंह (१४)
१३. श्री ज्वालाप्रसाद

कलन समिति

१. श्री रामेश्वर दयाल
२. श्री चन्दनमल वेद
३. श्री जयसिंह रानावत
४. श्री जनार्दनराय नागर
५. श्रीमती गौरी पुनिया
६. श्री भोलानाथ
७. श्री सरदार सिंह
८. श्री हुकमसिंह
९. श्री मोहब्बतसिंह
१०. श्री भोगी लाल पंड्या
११. श्री मोतीलाल
१२. श्री धर्मपाल
१३. श्री गिरधारीलाल
१४. श्री मनरूप
१५. श्री अर्जुनदास तुलसीदास
१६. कुमारी शान्नो देवी
१७. श्री महादेव प्रसाद बंका
१८. श्रीमती सुमित्रा
१९. श्री जगदीश प्रसाद
२०. श्री हरिकिशन

जो सदस्य अपना नाम वापस लेना चाहें वे अभी सदन में वक्तव्य द्वारा, जिसमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जावे, वापस ले सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि नाम वापस लेने का समय कुछ बढ़ा दिया जाय। यदि आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक का समय दिया जाय तो सदस्यों को सहूलियत होगी और मेरा ऐसा ख्याल है कि चुनाव भी निर्विरोध हो जावेंगे।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : सदन की अगर ऐसी अनुमति है कि यह समय पांच बजे तक के लिए बढ़ा दिया, जाय, तो पांच बजे तक के लिए समय बढ़ा दिया जाता है। पांच बजे तक जो माननीय सदस्य ऐसा करना चाहें कर लें।

(विराम)

पांच बजे तक जो सदस्य अपना नाम वापिस लेना चाहें, लिखित में ऐसा कर दें। पांच बजे के बाद जो केन्डीडेट्स रह

जावेंगे चुनाव के लिए उनके नामों की घोषणा कर दी जावेगी।

अब बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा।

१२. १६. म. प.

आय–व्ययक पर सामान्य वाद–विवाद

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर निवेदन करने पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि अर्थ मंत्री महोदय ने जिस प्रकार बजट को प्रस्तुत किया है, मुझको ३०–३५ वर्षों के बजटों को सुनने का मौका आया है, मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि वे इस प्रकार खूबी के साथ प्रस्तुत किये गये थोड़े होंगे जैसा इन्होंने किया है और इसके लिए उनका यह प्रयास स्तुत्य और धन्यवाद योग्य है। मेरा निवेदन यह है कि इतना बड़ा बजट है और जो यह कार्यवाही हुई है उसमें १ करोड़ से ऊपर का घाटा है और उसके लिए निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें बहुत से कर ऐसे हैं जिनसे जनता के लिए ज्यादा दिक्कत का सवाल होगा, इसलिए मेरा नम्र निवेदन यह है कि बजट में ही कमी की जाकर, खर्चे की मदें हैं उनमें कमी की जाकर, जनता को इस प्रकार के बोझे से बचाया जाना निहायत आवश्यक है। जिस तरह से सेल्स टैक्स है, सबसे बड़ा पचास लाख का ही है, इसके अन्दर जैसा यह प्रश्न है उसके लिए निवेदन कर देना है कि "सेल्स टैक्स" से जनता को पहिले भी काफी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन फिर भी टैक्स बढ़ाया जायगा तो असह्य हो जावेगा। पहले जनता की ओर से जयपुर में १३–१४ दिन की हड़ताल हुई थी। मेरा यह निवेदन है कि यह बोझा व्यापारियों और उसके साथ उपभोक्ताओं, दूसरों को अखरेगा, इसलिए इसको कतई हटाना जरूरी है और कई खर्चे की मदें हैं उनमें कमी कर दी जावे। मेरा यह नम्र निवेदन है।

दूसरा आबकारी का जो बजट बढ़ाने का सवाल है, मैं यह निवेदन करूंगा कि गांधीवाद और साम्यवाद के लिहाज से देखा जाय और मैं यह भी निवेदन करता हूं कि हमारे महामना जो हरिभाऊजी उपाध्याय महोदय हैं उनकी कलम से एक्साइज़ टैक्स बढ़ाने की और उसके लिए लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करने का सवाल है। दूसरा सिंचाई है, मोटर टैक्स है, कृषि आयकर है, ये टैक्स ऐसे हैं कि काश्तकार और उनसे संबंध रखने वाले दूसरे बहुत से लोग हैं और इसके अलावा लेबर्स हैं, वे वैसे ही काफी दबे हुए हैं, तो मेरा निवेदन है कि यदि यह देखा जाए तो इस कहावत के समान है :

गज मुख ते तन्दुल गिरियो, घट्यो न ताहि अहार,
ले चली पिप्पलिका, पालन को परिवार।

गज के मुंह से एक चावल का दाना गिर जाता है तो कीड़ियाँ (चींटियें) उसे अपने सारे कुटुम्ब को पालने के लिये ले जाती हैं और हाथी के मुंह से गिर जाने से उसकी भूख पर कोई असर नहीं होता और घाटा नहीं होता है। इसलिये मेरा अर्ज करना यह है कि किसी सड़क के नीचे या बांध के नीचे या नहर के टुकड़े में या स्कूलों में या दूसरी ऐसी छोटी-मोटी चीजों को छोड़ दिया जावेगा तो इस प्रकार के बहुत से साधन निकाल भी सकेंगे और मेरा खयाल से कोई दिक्कत भी पेश नहीं आवेगी, क्योंकि एक करोड़ के घाटे के लिये पब्लिक को टैक्स करना उचित नहीं है, पब्लिक पर तो पहले ही टैक्सों का बोझ काफी है और इसमें बड़ी दिक्कत पैदा होगी। ऐसे ही टैक्सों के कारण अंग्रेजों को Bunkar's hill की लड़ाई में अमेरिका और बारदोली में भारत, नमक न निकालने देने की

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

रुकावटों से, खोना पड़ा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें थोड़ी बहुत ये भी हैं और लोगों के हृदय में अखरती भी हैं, मेरा यह निवेदन है और मैं पहले पहल बोला तब भी निवेदन किया था कि नगरों में जितना खर्चा होता है उतना किसी दूसरी जगह नहीं होता है। वैसे नगरों में खर्चे होते हैं वे "More luxury than necessity" होती है। गरीब जनता से आधा या तीसरे हिस्से का खर्च पाठशाला, डिस्पेन्सरी जैसे आवश्यक कार्यों में दिये बिना आप यह चीज नहीं खोलते व शहरों में बिना मुआवजा लिये खोलते हो। आप लोग यह कहें कि मैं ही बतलाऊं कि किस किस में कमी हो सकती है। इसके लिये एक कमेटी मुकर्रर हो। मैं खुद भी हाजिर हूँ। मैं भीकमेटी में हाजिर होकर निवेदन कर सकता हूं। इसके अलावा फाइनेन्स मिनिस्टर और नीचे के महानुभाव हैं वे चाहें तो एक करोड़ के घाटे को टैक्स वगैरह लगाये बिना ही पूरा करने में कठिनाई नहीं होगी। मैं इसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं समझूंगा। थोड़ी सी मुट्ठी सख्त करने से ज्यादा व तंग करने में बचत हो सकती है। फर्ज करो एक साल ऐसे टैक्स लगा दिये तो वे फिर बन्द थोड़े ही होने हैं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट इनमें और दूसरे डिपार्टमेंट; जैसे शिक्षा संस्थाएं हैं, जैसे मेडिकल है, इन चीजों में बाज वक्त, मैंने खुद उसमें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में काम किया है, मुझे मालूम है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, एक जगह ऐसी आती है कि जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्कूल है वहां दूसरे डिपार्टमेंट या लाइन का स्कूल है और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां स्कूल ही नहीं हैं। कहीं कहीं दो दो, तीन-तीन मील में एक से ज्यादा स्कूल उपलब्ध होते हैं और किसी जगह दस-दस मील के अन्दर भी नहीं हैं। इसलिये मेरा खयाल है कि इन सब जगहों के लिये अलग-अलग विभागों का प्रबन्ध न होकर एक ही विभाग का प्रबन्ध होना चाहिये, क्योंकि ज्यादा ओफीसरों के लिए ज्यादा अहलकार और ज्यादा मीनियल्स की जरूरत होती है। सब ज्यादा होते हैं। बाज समय उनकी बजाय एक ही प्रबन्ध से चलाया जाए इससे ओवर-लेपिंग कम हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाय तो लाखों रुपयों का ओवर-लेपिंग कम हो सकता है। बांध और तालाबों में देखा जावे तो कमी हो सकती है, मेरा निवेदन यह नहीं है कि इस प्रकार की चेष्टा की जावे कि जहां नहरें और बांध हैं उसमें कमी की जावे। आज हमारे सामने दो बड़ी जबर्दस्त स्कीमें अवलंबित हैं, एक तो भाखरा का प्रश्न है इससे संबन्धित है; दूसरी बड़ी चम्बल की स्कीम है। ये दोनों ही स्कीमें करोड़ों और अरबों रुपयों की स्कीमें हैं और हमारे ऊपर करोड़ों रुपयों का प्रश्न आता है, मैं पहले भी राजाओं के समय में और अब भी जब प्रश्न आता है मैं यही कहता हूं कि ऐसी स्कीमों को जल्दी से जल्दी काम में लाना बढ़िया और ऊंचे दर्जे का प्रश्न है। क्योंकि इसमें जो रुपया खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट होता है वह uncalcwlable gain है। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि ये सब चीजें पहले होनी चाहिये। वे रुक भी नहीं सकतीं, क्योंकि ये चीजें inter-provincial, inter-statal, inter-governmental होती हैं, इससे ऐसा प्रश्न आता है जिनको कि हम छोड़ नहीं सकते और उनको

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

लेना और जितना जल्दी हो सके लेना आवश्यक होता है। तथापि इन चीजों अलावा के और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि दोनों ही दलों के मेरे साथी और भाई यहां पर विराजमान हैं, वे यह नहीं समझें कि मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि मेरे प्रान्तीयता के भाव के कारणों के लिए कह रहा हूँ, यह नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां जितना चंबल से भी और चंबल की स्कीम से ज्यादा लाभ अगर किसी को होगा तो वह उदयपुर, कोटा, बूंदी और कुछ सवाई-माधोपुर को और ज्यादातर मध्यप्रदेश को भी होगा। उन हिस्सों में पहले ही पश्चिमी राजस्थान से चौगुनी वर्षा होती है जिसके कारण बिना पिलाई दोनों खेतियें होती हैं और जमीन में भी पानी की प्रधानता है और टैक्स लगेगा सब ही भागों पर और उनको दिक्कत में अर्थ मन्त्री महोदय नहीं पटका जावे, लेकिन इसके साथ ही और भी स्कीमें पुराने राजस्थान में सबसे पहले बनी थीं उनको महत्व दिया जाना में ज्यादा ठीक नहीं समझता। ५० लाख की जो स्कीम है उनमें से अगर देखा जावे तो Lion's Share ज्यादा हिस्सा मेवाड़ और उस हिस्से को मिल रहा है व मिलेगा, मुझे रत्ती भर इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि वहां पर क्यों हो रहा है, यहां तो आवश्यकता इस बात की है कि जहां तक हो सके, एक साल आगे-पीछे का सवाल है, जहां सैकड़ों शताब्दियें बीत चुकी हैं तो एक-दो साल में कोई बात नहीं है। मेरा विचार है कि यह आदमी जरूर सोच सकता है कि यही प्रश्न राजाओं के खत्म होने का कारण रहा है और बड़ी-बड़ी बादशाहत और बादशाह इसी कारण से खत्म हो गये, वे इसी नियम में लुप्त होकर खत्म हो गये। उनमें यह बात थी कि एक आदमी तो चार, पांच और ६ वक्त खाना खाता है और वह खुद डाक्टर और वैद्य का मुंह ताका करते थे जिससे उनकी बदहजमी दूर हो और एक तरफ भूखा आदमी है उसको और उसके बच्चों को एक वक्त भी खाना नहीं मिलता है। देखना यह है कि किसको पहले देना चाहिये। कई जगहें ऐसी हैं जहां पर जरूरत ज्यादा हैं और उनको पहले लेना चाहिये। जैसे बाडमेर का हिस्सा राजस्थान का, जयपुर और शेखावाटी का हिस्सा आदि बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिनमें बहुत दिक्कतें होती हैं, उसके लिये पहले प्रबन्ध होना निहायत जरूरी है। कई जगह ऐसी हैं जहां ६०-६०, ७०-७० हाथ नीचे पानी मिलता हैं, वहां पर यदि कुए और तालाब और बांध नहीं बने और देरी से बने या विलंब हो तो लोगों को पक्षपात व क्षोभ का कारण होगा। इर्रिगेशन के ऊपर बजट करीब ५० लाख रुपये का है। उसमें से अगर आप देखें तो मेजा के बांध पर ६ लाख के करीब, उम्मेद-सागर और पारवती स्कीम, नाहरसागर, बल्लभनगर, बनास प्रोजेक्ट, खारी स्टोरेज स्कीम, वेस्ट बनास प्रोजेक्ट; तो इस तरह से आधे से ज्यादा तो कोटा, उदयपुर ही में खत्म हो जाता है जो वन फोर्थ (one fourth) से कम हिस्से में आ जाता है इनमें से कुछ रकमें आसानी से अगले वर्षों में डल सकती हैं और गरीब जनता ऐसे टैक्सों से बच सकती है। एक तरह से देखा जाय तो राज्यपाल महोदय के बजट के ऊपर थोड़ा सा दृष्टिपात किया जाय तो वहां साढ़े तीन लाख के करीब उनके ऊपर खर्चा है। यह वह समय है कि जिस समय में ऐसा भी हुआ करता था कि पहले भी राजा लोग व ऊंचे से ऊंचे दर्जे के काम करने वाले भूखे

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

रह जाते थे और उस समय यही आशा की जाती थी बड़ा आदमी भूखा रहे और छोटे आदमी को ज्यादा मिले। यही शब्द स्वर्गीय महामना बापू के थे और यही सिद्धान्त लेनिन और ट्रॉटस्की और कार्ल मार्क्स के रहे हैं कि भूखों को पहले भोजन मिले और बड़े आदमियों को फिर मिले।

अगर इसके बाद राज्यपाल महोदय के समय बजट के ऊपर तारतम्य किया जायगा तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बहुत सी ऐसी मदें होंगी कि जिनसे उनको प्रेरणा मिलेगी और मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आगे जो बजट बनने वाला है, और पहले भी यही सोचा गया था कि एक करोड़ से ज्यादा की कमी शायद ही रहे। बजट दो तरह से बनता है। एक तो इस तरह से बनता है कि उसके बनाते समय यह देख लिया जाता है कि बारिश आगे हो जायेगी और सब ठीक हो जायेगा। दूसरे इस तरह से बनता है कि यह सिद्धान्त देख लिया जाय कि बीस, पच्चीस या पचास लाख का मार्जिन रख दिया जाय। तो मेरा निवेदन यह है कि यह एक बड़ी भारी जबरर्दस्त प्रेरणा मिलेगी, अगर वह इस तरह से वालन्टियर करें। अगर उनको इसके लिए निवेदन किया गया तो वह जरूर वालन्टियर करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका असर सम्पूर्ण भारत पर पड़ेगा। मिनिस्टर्स हैं जिनको मोटरों में आना जाना पड़ता है, उनके वेतनों का भी सवाल है, उसमें भी कटौती करेंगे तो यह भारतवर्ष के और दूसरे प्रान्तों के सामने एक उदाहरण होगा, महात्मा गांधी व करेल में भी ५००) मासिक से मिनिस्टरों का वेतन ज्यादा नहीं होने का कहा गया है। मैं इस वास्ते निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं एक व्यक्तिगत चीज नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक तंगदस्त हैसियत वाला जागीरदार हूँ और जो केवल इसी साल इसी चुनाव में खड़ा हुआ हूं और वालन्टियर करता हूँ कि अपना आधा भत्ता और जरूरत पड़े तो सारा भत्ता भी देने के लिए तैयार हूँ, अगर वे महानुभाव आगे बढ़ें। मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चार साल काम किया है, मैंने कई जगह बड़ी बड़ी जगह राजाओं के पास काम किया है, लेकिन कभी भी एक पैसा नहीं लिया है। मैंने जहां जहां काम किया है वहां मैंने ऑनरेरी रूप में कार्य किया है और अब भी मैं वही परिपाटी कायम करने को तैयार हूं। अगर इन महानुभावों के अन्दर इस प्रश्न को आगे उठाने के लिए सामर्थ्य हो तो यह बड़ा स्तुत्य होगा।

मेरा एक छोटा सा निवेदन है और वह चीज एक दिन व्यक्तिगत थी। व्यक्तिगत चीज को सामने लाना मैं अनुचित समझता हूँ लेकिन बाजवक्त में जब उनकी विभिषिकायें बदल जाती हैं, तो उस स्थिति में उन्हें सामने लाना कोई हर्ज नहीं है। हर एक आदमी मुझको, जो सामने की सीट पर महानुभाव हैं वह माफ करेंगे, बाजवक्त ऐसा समय होता है जैसे एक तरह से फीलियल लव (fillial love, संतति के जरिये प्यार) होता है उसमें कुदरती सवाल रहता है। मैंने साठ-सत्तर हजार के जागीरदार ने, जिसकी आय सेटलमेंट के हिसाब से बारह-तेरह हजार के ऊपर आकर पड़ती है, उसने, आज के ६४ साल पहले हाई स्कूल, आज से १५ साल पहले एस० के० इन्टर कॉलेज और एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेज को १२ वर्ष पहले स्थापित किया था। मुझे एक बात को देखते हुए खेद होता कि १० वर्ष इसको एग्रीकल्चर कॉलेज का डिग्री

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

कॉलेज हुए समय हो गया। बहुत से विद्यार्थी वहां से निकल चुके हैं। सेन्ट पर्सेंट वहां का रिज़ल्ट निकला और एक भी विद्यार्थी थर्ड क्लास में पास नहीं हुआ, सभी फर्स्ट क्लास और सैकिण्ड क्लास रहे हैं। उस संस्था के अन्दर सवाल यह रहा है कि, मेरी बदकिस्मती से, जब On the eve of the resumption of my Jagir मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैंने एक एक कील कांटा अपने घर की औरतों का बेचकर इस संस्था को चलाया है। जिस समय सीकर, खेतड़ी उनियारा, शाहपुरा, आदि अपनी संस्थाओं को १० वर्ष पहिले छोड़ चुके थे उस समय एक भिखारी की जीर्ण-क्षीण गुदड़ी की तरह से इस संस्था को तीन वर्ष पहले तक मैंने कांटों व कंकरों में इसे घसीटा। तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उसके ऊपर कुछ ऐसी शनि की दशा रही जिससे इसका मिटना बाकी नहीं रह गया था, वह आखिरी सांस ले रही थी। इस एसेम्बली के अन्दर इसी तरफ के सदस्य नहीं, लेकिन मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पक्ष के जितने भी महानुभाव हैं उन्होंने उसे जबरदस्ती के साथ में भाग लिया और लड़े कि वह संस्था बचा ली गई, और रह गई। जिसके लिए आज भी यह जो भावना है वह रिसाउन्ड करती है, भवन की इन दीवारों के बीच में, सबसे पहले हमारे जो श्रीमान् अध्यक्ष महोदय हैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार लड़ कर हमारी संस्था को बचाने के वास्ते जो प्रयास किया था उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ ....

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह का जिक्र न करें तो ठीक होगा।

श्री नरेन्द्रसिंह : एक्स-कृषि मंत्री के नाते आपको धन्यवाद दिया है, फिर तो कोई हर्ज नहीं है। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने भी बड़ा अच्छा प्रबन्ध करके उसको बचाने की कोशिश की ही, उनका भी आभार मानता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फिर लड़े किस से ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : लड़ूंगा मेरे व मेरी संस्थाओं के भविष्य के लिये; भविष्य से और आपसे लड़ूंगा सब से पहले, इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। आज मेरी सिच्यु-एशन दूसरी हो गई है। मैं आज एक एम. एल. ए. भी हूं, मैं मेरी आवाज जनता तक पहुंचा सकता हूँ। जिस वक्त हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने कृपा फरमाकर मेरी संस्था के लिये यह प्रबन्ध किया उसमें उन्होंने एक लाख ६२ हजार रुपये की रकम रखी रैकरिंग में; इसके विपरीत ५ लाख ८८ हजार ५ सौ रुपये उदयपुर की संस्था के वास्ते इस ही रैकैरिंग खर्च में रखी है और नोन रैकैरिंग में जोबनेर में १६५०००) रखे हैं। व उदयपुर कॉलिज के वास्ते इसही मद में ८८५०००) रखा है। आपने सब सीनियर स्टाफ उदयपुर भेज दिया, उदयपुर और जोबनेर में, रैकैरिंग खर्च में उदयपुर से ४२३५०००) का खर्च सिवाय रखा है व नोन रैकैरिंग खर्च में उदयपुर में ८८५०००) और जोबनेर में १६५०००) मात्र रखा है, जो जोबनेर से ७२०००) खर्च रखा है। उदयपुर दो वर्ष से चल रहा है व मेरा १० वर्ष से वही डिग्री कॉलेज चल रहा है व इस फाइव इयर्स स्कीम व उदयपुर कृषि कॉलेज के बनाने के पहले गवर्नमेंट ने जोबनेर कॉलेज को सम्भाल लिया और अमेरिकन एन्ड सेन्टर की एड आदि से

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

उदयपुर लाभ उठाता है व जोबनेर नहीं, खेद है। यह पक्षपात और क्षेत्रिय भावना कहां जाकर रुकेगी, जबकि दोनों संस्थाओं को एब्सेल्यूट पैरिटी के साथ चलाने का गवर्नमेंट का संकल्प है।

उदयपुर कृषि कॉलेज में जोबनेर से सिवाय १,१४,२५,०००) कम खर्च इस वर्ष नहीं करें तो गरीब प्रजा तो टैक्सों के भार से भाराक्रान्त न हो और गवर्नमेंट एक ही प्रकार की संस्थाओं में पक्षपात व क्षैत्रीय भावना के कलंक से बचे, नहीं, वैसी सूरत में जनता बराबर लड़ती रहेगी। जहां तक इस संस्था के चलाने का सवाल है उसके लिये तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, जिस संस्था के लिये मैंने दस वर्ष तक भूखा रह कर उस को चलाया है।

मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि आज जब बजट के घाटे की पूर्ति के लिये गरीब जनता पर टैक्स लगाने की सरकार सोच रही है तो आपको यह सोचना चाहिये कि राजस्थान का बजट भूखे राज का बजट है, यह यहां के निर्धन समाज का बजट है जो पहले से ही भाराक्रान्त है, उस बजट को जहां तक हो अपने व्यक्तिगत खर्चे को कम करके उसकी कमी को पूरी करने की चेष्टा करें। आप अपने मोटरों में कमी करके ज्यादातर मेज के पास बैठ कर कार्य करें तो जो कागजों का कचरा पड़ा रहता है उसमें भाड़ू भी लग सकती है। कोरे एड्रेसेज, वाहवाही और आगे के चुनाव में विजयी होने के लिए मार्ग साफ कम करें। मैं बल के साथ निवेदन करता हूं, आप केरल बन कम्युनिज्म को भाले दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक बात की ओर आर्षित करना चाहता हूं, बजट पर सामान्य वाद-विवाद के लिये दो दिन का समय निर्धारित है। उसमें माननीय वित्त मन्त्री जी और उनके साथियों का भी जवाब सम्मिलित है। इसलिये अब जो भाषण होंगे वे पन्द्रह मिनिट से ज्यादा न हों इस बात का माननीय सदस्यगण ध्यान रखें।

श्री मदनसिंह (दांता-रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष, बजट जो हमारे सामने आया है उस पर बहस के लिये काफी समय मिलना चाहिये। बजट का अध्ययन हम कर आये हैं और हमने बोलने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस बजट में बहुत सी खामियां हैं जिसकी ओर सदन का ध्यान दिलाना है। जनता का जो रुपया इसमें खर्च होता है उसका कुछ फायदा भी हुआ या नहीं, इन सब बातों पर प्रकाश डालने के लिये, मैं तो समझता था एक घंटे का समय दिया जायगा। अगर एक घंटे का समय नहीं दिया जाता है तो कम से कम आध घंटे का तो समय मिलना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस बजट पर सामन्य वाद-विवाद के समय तो बोला ही जा सकता है। इसके अलावा कट मोशन्स पर भी काफी समय बोलने का मिलेगा। अगर माननीय सदस्यगण शनिवार को बैठने को तैयार हों तो बजट पर सामान्य वाद-विवाद के लिये एक दिन और दिया जा सकता है।

श्री मदनसिंह : जब इस बजट का अध्ययन करने के लिये दो दिन का समय दिया गया तो हम यह सोचते थे कि इस पर बोलने के लिये भी काफी समय दिया जायगा।

Page No.37

(श्री मदनसिंह)

इसलिये पहले हमें यह बात तय करनी होगी कि शनिवार को बैठने के लिये तैयार है या नहीं ? मेरा यह निवेदन है कि इस पर बहस के एक दिन और बढ़ा दिया जाय तो बहुत अच्छा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपकी जानकारी में है कि श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब वाद-विवाद हो रहा था उस समय निश्चित तौर से यह कहा गया था कि इस पर बोलने का समय बढ़ा दिया जाय, बजट पर जब सामान्य वाद-विवाद होगा उसमें समय कम लगेगा ; उस वक्त ज्यादा लोग बोलने चाहते थे । उस अभिभाषण पर माननीय सदस्यगण ज्यादा बोले, इसलिये उसमें एक दिन ज्यादा लगा, इसलिए इस बजट पर समय बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं होना चाहिये । एक दिन जो हमने ज्यादा उसमें लगाया उसको पूरा करना तो दूर रहा इसमें ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आखिर हम एसेम्बली में आये किस लिये हैं; इस कारण कि हम बजट पर अच्छी तरह विचार कर सकें । सारे प्रान्त की आर्थिक नीति का दारोमदार इसी बजट पर है । यदि इस पर भी ठीक ढंगसे विचार करके पास नहीं किया गया तो बड़ी मुश्किल होगी । मैं समझता हूं इसमें अगर काफी समय भी लग जाता है तो आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये । जिन्हें आपत्ति है वे न आवें और न बोलें । मेरा यही निवेदन है कि इस पर बोलने के लिये काफी समय मिलना चाहिये और एक दिन जरूर बढ़ना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर बोल सकते हैं, इसके अलावा कट-मोशन्स के समय भी बोल सकते हैं । इसके अलावा बजट की अलग अलग डिमान्डस पर कट मोशन्स रखे जा सकते हैं और उन पर विवाद हो सकता है ।

श्री मदनसिंह : ऐसी ही मन्शा है तो शनिवार को छुट्टी मनाइये, मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

श्री अध्यक्ष : पन्द्रह मिनिट तक ही अपना भाषण सीमित रखें ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, समय के सम्बन्ध में जो पाबन्दी लगाई गई है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि गये साल का भी जो बजट था और उस समय भी जब कि राजस्थान विधान सभा के १६० सदस्य थे, तब भी ३ दिन की बजट पर चर्चा रही और आज भी जब कि पहले से ज्यादा सदस्य हैं और पहले वाला बजट भी इतना घाटे का नहीं था और इसके साथ ही साथ इतना बड़ा भी नहीं था तो इस दृष्टिकोण से इसके लिये चर्चा का समय भी लम्बा चाहिये, तो मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए मुझे समय देने की कृपा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी ।

राजस्थान का सन् ५७-५८ का जो बजट वित्त मन्त्री महोदय ने सदन में प्रस्तुत किया है उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार

Page No.38

(श्री मुरलीधर व्यास)

आपके सामने रखना चाहता हूँ। जहां तक बजट का सवाल है, मैं महसूस करता हूं कि हिन्दुस्तान की जो आर्थिक स्थिति होती है, केन्द्र का जो बजट होता है और इसके साथ ही साथ उसकी जो इस समय आर्थिक स्थिति है, उसका असर भी सारे प्रान्तों पर पड़ता है। इस दृष्टिकोण से मैं महसूस करता हूं कि आज हिन्दुस्तान की जो आर्थिक हालत है वह अत्यन्त ही दयनीय है और जो हिन्दुस्तान के आजाद होने से पहले का हमारा स्टर्लिंग बैलेन्स था उसमें भी काफी फर्क पड़ गया है। उस समय हमारा स्टर्लिंग बैलेन्स १५३० करोड़ का था जो आज करीब ४६० करोड़ के आसपास रह गया है। एक तरफ तो यह स्थिति हो गई; दूसरी तरफ हमारे देश पर जो कर्जा था वह करीब २२०० करोड़ था पहले, जो आज ४ हजार करोड़ का हो गया। यह जो वस्तुस्थिति सारे देश की है इसका क्या असर सारे राज्यों पर होगा और इसके साथ ही साथ हमारे बजट पर जो उसका असर पड़नेवाला है, तो उसका आम लोगों पर क्या असर होगा, यह दृष्टिकोण भी हमें अपने सामने रखना चाहिये।

जहां तक मैं समझता हूं हम कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय पहले से बढ़ी है, देश का धन बढ़ा है, परन्तु इसके साथ ही साथ हम इस बात का भी ख्याल रक्खें कि रुपये की कीमत भी कम हो गई है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय के बढ़ने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप कह सकते हैं कि हमारे देश की धन-दौलत बढ़ी, राष्ट्रीय आय बढ़ी, यह बढ़ी जरूर, मैं भी मानता हूं, पर रुपये की कीमत चार आना-बारह आना हो जाती है तो इस बढ़ने का क्या अर्थ रह जाता है? इस बढ़ने का फायदा किसी व्यक्ति को नहीं मिलता।

आज आप यह कहते हैं आपने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पांच रुपये बढ़ा दिये, पर इसके साथ अगर आपने उस पर पांच रुपयों का दूसरी तरफ से बोझा डाल दिया तो उसके लिये इस पांच रुपये का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो यह समन्वयात्मक दृष्टिकोण हमारे सामने रहना चाहिये और इसके साथ ही साथ इसका क्या असर जनता पर पड़ता है, इसका भी ध्यान हमें रखकर चलना चाहिये।

१२.४२—म० प०

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं राजस्थान के पिछले पाँच-चार साल के बजट को, पंच वर्षीय योजना को और उसके खर्च को देखता हूँ और गहराई के साथ देखता हूं तो मेरा ख्याल यह बनता है कि जिस दृष्टिकोण को लेकर हमारी प्रथम पंच वर्षीय योजना चली, योजना का जो उद्देश्य बताया गया उसका ख्याल नहीं किया गया। उस योजना के अन्तर्गत कहां कहां, किस प्रकार से खर्च किया जावे, क्या क्या कार्य किये जावें, किस प्रकार योजना बननी चाहिए कि जिससे आम जनता के जीवन का स्तर बढ़े, इसका ध्यान नहीं रक्खा गया। आज तो इस योजना का सम्बन्ध कुछ लोगों से ही रहा। कुछ लोग बैठ गए और उन्होंने चर्चा कर के कुछ ने कह दिया कि हमारे यहां बान्ध बनना चाहिए, हमारे यहां कुए खोदने चाहिये, कुछ ने कहा हमारे यहां यह होना चाहिए, हमारे यहां वह

(श्री मुरलीधर व्यास)

होना चाहिए और इतनी सी बात को लेकर सारा रुपया खर्च कर दिया गया। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि काम हुआ पर योजनाबद्ध काम नहीं हुआ। समाजवाद का जब हमारा लक्ष्य बताया जा रहा है तो फिर उसके लिए तो बड़े वैज्ञानिक आधार पर योजना बनाई जाती है, मनुष्य-मनुष्य के समान उत्थान का ध्यान रक्खा जाता है, जो पैसा किसी भी काम में लगा रहे हैं उससे सबका उत्थान होगा या नहीं यह दृष्टिकोण इस योजना में होना चाहिये और मैं यह समझता हूँ कि इस दृष्टिकोण को न प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही सामने रक्खा गया और न द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही इस बात का खयाल रक्खा गया है।

जहाँ तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का सवाल है उसमें जमीन की सिंचाई को बढ़ाने की बात मद्देनजर रक्खी गई। इसमें धन भी लगा। इसके अतिरिक्त दूसरा जो धन लगा वह योजनाबद्ध नहीं लगा। मैं फिर यह कहता हूं कि सिंचाई की योजनाओं के साथ साथ उद्योग अगर नहीं बढ़ेगा और इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध नहीं बनेगा तो इस योजना से जनता को पूरी राहत नहीं मिल सकेगी। पहले भी और इस १९५६-५७ के बजट भाषण के दौरान में वित्त मन्त्री महोदय ने भी कहा है कि राजस्थान के अन्दर आर्थिक सन्तुलन जो बनाये रखने के लिए, वस्तुओं के भावों को ठीक ढंग से रखने के लिये, हर आदमी को लाभ मिले इसके लिये आवश्यक है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास किया जावे। पर जहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खर्चा हम देखते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान औद्योगिक दृष्टिकोण से सारे देश से पिछड़ा हुआ है। किसी भी प्रान्त को आप ले लीजिये, किसी भी प्रान्त के किसी भी अच्छे औद्योगिक शहर से यहाँ की तुलना कीजिये तो इसका पता लग जावेगा कि हम कितने पिछड़े हुए हैं। मध्यभारत के एक नागपुर शहर को ले लीजिये। हर एक शहर में जितने उद्योग मिलेगें उतने सारे राजस्थान के मिलाकर भी नहीं होंगे।

मैं इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अब तक जो सिंचाई की और नहरों की योजनायें बनीं, उनमें से हमने इस बात का कितना ख्याल रक्खा रक्खा कि उस आम जनता को, उन डेढ़ करोड़ निवासियों में से अधिक से अधिक को इसका लाभ मिले। जमीन का लाभ कितने लोग उठा रहे हैं, हमें यह भी देखना चाहिये। साथ ही साथ जमीन पर काम करने वाले लोगों को किन किन चीजों की आवश्यकता है और उनकी हम किस प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ दूसरे लोग जो जमीन पर निर्भर नहीं हैं उनके जीवन-स्तर को उठाने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिये। इस ओर परस्पर समन्वायात्मक कदम सरकार की ओर से नहीं उठाये गये हैं और हम अभी इस ओर की प्रगति से बहुत दूर हैं।

बजट के आंकड़ों को आप गहराई से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस दृष्टिकोण से हमने सिंचाई योजनाओं में और औद्योगिक योजनाओं में सामन्जस्य नहीं बिठाया है। जब कि पहले बजट में वित्त मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है कि अगर यह सामन्जस्य नहीं बैठा और आपसी सम्बन्ध नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

बना तो आर्थिक संतुलन हमारा बिगड़ जावेगा और आम लोगों को जो राहत देने की बात हम कर रहे हैं वह नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ कि राजस्थान में पचास लाख आदमी ऐसे हैं जो शहरों में, कस्बों में और उनके आस पास रहते हैं, उनकी बेकारी को मिटाने के लिये जब तक आप काफी उद्योग धन्धे नहीं खोलेंगे तब तक आप दूसरी तरफ चाहे कितना ही विकास कर लीजिये, अनाज बढ़ा लीजिये, उनको बेकारी को मिटाकर उनको राहत नहीं पहुँचा सकेंगे। साथ ही साथ गांवों में भी जो बेकार बैठे हैं उनको राहत नहीं मिलेगी।

इस बजट के अन्दर द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी जो खर्चा बताया गया है उस सिलसिले में यह बताया नहीं गया कि राजस्थान के अन्दर औद्योगिक विकास के लिए किन किन इलाकों में क्या क्या काम होंगे। जहाँ तक योजना के उद्देश्य के स्पष्टीकरण का प्रश्न है साफ लिखा है कि इस द्वितीय योजनाकाल में २० प्रतिशत रुपया औद्योगिक कार्यों में खर्च होगा, केन्द्र ने भी इसको मान्य किया है और केन्द्र के संबन्ध राज्यों के साथ होने चाहिये। २० प्रतिशत रुपया काफी है क्या, आज हमें यह देखना है। और जो भी उद्योगिक नीति है, चाहे आपने कुछ रुपये लगाये हैं मैं यह मानने को तैयार हूँ, लेकिन इस उद्योगिक नीति से राजस्थान को कोई लाभ नहीं होगा। आज लाखों रुपये पैसे वालों को उधार देकर उद्योग खोलें तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यह इतिहास बताता है कि पैसे वालों को चाहे कितनी ही मदद दी जाय उन्होंने कभी देश के उत्पादन को आगे बढ़ाने की ओर कदम नहीं बढ़ाया है। आप अगर इस बात को देखना चाहें तो सन् ४५ से पहले जब यहां पर अंग्रेजों का राज्य था तब अङ्गरेजों ने इनसे कर्जा मांगा था। समय करोड़ों रुपये इन पूंजीपतियों ने अङ्गरेजों को दिये थे और देश की आजादी के बाद एक पैसा भी इन पूंजीपतियों ने देश के लिये नहीं दिया है। इसलिये उनको देने से देश में उद्योग का विकास हो नहीं सकता और यह दृष्टि कोण नहीं बनता।

१.०१. म० प०

एक सीमेन्ट की फेक्ट्री के लिये लाखों रुपये लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे राजस्थान के लोगों को लाभ होगा? मैं यह मानकर च ाता हूं कि इससे राजस्थान के लगों को कोई लाभ नहीं होगा। सीमेन्ट यहां से बाहर जाएगी। दूसरे इलाकों में जायगी तो देश की जरूरत कुछ अंशों में पूरा करेगी, लेकिन मुनाफा करेंगे पैसे वाले लोग ही और आम लोगों को मुनाफे का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। रुपया लगाया ही जाय तो मैं समझता हूं उर्वरा भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये खाद की हमारे यहां बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन खाद यहां बाहर से आती है। हमने बहुत पहले कहा था और मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा कि फर्टिलाइज़र फेक्ट्री हमारे यहां खुलेगी, इसके लिये उद्योग किया जायगा। आज यदि हमारे रुपये फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में लगते हैं और हमारे यहां फर्टिलाइज़र फैक्ट्री खुलती तो जमीन को खाद मिल जाता और राजस्थान की जनता को लाभ मिलता। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फर्टिलाइज़र फैक्ट्री खोलने की योजना सामिल नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुख्य मन्त्री के द्वारा भी इसके लिए

Page No.41

(श्री मुरलीधर व्यास)

कोशिश की गई, प्रस्ताव भी पास करके भेजे गये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यह राजस्थान के लिए मुख्य सवाल था जिसके लिये राजस्थान सरकार को लड़ना चाहिये था। मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा था कि उनके उम्मेदवारों को चुनाव के लिये सीट नहीं मिलीं तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। लेकिन वह यह कहते कि फर्टिलाइज़र फैक्ट्री राजस्थान में नहीं खुली तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, तो कोई दृष्टिकोण हमारे सामने आता। उद्योग की उन्नति के लिये कोई खास चीज नहीं की गई है। दूसरा दृष्टिकोण रखा है विकास के साथ विषमता दूर करने का, परन्तु चतुर्थ क्लास के कर्मचारियों की तनख्वाह कम है उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है, लेकिन जिनकी तनख्वाह पहले ही बहुत थी उनकी और बढ़ाई गई है। इसके बारे में सारे राजस्थान में काफी चर्चा हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान में कोई भी आकर देखे तो वह यही कहेगा कि वाकई कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। क्या यह बढ़ोत्तरी समाजवाद के दृष्टिकोण से हुई है? इसके लिए कोई भी कमेटी बैठाई जाय तो वह यही कहेगी कि समाजवाद का दृष्टिकोण नहीं है। वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा है कि जिनका जीवन-स्तर नीचा है उनके स्तर को ऊंचा उठाना है और इसके लिये कोशिश की जायेगी और जिनका ऊंचा है उनका कम करने की कोशिश की जायगी। आप कहते हैं समाजवाद की बात, लेकिन एक ओर जो टीबे हैं उनको छूवेंगे नहीं और जहां खड्डे हैं उनको बुरा देंगे तो ये बूरे नहीं जा रहे हैं और अधिक गहरे होते जा रहे हैं और टीले और भी ऊंचे होते जा रहे हैं। समाजवाद का दृष्टिकोण इस बजट के साथ नहीं है। जब तक इस दृष्टिकोण को अपनाया नहीं जायगा तब तक यह बजट विषमता को फैलाने वाला होगा। इसमें जो दृष्टिकोण है उसकी पूर्ति नहीं होगी और जो बातें मंत्रीजी ने कही हैं उनकी पूर्ति नहीं होगी। हमें इस दृष्टिकोण के साथ राजस्थान के खर्च को देखना चाहिये कि कहां किस प्रकार रुपये लग रहे हैं और कहां किस प्रकार की उपेक्षा की गई है। जैसा मैंने पहले कहा, बजट में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिये, वह यह होना चाहिये कि डेढ़ करोड़ लोगों की भलाई कैसे हो? कौन व्यक्ति किस चीज को करता है, उससे आम लोगों को शिकायत का मौका तो नहीं मिलता है, कहीं पक्षपात तो नहीं हो रहा है। आज पानी के संबंध में बात सोचते हैं तो पानी की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है, खास कर गर्मी के समय में। इसके लिये हम सोचते हैं कि पानी इकट्ठा करने के लिये रिज़र्वोयर या टंकियें होनी चाहिये। यहां मुख्य मंत्रीजी ने, स्वयं ने, अपने भाषण में कहा है कि रिजर्वोयर दूसरी पंच वर्षीय योजना में बनायेंगे। आज बीकानेर की हालत क्या है? वहां पर ३०० गज से भी नीचे से पानी बाहर निकाला जाता है। वहां पर पॉवर हाउस में टरबाइन खराब होने से और टंकी नहीं होने से पानी कम मिलेगा। यदि बिजली पूरी नहीं दी जायगी या कभी बिजली बंद हो जाय तो बीकानेर की १॥ लाख जनता को पानी नहीं मिलेगा। वहां पर ऐसा कोई कुआ नहीं है जो बिना बिजली के चलता हो। २-३ दिन के लिये भी यदि पॉवर हाउस बिगड़ गया तो हजारों आदमी मौत के मुंह में जायेंगे। जहां तक उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर का सवाल है वहां पानी की इतनी तकलीफ नहीं है,

(श्री मुरलीधर व्यास)

क्योंकि उदयपुर आदि में रिज़र्वोयर हैं, मैं मानता हूं कि वहां रिजर्वोयर होने चाहिये, लेकिन जहां पानी है वहां इसकी अधिक उपयोगिता नहीं है, परन्तु जहां इसकी अधिक आवश्यकता है वहां होना जरूरी है। कहां कौनसी चीज चाहिये यह दृष्टिकोण नहीं रखा जायगा तो स्वाभाविक तौर पर लोग कहेंगे कि समाजवादी दृष्टिकोण नहीं है।

आज घाटे का बजट बताया जाता है। घाटे का बजट किसलिये रखा है, उसको गहराई से देखिये। आप पैसा किससे वसूल करना चाहते हैं? टैक्स से ही तो। इसमें यह होना चाहिये कि जिन लोगों से लेना चाहते हैं वे वाकई उसे देने के काबिल है या नहीं। जिन लोगों से यह पैसा आयगा वे देने में असमर्थ हैं, तो आपका दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि जिस मध्यम वर्ग पर अधिक भार पड़ता है, उन पर नहीं रखना चाहिये। आज के दिन गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की हालत बिगड़ी हुई है। यदि उन्हीं पर आपने टैक्स रखा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। सेल्स टैक्स सरकार ने सारे राजस्थान पर लागू किया है; इससे सारा राजस्थान हैरान है। आज राजस्थान और दूसरे प्रान्तों के बीच सेल्स टैक्स की योजना है, जब इससे राहत नहीं मिली तो मैं समझता हूँ इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, सेल्स टैक्स से आम तौर से दिक्कत बढ़ी है और भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। आपको सोचना चाहिये कि जो चीज पैदा होगी उस पर टैक्स लगावें जिससे कि दिक्कत दूर हो। यह कदम आज नहीं तो कल बढ़ाना होगा। इसके लिये नये नये कानून बनते हैं, इससे लोगों को दिक्कत और भी बढ़ जाती है। इन्हें आपको आज नहीं तो कल बदलना पड़ेगा। टैक्स उन लोगों पर लगाना चाहिये जिनके पास खूब पैसा है; उन लोगों पर टैक्स लगाया जाता है तो उसका कोई असर उन लोगों पर नहीं पड़ता है। अपना खर्चा तो कम न करें और आम लोगों पर टैक्स लगायें तो उसका असर नहीं होता। आज आप लोगों को कहते हैं कि योजना को सफल बनाने के लिए अपना जीवन त्यागमय बनाना होगा, अपना जीवन सादा बनाना होगा जिससे आपकी योजना सफल होगी। लेकिन आप अपना जीवन त्यागमय नहीं बनायें और सज धज के साथ बंगले बनायें, हजारों रुपये आपको मिलें, जमीनें लेने की कोशिश करें और लोगों को कहें कि एक आदमी के लिए एक मकान नहीं, बल्कि एक मकान में चार आदमी रहें और चारों अपना जीवन सार्थक बनायें। आप कहें कि जमीन बांटेंगे लेकिन जमीन पर सीर फिक्स कर दें। तो इस प्रकार जैसा जीवन स्तर आम लोगों का रखना चाहिये वह न करें और उनसे कहें कि त्याग करो, पंचवर्षीय योजना के लिए त्याग करो। मैं कहना चाहूंगा कि पंचवर्षीय योजना के लिए ज्यादा पैसा मांगा जाय।

(घंटी)

लेकिन जो योजना में काम रखे जाते हैं, वे पूरे नहीं किये जायें, आप कहें कि हम करोड़ों खर्च न कर सकें, एक तरफ आप कमजोरी बताते हैं और दूसरी तरफ पैसा मांगते हैं। यह कहां का न्याय है? क्या यह ज्यादती नहीं? आपके पास खर्च करने की योजना होनी चाहिए। बेकारी की समस्या के लिए पंच वर्षीय योजना में कहा है, उस समस्या को हल करने के लिए आपने कौनसे कदम उठाये? जयपुर की सड़कों पर तीन-चार

Page No.43

(श्री मुरलीधर व्यास)

हजार व्यक्ति, ६० वर्ष के बूढ़े और १२ वर्ष के बच्चे रिक्शा खींचते हैं, उस पर हम लोग बैठ कर जाते हैं, आदमी को आदमी खींचता है। यह बेकारी की समस्या हल नहीं हुई।

(घंटी)

आज करोड़ों व्यक्ति बेकार नजर आते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक योजना का सम्बन्ध है, वह समस्याओं से परस्पर मिलती हुई होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे दो-चार मिनट का और समय दिया जाय जिससे मैं मोटी-मोटी बातें कह सकूं।

जहां तक योजनाओं का सम्बन्ध है, जो दृष्टिकोण उसमें होना चाहिये, वह न होने की वजह से कुछ ऐसा लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कि योजना के अन्तर्गत पक्षपात होता है।····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य १५ मिनट के बजाय २० मिनट ले चुके हैं, कृपया समाप्त करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम है कि ७० व्यक्ति बोलने वाले हैं, उनको दो दिन में समाप्त करना बड़ा कठिन होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि योजना के अन्दर क्षेत्रीय भावना को न रखकर समाजवाद के विकास का दृष्टिकोण होना चाहिये। इसमें यह न हो कि उपेक्षित स्थान उपेक्षित न रहें, और साथ ही साथ उन लोगों की उपेक्षा न की जाय जो व्यक्ति वाकई उपेक्षित रहे हैं। स्थान व्यक्ति और समाज का सामूहिक दृष्टिकोण होना चाहिये योजना बनाने में·······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित मन्त्री को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही परिश्रम और सूझ-बूझ के साथ यह १९५७-५८ का बजट सदन के सामने रखा है। आज हमें सामान्य रूप से इस बजट के विषय में विचार करना है और यह देखना है कि कहां तक यह बजट सही है। इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करूंगा कि हमारा दृष्टिकोण बहुत ही सीमित हो गया है और हम एक पक्षीय दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हम विरोधी बैंचों पर बैठते हैं तो हम बुराइयों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और अच्छाइयों को बिलकुल भूल जाते हैं और इसी प्रकार से अगर हम सत्तारूढ़ दल की ओर बैठते हैं तो अच्छाइयों की ओर ध्यान देते हैं और बुराइयों को कतई भूल जाते हैं। बजट में सही दृष्टिकोण यह है कि जो दोनों बातों पर ध्यान दिया जावे, अच्छाइयों और बुराइयों अवगुणों और गुणों, को ध्यान में रखते हुए सही नतीजे पर पहुंचें। आज हमें इसी दृष्टिकोण से इस बजट के बारे में अपने विचार व्यक्त करने हैं। सबसे पहले हमें इस बजट की विशेषताओं की ओर ध्यान देना है। इस बजट में क्या क्या विशेषताएं हैं, यह देखें। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि कितना भी अच्छा बजट तैयार किया जाय, उसके बनाने वाले कितने भी अच्छे हों, उसमें

(श्री ईश्वरदयाल)

खामियां रहना एक स्वाभाविक बात है, यह कोई नई बात नहीं। इस बजट में बहुत सी अच्छाइयां हैं, जिनकी हमें सराहना करनी चाहिए, जिनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। सबसे पहले यह विशेषता नजर आती है कि इस बजट के अन्दर पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बड़े बड़े कामों के ऊपर रुपया खर्च किया जायेगा और उसके लिये पर्याप्त मात्रा में धन-राशि रखी गई है, यद्यपि हमारी आवश्यकताओं और प्रान्त की जरूरत के मुताबिक वह धन-राशि इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ इसमें रखा गया है, वह वास्तव में प्रान्त के अन्दर प्रगति लायेगा और प्रान्त को और आगे बढ़ायेगा, प्रान्त के अन्दर उत्पादन बढ़ेगा, सिंचाई के ऊपर जो रुपया खर्च किया जायगा, उससे राजस्थान के अन्दर लहलहाते खेत नजर आयेंगे और खेती की पैदावार बढ़ेगी। जो नये नये उद्योग धन्धे खोले जायेंगे, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और बेकारी दूर होगी। यह ठीक है कि जो बेकारी हमारे प्रान्त के अन्दर है वह सब बेकारी पूरी तरह दूर नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बेकारी दूर होगी और इसमें जो काम रखे हैं उनके जरिये से हमारे लोग सम्पन्न होंगे। यह ठीक है कि राजस्थान के सब लोग सुखी और सम्पन्न इतने थोड़े समय में नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी, हम तरक्की करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जो कुछ रुपया खर्च किया जायगा, वह जनता के हित पर खर्च किया जायगा, वह राष्ट्र निर्माण पर खर्च किया जायगा। यह हो सकता है कि खर्च करने में कुछ गड़बड़ी हो, यह हो सकता है कि उसका दुरुपयोग हो और और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जिस भावना और विचार को लेकर हमारे इस बजट में यह रकम दी गई है, और जिन कार्यों के किये जाने के लिए विचारा जा रहा है वह बहुत अच्छा है और उससे हमारा भला होने वाला है और हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमें इस बात को भी देखना है कि जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बड़ी बड़ी योजनायें राज्य में चलने वाली हैं, क्या ये योजनाएं हमारे प्रान्त के लिए अच्छी नहीं हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या चम्बल की योजना, जिस पर रुपया खर्च होगा, वह राजस्थान के लिए वरदान नहीं होगी? क्या राजस्थान नहर की योजना, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जायगा, मरुभूमि के लिए वरदान नहीं होगी? इसी प्रकार क्या भाखरा की योजना राजस्थान के लिए वरदान नहीं होगी? ये योजनायें जो कि चालू होंगी और जिनके लिए इतना रुपया रखा गया है, इन सब से हमारे प्रान्त का भला होने वाला है। तो इस दृष्टिकोण को हमें अपने सामने रखना है और इस पर विचार करना है। इसकी ओर से हमें कतई उदासीन नहीं हो जाना है।

दूसरी विशेषता जो इस बजट के अन्दर नजर आती हैं, वह यह है कि अब २४ विस्तार खण्ड और खोले जायेंगे जिनसे कि गांवों का विकास होगा और गांवों के ऊपर असर पड़ेगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सी बातों पर खर्च होने वाला है, जैसे कृषि के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और भी बहुत सी बातों के ऊपर। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जो रकम रखी गई है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है और वह हमारी जरूरत को पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हो सकता है कि

Page No.45

श्री रामेश्वरदयाल)

सरकार के सीमित साधनों की वजह से अथवा दूसरे कारणों की वजह से यह इस समय सम्भव नहीं हो सका है। जो कुछ खर्च किया जाय, सरकार का यह कर्तव्य है कि बहुत सतर्कता के साथ और सावधानी के साथ देखा जाय ताकि किसी प्रकार से रुपये का दुरुपयोग न हो और ठीक प्रकार से व्यवस्था हो सके।

गत वर्ष भी कई कामों पर रुपया सैंक्शन हुआ और वह लेप्स हो गया, हो सकता है कि इसके पीछे कई कारण हों, हो सकता है कि मेटिरियल नहीं मिलने की वजह से या और किसी वजह से वे काम पूरे नहीं हो सके हों, पर इसका मतलब यह नहीं होता कि पूरा रुपया खर्च नहीं किया जावे हमारी यह शिकायत है कि हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल बजट में धन–राशि नहीं रखी जाती और दूसरी तरफ जो धन–राशि रखी जाती है वह पूरी उपयोग में नहीं आ पाती, तो इससे बढ़ कर हमारे लिए दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरफ पूरा पूरा ध्यान रखा जाय जिससे हम बजट की पाई पाई खर्च कर सकें और इसमें किसी प्रकार की कोताई नहीं हो।

इसी प्रकार की बहुत सी विशेषताएं और भी हैं और अगर इसकी बुराइयों तथा अवगुणों की तरफ जायें तो इसमें बहुत सी खामियां भी नजर आती हैं, जिनका रहना बहुत स्वाभाविक प्रतीत होता है। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इसमें करों में वृद्धि की गई है, मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं। मैं भी करों की वृद्धि करने के विरोध में हूं, लेकिन इस सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टिकोण रखना है। जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि ये कर हम इसलिये लगाये जा रहे हैं कि हमें विकास योजनाओं को पूरा करना है, घाटे को पूरा करना है, बड़ी बड़ी योजनाओं का खर्च पूरा करना है और इसलिये वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा था कि इस घाटे को, खर्च में कमी करके भी पूरा कर सकते हैं पर वह प्रतिगामी कदम होता है, इसलिये ये टैक्सेज़ लगाये जा रहे हैं। जो टैक्सेज़ लगाये जा रहे हैं वे नहीं लगाने चाहिये। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर सेल्स टैक्स लगाने से आम जनता पर और विशेषतया गरीबों पर असर पड़ता है और इस प्रकार की चीजों पर टैक्सेज के रखने से हमारे प्रान्त में गरीबी और बढ़ेगी, तथा व्यापार कम होगा इसमें किसी प्रकार से कमी कर दी जाय मसलन ओइल सीडस, कोटन, कोयला इन चीजों को सेल्स टैक्स से मुक्त कर दिया जाय तो एक अच्छा कदम होगा। और इससे गरीबों की भलाई होगी। चूंकि इन टैक्सेज़ से आया हुआ रुपया हमारे विकास कार्यों में खर्च होगा, इस दृष्टि से हमें इसमें आपत्ति नहीं करनी चाहिये। जैसा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि हमें त्याग की दृष्टि से कुछ रुपया विकास कार्यों के लिये देना है। लेकिन राजस्थान की स्थिति को देखकर टैक्स लगाये जाने चाहिए। ढ़ाई करोड़ रुपया ऋण की बात कही गई है, यह अच्छी बात नहीं है, ऋण लेना कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उसका असर सरकारी कोष पर होता है, उस ऋण का सूद देना पड़ता है। पर जब इस ऋण से आया हुआ रुपया विकास योजना पर खर्च होगा तो वह ठीक हो सकता है; पर मैं यह बात जरूर कहूंगा कि जो रुपया ऋण लिया

Page No.46

(श्री रामेश्वरदयाल)

जाए और जो कुछ रुपया खर्च किया जाये उसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिये और किसी प्रकार से उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये ।

इसी प्रकार एक बातइसमें बहुत अखरती है वह यह है कि प्रशासन का खर्चा बहुत बढ़ रहा है और राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों पर उसके मुकाबिले में बहुत कम खर्च किया जा रहा है । प्रशासन में बड़े कर्मचारियों के वेतन में और छोटे कर्मचारियों के वेतन में अत्याधिक विषमता है, यह विषमता इतनी अखरती है कि इसके लिये सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिये ।

यह ठीक है कि इसमें ५ रुपया मंहगाई भत्ते में १०० रुपया तक पाने वाले कर्मचारियों के लिये बढ़ाया है, यह बहुत अच्छा अच्छा कदम है, पर क्रान्तिकारी नहीं है, क्योंकि इस मंद गति से बड़े और छोटे कर्मचारियों के वेतन में व्याप्त विषमता को खत्म नहीं कर सकते । यह बात है कि १०० रुपया तक तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को यह ५ रुपया मंहगाई में अधिक देना सरकार की नीति को बताता है कि सरकार, वेतनों में जो घोर विषमता है, उसको मिटाने के लिये कटिबद्ध है । पर यह विषमता तब तक नहीं मिट सकती जब तक कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया जावेगा ।

शिक्षा के ऊपर भी कुछ रकम रखी गई है और बहुत से नये स्कूल खोलने की योजना है, जिसके अन्तर्गत बहुत से प्राइमरी स्कूल्स खोले जाएंगे, सैकिन्डरी स्कूल्स खोले जायेंगे, कॉलेजेज़ भी खोले जायेंगे, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे गांवों की, जहां ८०, ६० प्रतिशत लोग रहते हैं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में नहीं रखा गया । हमें एक दो कृषि कॉलेज अथवा कृषि स्कूल जरूर होने चाहिये, सरकार को अपने बजट में इसकी विशेष व्यवस्था करनी चाहिये थी ताकि हमारे किसानों का अच्छा हित हो सके ।

इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी खामी है वह यह है कि इसमें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, फ्री एन्ड कम्पलसरी प्राइमरी एज्युकेशन, की व्यवस्था होनी चाहिये थी वह नहीं है । यह एक बहुत ही आवश्यक बात है, क्योंकि अगर प्रजातन्त्र को सफल बनाना चाहते हैं तो इसे करना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जल्दी ही ठोस से ठोस कदम उठाया जाय ।

(घंटी)

इसके अतिरिक्त और भी खामियां हैं जिन पर राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिये, पर मैं एक बात निवेदन करन चाहता हूं कि कमियां भी रहती हैं उन कमियों की ओर....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री रामेश्वरदयाल : ध्यान देते समय यह बात नहीं भूलना चाहिये कि हमारे राजस्थान के विकास और उन्नति के लिये योजनाओं पर रुपया रखा गया है और खर्च

Page No.47

(श्री रामेश्वरदयाल)

में, विकास कार्यों पर किये जाने वाले खर्च में, कमी नहीं की गई है, इस दृष्टिकोण से यह घाटे का बजट है, पर फिर भी हमारे प्रान्त के लिये हितकर ही होगा।

(एक साथ कई माननीयसदस्योंके बोल ने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chowdhry.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट जो है, वह ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं तो ठीक है, नहीं तो यह बजट देखने से ऐसा मालूम होता है कि इसमें हम जो नया दृष्टिकोण चाहते हैं, वह इस बजट में मौजूद नहीं है। दूसरी बात इसमें हम यह देखते हैं कि यह तो वही इन्टेरिम बजट है, जिसमें इन्टेरिम बजट के केल्कुलेशन, प्रोपोज़ल्स बढ़ा कर रख दिये गये हैं और दो चार जगह रेवेन्यू वसूली बाकी रह गई थी उसको जोड़ दिया है। इसके अलावा इसमें और इन्टेरिम बजट में कोई फर्क नहीं है।

एक और बात, जिसका अभाव इसमें हमें अखरता है वह यह है कि हमारी सरकार की, इसमें, इन्डस्ट्रियल पोलिसी जैसी कोई पोलिसी नहीं नजर आती है। इस बजट को देखने से कोई भी आदमी कहेगा कि इन्डस्ट्रियल पोलिसी जैसी कोई चीज नज़र नहीं आती है, इन्डस्ट्रियल पोलिसी को बढ़ाने के लिये क्या नीति हमारी सरकार की है वह चीज इसमें अस्पष्ट है। जब कि वैसे, राजस्थान में हमको इन्डस्ट्रीज़ बढ़ाने के लिये काफी ध्यान देना चाहिये, हमारा एम्फेसिस इन्डस्ट्रियेलाइज़ेशन की तरफ होना चाहिये। हमारे पास रॉमेटिरियल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास दृष्टिकोण नहीं है कि हम कैसे इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ायें।

दूसरी बात, आप जानते होंगे कि हमारा जो इलेक्शन मेनिफेस्टो है उसका जो प्लेन्क था वह यह कि फुल एम्प्लोयमेन्ट के लिए कोशिश करना और उसके लिए पंच वर्षीय योजना है, हिन्दुस्तान की, उसमें यह तय किया है कि अगले पांच वर्षों में ८० लाख लोगों के लिए नयी रोजी का इन्तजाम करेंगे। इस ८० लाख में से राजस्थान का जो प्रोपोर्शनेट हिस्सा है वह चार लाख होता है पांच वर्ष में और इस प्रकार हर साल हर स्टेट में ८० हजार नये जो क्रियेट करने का है। लेकिन हमारे वित्त मंत्री महोदय ने संतोष प्रकट किया है कि कोटेज इन्डस्ट्रीज़, ग्रामोद्योगों, के साथ दस हजार नये जो दिये हैं और अगले साल १३ हजार करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस पर संतोष प्रकट नहीं करना है। दस हजार करना है तो इसको कोटेज इन्डस्ट्रीज़ के अलावा करना चाहिए। जो एम्प्लोयमेन्ट का कोटा पूरा करना है, वह इस बजट में काफी कम है जो घाटा है, डिफेक्ट्स है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वितमंत्री): दस हजार अकेले खादी से है।

श्री पी. के चौधरी :(जारी) दूसरी बात है, गवर्नमेन्ट की इस साल की इन्वेस्टमेन्ट पोलिसी है उसको हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्डस्ट्रियल कैपिटल अकाउन्ट्स में ४८ लाख ४५ हजार रुपया है, इस साल कमर्शियल इन्वेस्टमेन्ट करेंगे। इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स में ४८ लाख ४५ हजार है और ऐसे लगायें तो २३ लाख ४०

Page No.48

(श्री पी० के० चौधरी)

हजार के अनस्पेसिफाइड शेयर्स हैं उनको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस किस्म के शेयर्स होंगे जो सरकार खरीदेगी। यह पैसा सरकार लगाती है तो यह कोई इन्डस्ट्रियल पोलिसी नहीं है। रुपया स्पेकुलेटिव ब्रिड्स में लगाना, यह बनिये लोग लगाते हैं, व्यापारियों का ध्येय होता है पैसा कमाना न कि देश का विकास। पिछले साल और आज तक कोमर्शियल कन्सर्न्स हैं, ३१ मार्च, १९५७ तक, उनमें पब्लिक मनी है २ करोड़, ३९, ९५, ४४३। ६१ प्राइवेट कॉमर्शियल कन्सर्न्स हैं, लोग रखते हैं शेयर्स खरीद करके। इस प्रकार जो पब्लिक फन्ड है उसको प्राइवेट कन्सर्न में इन्वेस्ट करके रखना पब्लिक मनी का वेस्ट है। दूसरे जो शेयर्स हैं, जो कीमत आज हम बताते हैं दर असल में उन शेयर्स की वह कीमत है या नहीं, यह पता नहीं चलता। ६१ फर्म्स हैं उनमें बहुत सी ऐसी हैं जो लिक्वीडेशन में चली गई हैं और बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जिनकी शेयर्स की कुछ वेल्यु नहीं है। They are not negotiated usually in the market. एक हमने देखा कि टाटा प्रिफरेन्स शेयर्स के मार्केट में भाव बोले जाते हैं। टाटा सेकन्ड प्रिफरेन्स शेयर्स, २५५ शेयर्स, जिसका ४० हजार रुपया होता है लेकिन ५ शेयर्स का ११७) के हिसाब से ३२ हजार रुपया वेल्यु है। आज कम वेल्यु करके रखते हैं, वह बढ़ी नहीं बल्कि घटी है।

दूसरी बात इन्वेस्टमेन्ट ऐसा कर रखा है, जैसा जयपुर वीविंग एन्ड स्पिनिंग मिल्स। यह कोई इन्डस्ट्रियल पोलिसी हुई कि प्राइवेट फर्म्स ने इन्वेस्ट करना है, १७ लाख इसमें इन्वेस्टमेन्ट करके रखा है? यह स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स, सुबह के अखबार में मैंने देखा है, डिविडेन्ड नहीं देता है, प्रोविडेन्ड फन्ड नहीं देता है। अब सरकार ने एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाई है कि डिविडेन्ड क्यों नहीं देता और सरकार आज जागृत हुई है जो एक बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते उसको पहले ही इसको सोचना चाहिये था; मैं समझता हूं कि यह तो कोई एक इन्डस्ट्रियल पोलिसी नहीं, यह तो एक बनिये के इन्वेस्टमेंट बिड्स की पोलिसी है। दूसरी बात है, एक कम्पनी है, सदन के मेम्बरान को इसकी जानकारी नहीं होगी। वह नेशनल कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है जिसको ८ लाख रुपया देने का इन्तजाम रखा है। मैं समझता हूँ कि यह जो पैसा है, जो प्राइवेट फर्म्स को दिया जाता है उसको रोकना चाहिये। जो दो-चार फर्म्स हैं उन्हीं में वह रिपीटिशन होता है। सवाई-माधोपुर की जो फैक्टरी है उसमें ७० लाख पहले और बाद में ७५ लाख इन्वेस्ट किया गया, यानि इस जयपुर उद्योग लि० को, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि १ करोड़ ४५ लाख रुपया दिया गया, सदन के मेम्बरान को बता देना चाहता हूं कि जहां तक इस जयपुर उद्योग लि० के क्रेडिटवर्दीनेस है वह इसके एन्टीसीडेंटस देखने से मालूम होते हैं। एक साल पहले की घटना है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। यही डालमिया सेठ थे इन्होंने भारत इन्श्योरेन्स कम्पनी का चार करोड़ रुपया गबन किया। इसलिये किया कि वे इन्डस्ट्रियलिस्ट नहीं किन्तु स्पेकुलेटर हैं। उसने तीन साल पहले टाटा ऑयल सेल्स में सट्टा लगाया और उसमें ३॥ करोड़ रुपया का नुकसान हुआ था, उसको पूरा करने के लिये बाजार में क्रेडिट रखने के लिये भारत इन्श्योरेन्स कम्पनी का जिसमें गरीब जनता ने पैसा लगाया था, पैसा गबन किया। सरकार क

Page No.49

(श्री पी० के० चौधरी)

जानकारी नहीं थी। डालमिया जी को अरेस्ट कर लिया था, उनको २॥ करोड़ व्यक्तिगत और २॥ करोड़ की कैश बेल लाकर छुड़ाया गया था। उसको बाजार से नहीं मिलता था, यही जयपुर उद्योग जिसके मालिक हैं श्री डालमिया जी, उसके सन-इन-लॉ श्री एस. पी. जैन ने २॥ करोड़ रुपया लाकर डिपोजिट करा के डालमिया जी को निकाला था। छः महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने इन्क्वायरी कमेटी बिठाई थी जो डालमिया, उनकी फैमली से जितनी भी कनेक्टेड कन्सर्न्स हैं, टाइम्स ऑफ इन्डिया, जयपुर उद्योग, साहू जैन कम्पनी, और-और जितनी-जितनी फर्मस हैं उनको सील करके चैक करे, ताकि यह मालूम हो सके कि और तो कोई पब्लिक फन्ड का गबन नहीं किया है। ऐसे रिपुटेशन की जो फर्म्स हैं उनमें पब्लिक का १॥ करोड़ रुपया लगा देना मैं अच्छा नहीं समझता हूं। यह जो प्राइवेट फर्म्स में २ करोड़ ४० लाख रुपया पहले लगाया गया और इस साल जो इन्तजाम कर रहे हैं ४८ लाख रुपया लगायेंगे शेयर खरीदने में, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूं। मैं मानता हूं कि यह जो पैसा है, ४८ लाख का जो प्रोविजन है, एक बुनियाद के रूप में है, उसको उन प्राइवेट फर्म्स को न देकर कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ में और स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में लगाइये, यह जो धन्धे हैं, रामनाथजी पोद्दार, डालमिया पैसा नहीं देंगे, तब भी अपना बिजनेस चलायेंगे। एक तरफ तो आप ८०,००० के लिये एम्पलॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपकी पब्लिक का पैसा, ४८ लाख रुपया है, उसको स्पेकुलेटिव शेयर्स में लगाया जाता है। इस रुपये को छोटे-छोटे उद्योग धन्धों में, देहातों में, लगाया जावे तो ज्यादा हित होगा। इसलिये मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों से, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा अपील करूंगा कि इस साल का ४८ लाख रुपया है उसको इस प्रकार के इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट में लगाया जावे और स्पेकुलेटिव शेयरों में नहीं लगाया जावे; यह मेरी सबसे पहली बात है।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहूंगा कि ३॥ लाख का लोन उन कम्पनीज़ को दिया जा रहा है, मुझे जहां तक इसकी जानकारी है, पिछले साल के बजट में यह नहीं है, I may be corrected. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो रुपया है इस साल बजट पेश हुआ है और ग्रान्ट है उसके अन्दर भी है। आज केपिटल एकाउन्ट आइटम नम्बर ३—पी—लोन्स एन्ड एडवान्सेज़ XLV केपिटल एकाउन्ट में पिछले साल का हमने कर्जा दिया उसका हमारे पास बजट में कोई ब्योरा नहीं है।

दूसरी एक बात मैं देखता हूं और मैं माननीय चीफ मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर से अर्ज करूंगा कि अब तक पब्लिक के पैसों को आपने शेयरों में इन्वेस्ट करके रखा है और रोका है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान किताब के पेज ११ से १४ पेज तक दिलाना चाहता हूं और निवेदन करूंगा कि आप इसको पढ़ कर देखें कि कैसे कैसे और कहां कहां पैसा पड़ा है और क्यों पड़ा है? इससे हमारे देश का इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट नहीं होता है। जिन जिन लोगों को रुपया दिया गया है वे लोग कोई तो कलकत्ते में रहते हैं और कोई बम्बई में और कोई दिल्ली में। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सब पैसा उन लोगों से वापिस लिया जावे और

(श्री पी० के० चौधरी)

सारा पैसा कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ में लगाया जावे, तभी तो हमारे यहां इन्डस्ट्री में डेवलेपमेंट हो सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल प्लानिंग का ब्योरा इस बजट में कहीं भी नजर नहीं आता है। मैं समझता हूँ कि माननीय चीफ मिनिस्टर के पास बहुत कम समय इस तरफ देने को है और इस वजह से वे इन्डस्ट्रीज़ पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। यदि वास्तव में ऐसी बात है तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस विभाग को किसी दूसरे मंत्री को दे दें ताकि इस विभाग के साथ बराबर जस्टिस हो सके और वह मंत्री इसकी तरफ अपना ध्यान अच्छी तरह से दे सकें, इंडस्ट्रियल प्लानिंग कर सकें।

तीसरी बात, मैं मिसाल देना चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज़ में आज किस तरह से काम चल रहा है। आज हमारे हिस्से में इंडस्ट्रियल प्लानिंग का काम हो ऐसी बात नहीं है। इस सम्बंध में एक बात मैंने पहले भी अर्ज की थी और फिर भी अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहां ज़ोनल स्कीयर और ज़ोनल प्लान गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने बनाया और इसमें नोर्थन, वेस्टर्न, सेन्ट्रल वगैरह ज़ोन बनाये हैं। इसमें जो कम्बाइनिंग युनिट्स होंगे वे एक दूसरे से कम्पलीमेन्ट्री हैं। मगर हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी स्टेट को ऐसे ज़ोन में मुख्य मंत्रीजी ने शरीक करने के लिये राय दे दी है जिसमें हमें कोई फायदा नहीं हो सकता है। हमको पंजाब में, नोर्थ ज़ोन में, शरीक किया गया है। हमारी तरह से पंजाब भी एक कृषि-प्रधान देश है। इंडस्ट्रीज़ पंजाब में भी नहीं, हैं न टेक्नीकल स्किल ही पंजाब में है। अच्छा होता यदि हमारे मुख्य मंत्रीजी हमारी स्टेट को वेस्टर्न ज़ोन में शरीक होने की राय देते। यदि ऐसा करते तो हमारी टेक्नीकल स्किल बढ़ती, इंडस्ट्रीज़ में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। इसलिये मैं यह कहूँगा कि हमने गलत ज़ोन सजेस्ट किया है। एक दूसरी बात मैंने गवर्नर के एड्रेस के समय भी कही थी और आज फिर कहता हूं कि नोर्थ ज़ोन के साथ मिल कर हम अपने ऑफिसरों की एफिशियेन्सी को नहीं बढ़ा सके हैं। मैं यह कहूंगा कि पंजाब से हमारे ऑफिसरों की एफिशियेन्सी बहुत ज्यादा और अच्छी है। पंजाब के ऑफिशियल एक्सचेन्ज से हमें कोई फायदा नहीं पहुँचेगा और ऑफिशियल एक्सचेन्ज अगर बम्बई के साथ करते तो हमें ज्यादा फायदा पहुँचता, हालांकि जिस समय मैंने यह बात कही थी तब माननीय मंत्रीजी ने मेरी इस बात को उस समय तक मजाक में ही उड़ाया था, मगर मैं फिर कहूंगा कि इस प्रांत के एडमिनिस्ट्रेशन को टोन-अप करने की जरूरत है और सेक्रेटेरियेट सेट-अप में इनिशियेटिव की कमी है। सेक्रेटेरियेट में सब लोग ग्रुप बाजी में पड़ गये हैं।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, पांच मिनट और दे दिये जावें। दूसरी बात मैं गवर्नमेंट की रिक्रुटमेंट पोलसी के बारे में कहना चाहता हूं। गवर्नमेंट को जो रिक्रुटमेंट पोलसी है वह उचित नहीं है और इसके लिए हमारे यहां ग्रुप कन्फलिक्शन चलते हैं, उनको मैं जिम्मेदार समझता हूं। आजसे चंद रोज पहले हमारे पास पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट, १९५४—५५ की, हमारे पास आई है। इस

(श्री पी० के० चौधरी)

रिपोर्ट को आज सरकार ने हमारे सामने पेश की है हालांकि पी. एस. सी. से यह २८ फरवरी, १९५६ को निकल गई थी । आज १५ महीनों के बाद हमें दी जाती है । १५ महीनों के बाद इसको सदन के सामने पेश करते हैं । १५ महीनों तक इसको सदन के सामने पेश नहीं की गई, इसका क्या कारण है ? यह सही बात है कि इसमें कई केसेज़ ऐसे हैं जो इम्पोर्टेन्ट हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमिशन ने रिकमंड किया मगर पब्लिक सर्विस कमिशन की रिकमंडेशन को सरकार ने नहीं माना है और पी. एस. सी. की सिफारिशों को बाईकॉट किया है । कई व्यक्तियों की नियुक्ति सन् १९५३ में हुई मगर अभी तक वे यों ही चलते जा रहे हैं और पब्लिक सर्विस कमिशन के पूछे जाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है । मैं समझता हूं कि धूपबाजी के कारण ही रिक्रूटमेंट बिजनेस में एग्ज़िक्युटिव मशीनरी अपना डन्डा चलाती है । लेकिन ये बातें क्यों पैदा होती हैं ? जब ऐसी बातें होती हैं, तो निपोटिज़म चलता है । पी. एस. सी. ने अपनी रिपोर्ट में बहुत से मामले दर्ज किये हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से पब्लिक सर्विस कमिशन को गवर्नमेंट बाईकॉट करती है ।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : You have taken five minutes more, 15 plus 5- 20.

श्री चौधरी : Thank you; two minutes more. I will complete this speech.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य २० मिनट बोल चुके हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, सोमवार दिनांक ६ को वित्त मन्त्री द्वारा जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है इसे मैं जहां असंतुलित अर्थ व्यवस्था का प्रतिपादक समझता हूँ वहां वस्तु स्थिति का अतिरंजित स्वरूप भी । मैं असन्तुलित इसलिए कहना चाहता हूँ कि राजस्थान जो हमेशा राज्यशाही से दबा हुआ रहा है, एक निर्धन राजस्थान है, उस पर आज एक घाटे का बजट लाद दिया गया है और वह भी भारी करों के साथ । अतिरंजित इसी लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वित्त मन्त्री जी ने कहीं भी अपनी योजनाओं का, अपनी उद्योगिक एवं कृषि सम्बन्धी योजनाओं का विश्लेषण नहीं किया है । मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में रुपया लगाया गया है, परन्तु जहां तक उन कार्यों का सम्बन्ध है जिन पर रुपया लगाया गया है, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंचाई की योजना के अन्तर्गत कोटा में ६ बांध बनाये गये थे, गुडा, जमोतपुर, भीमवत, कालीसिंध, परवन, शेरगढ़, आदि, मगर हुआ क्या कि ये सारे के सारे बांध पहली ही वर्षा में बह गये । यदि ये बांध अच्छे ठेकेदारों से बनवाये जाते तो मैं यह कहूँगा कि कोटा में प्रथम पंच वर्षीय योजना के गौरव को अवश्य बढ़ाते । मगर इन सबको बनाने में भ्रष्टाचारी अधिकारियों का हाथ था । बिना कोई कंकर और पत्थरों से यह बनाया गया था । अतः आने वाली एक ही वर्षा ने, हमारी इन बांधों से जो आशाएं थीं, उन तमाम आशाओं पर, पानी फेर दिया और इन बांधों को समाप्त कर दिया । जिस समय ये बांध बन रहे थे तब किशोरपुरा की पब्लिक ने हमारे कार्यालय में आकर शिकायत

Page No.52

(श्री दयाकृष्ण विजय)

की थी कि हमारे यहां बांध ऐसा बनाया गया है कि उससे किशोरपुरा के बह जाने का भय है। उस समय मैं कलेक्टर से जाकर मिला था और पब्लिक की कठिनाइयों को बताया था; लेकिन जिस बांध से भय था, वह बांध पानी के एक ही प्रवाह में बह गया और उसके साथ सरकार का लाख रुपया भी ठंडा हो गया। यही बांध योग्य ठेकेदारों द्वारा बनाये जाते और जिस तरह उसमें पत्थर डाले गये थे उनमें चूना और जो आस पास की दीवार नहीं बनाई गई, बनाई जाती तो वह पानी के प्रवाह को रोक सकती थी। मगर ऐसा नहीं किया गया और बांध पानी के बहाव से बह गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद में जब द्वितीय पंच वर्षीय योजना आई तो दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्दर समाजवादी समाज की व्यवस्था का ढोंग पीटा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने एक दो उदाहरण और देना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर नमक के वितरण की एक व्यवस्था थी उसमें डिस्ट्रिक्ट-वाइज़ नमक जाया करता था और रियासतों के मर्ज हो जाने के समय जो नमक दिया जाता था वह भी डिस्ट्रिक्ट को हो अपनी आवश्यकता के अनुसार दिया जाता था और डिस्ट्रिक्ट्स में जो एसोसिएशनें बनी हुई थीं, जो संस्थायें बनी हुई थीं उनके द्वारा यह नमक वितरित होता था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि उस नमक की व्यवस्था का जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट-वाइज़ दिया जाता था और जो बहुत ही स्मूथली रन कर रही थी, जिससे गांव गांव के अन्दर नमक आसानी से पहुँचाया जाया करता था, उस नमक की व्यवस्था को, एक सांभर की कोन्सटीटुएन्सी से खड़े होने वाले कांग्रेसी महानुभाव को नमक के सारे व्यापारियों से वोट मिल जायें इसके लिए एक नया परिपत्र निकाला गया और स्मूथली-रन करने वाली जो नमक को वितरित करने की व्यवस्था थी उसको बदल दिया गया और उस व्यवस्था में जो ज़ोनल नमक था उसका पचास पर्सेन्ट सांभर के नमक के व्यापारियों के हाथ में दे दिया गया और रियासतें मर्ज हो जाने के समय का जो ट्रीटी का नमक मिलता था वह भी सांभर वालों के हाथ में दे दिया गया। एक ओर तो हमारी सरकार कहती है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, हम छोटे आदमियों को ऊंचा उठाना चाहते हैं और जो बड़े आदमी हैं उनको नीचे वालों के स्तर पर लाना चाहते है और एक समान व्यवस्था के आधार पर, हमारे राजस्थान में, जो राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है उसके अन्दर हम समानता का सूरज उगाना चाहते हैं; तब हमें राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस नमक के वितरित होने वाली व्यवस्था में सरकार ने नये प्रकार से लॉट्री सिस्टम रख दिया है। यह लॉट्री सिस्टम हमारे संविधान के अनुसार एक प्रकार से जूआ है और इस लॉट्री सिस्टम को किसी भी प्रकार से प्रचलित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने लॉट्री सिस्टम रख कर इस प्रकार नमक की जो वितरण व्यवस्था रखी है तो इसमें हो सकता है कि एक ही स्थान के सभी व्यापारियों का नाम लॉट्री में खुल जाये। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री दयाकृष्ण विजय)

महोदय, मैं आपको कोटा डिवीज़न का उदाहरण दूंगा, यहां लॉट्री के अन्दर बारां में चार व्यापारियों को, दो कोटा में, दो रामगंज मन्डी में, एक अन्ता में और एक इन्द्रगढ़ में मिला। इस तरह से जो नमक की व्यवस्था थी और जो बड़ी ही स्मूथली चल रही थी उसको बदल दिया गया। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उस गरीब जनता की आवाज़ को सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि एक ओर तो हमारी सरकार समाजवादी समाज की व्यवस्था का नाम लेती है और उसका ढिंढोरा पीटती है और दूसरी ओर व्यापारियों को जो कि पहले से ही धनी-मानी है उनको और भी धनी-मानी बनाया जा रहा है। गांधी जी ने भी तो कहा था कि नमक के बारे में जनता को किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊं कि वहां के व्यापारियों ने कितने ही आवेदन-पत्र यहां सरकार के पास भेजे हैं और प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने यहां तक कहा कि नमक जो दूसरों को दिया गया है उनसे चार आना ज्यादा देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने चौदह आना दिया है तो हम एक रुपया दो आना याने चार आना ज्यादा देने को तैयार हैं, लेकिन उन लोगों के प्रार्थना-पत्रों पर कोई गौर नहीं किया गया। हम समाजवादी समाज की व्यवस्था के नाम पर कुछ पूंजीपतियों के हाथ मजबूत करना चाहते है। जहां एक ओर मैं कहता हूं कि समाजवादी समाज की व्यवस्था का ढ़ोंग पीटा जा रहा है उसी सम्बन्ध में एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अधिक बिक्री कर आज आम जनता पर लादा जा रहा है जिस समय बिक्री कर कानून पास हुआ उस समय जयपुर की जनता ने करीब दस—पन्द्रह रोज हड़ताल कर के बता दिया था कि वह अपने ऊपर इस प्रकार का अत्याचार सहन नहीं कर सकती। उस समय बिक्री कर का घोर विरोध किया गया था, मैं आपको बताता हूं कि इस समय और प्रतिगामी कर लगाना जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का तरीका है। जैसे-तैसे आज गरीब जनता अपने पैरों पर खड़ी है, हो पाई है, आप उसकी कमर तोड़ने का इरादा कर रहे हैं, जनता ऐसी चीजों को कभी सहन नहीं करेगी। मैं सदन के सामने इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार के प्रतिगामी कर जो जनता के जीवन में रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजों पर लगाये हैं, उन पर न लगायें। एक ओर आप कहते हैं कि हमने छोटे कर्मचारियों के वेतन में पांच रुपये बढ़ा दिये हैं, लेकिन दूसरी ओर आप इतने भारी कर लगा कर जनता की कमर तोड़ देना चाहते हैं। यह कहां तक न्यायोचित बात है और इससे हम कैसे कह सकते हैं कि हम समाजवादी व्यवस्था ला रहे हैं ?

अब मैं आपका ध्यान शिक्षा पद्धति की ओर दिलाना चाहता हूँ। सरकार का ध्यान हिन्दी की ओर नहीं जाता। मैंने पहले भी कई बार सरकार के सामने हिन्दी का प्रश्न रखा है। परन्तु मैं देखता हूं कि हिन्दी के लिये कोई योजना नहीं है। हिन्दी का प्रश्न हमारा राष्ट्रीय प्रश्न है। जिस तरह से आज राजस्थान के और भारतवर्ष के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है, मैं राजस्थान सरकार के सामने यह अर्ज़ करना चाहता हूं और एक सुझाव रखना चाहता हूँ, कि हिन्दी के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई जाये, उसके लिए एक निर्धा-

Page No.54

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रित धनराशि रखी जाए ताकि हिन्दी का विकास पूरी तरह से हो सके। आज हमारे नौ वर्ष के शासन—काल के बाद भी हम देखते हैं कि हिन्दी का प्रयोग कम होता जा रहा है, यह सचमुच हमारे लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे दिमागों में अंग्रेजी की गुलामी अभी तक भरी हुई है। लेकिन मैं आपको माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बता दूं कि हिन्दी का जो शब्द-भण्डार है उसकी खोज करने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया है और जो लोग इसमें कुछ करना चाहते हैं उनको सहायता नहीं दी जाती है। राजस्थान सरकार उसके लिये कुछ उनको सहायता दे, इस प्रकार के प्रयत्न वह नही करती है, लेकिन हम देखते हैं कि अंग्रेजी को ही प्रोत्साहन दे रही है, छोटे छोटे गांवों के अन्दर अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए लोगों की भावना बढ़ती जा रही है। जब शिक्षा की पद्धति का प्रश्न आता है तो मैं कहता हूं कि आज शिक्षा इतनी मंहगी बनती जा रही है कि यह साधारण जीवन के लिए मंहगी चीज हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारी जो प्राथमिक पाठशालायें हैं, मिडिल स्कूलें हैं, उनकी शिक्षा सभी जगह निःशुल्क हो। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है वहाँ शिक्षा का काफी प्रचार करे और लोगों को शिक्षित बनाये। जहां तक शिक्षा का संबंध है इसका आज राज्य के नियंत्रण में चलाया जा रहा है। पुस्तकों को राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी स्कूलों को राज्य के नियंत्रण में लेते जा रहे हैं। जब तक हम अपने विद्यालयों को स्वाभिमान का अनुभव नहीं करने देंगे वह अपना पूरी तरह से विकास नहीं कर सकेंगे। आज शिकायत यह है कि शिक्षालयों के लिये जो अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं, मास्टरों की जो गिरी हुई हालत है उनका स्तर ऊंचा उठाने के लिये, उनके वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन मुझे देखकर दुःख होता है कि शिक्षकों के वेतन के लिए कभी भी कोई बात इस बजट भाषण में नहीं रखी गई। जो शिक्षकों की अवस्था गिरी हुई है, उससे मैं कहता हूँ कि विद्यार्थियों पर काफी असर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा में जो कमियां हैं उसके खास कारण हैं ये अध्यापक। इन बातों के साथ साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी जो साहित्य एकाडेमी को दी जाने वाली एक लाख रुपये (आय-व्ययक अनुमान के अनुसार ५० हजार) की राशि है, नाटक एकाडेमी को दो हजार रुपया दिया गया है, तो इस बार तो बजट में यह पैसा देखने को मिला है। रुपया रखा गया है यह बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मुझे कहते हुए दुःख होता है कि राजस्थान की सरकार इस मामले में बहुत ही पिछड़ी हुई है, जब कि भारत की दूसरी सरकारें मामले में राजस्थान से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस बारे में जो भी अधिकारी रखे गये थे वह ऐसे रखे गये कि सारा का सारा पैसा लेप्स कर गये, इसमें भी नाटकों की उन्नति के लिये प्रयास नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक ललित कलाओं का प्रश्न है इस बजट में उसके लिये कोई उल्लेख नहीं, जैसे इसको तो इसमें से बिल्कुल हटा दिया गया है। मैंने पहले भी निवेदन किया था हमारे यहां आर्ट्स और संगीत दोनों को मिलाकर दुर्गति की जा रही है। यह हमारे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लिए दुर्भाग्य का विषय है कि आर्ट और संगीत दोनों अलग अलग विषय नहीं माने जाते। आज हम यह देखते हैं कि माननीय मंत्रीगण किसी भी संगीत संस्था का उद्घाटन करते हैं उसमें बालिकाओं के नाच को देख कर प्रसन्न हो जाते हैं, उसी को हमारे यहां आर्ट मान रखा है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं, हमारे जयपुर में कला संस्थान चलता है क्या आपने उनकी कला के प्रदर्शन का आयोजन किया है ? कभी नहीं। आज हमारे जयपुर का जो कला-कौशल था वह किसी समय कितना ऊंचा था, आज राज्य सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आज की सरकार केवल नाच और गान में डूब गई है। बालिकाओं के नृत्य को सभी कला मानकर, सांस्कृतिक साधनों का विकास मान बैठे हैं। इससे यह हुआ कि कलात्मक चीजों की ओर हमारी सरकार का ध्यान नहीं जाता। ललित कलाओं का विकास होना बहुत आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, पेन्टिंग्ज़ और दूसरी दस्तकारी के विकास का प्रश्न आता है तो हमारी सरकार को हम इस विषय में मौन पाते हैं। यह हमारे लिये बहुत आवश्यक है कि पेन्टिंग्ज़ और दस्तकारी का विकास किया जाय और इसके लिये बहुत बड़े अनुदान की आवश्यकता है।

अन्त में मैं यही निवेदन कर समाप्त करता हूँ कि यह बजट बहुत असन्तुलित है और खर्चों को बहुत अतिरंजित करके बताया गया है।

२. ११ म. प.

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट गत दो वर्षों की विकासोन्मुख हमारी परम्पराओं का एक द्योतक है। मैं सदन के सम्मुख इस बजट की जो मूलभूत विशेषतायें हैं वही रखूंगा और उसके साथ साथ जो कुछ कमियां मुझे दृष्टिगोचर हुई हैं उस ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले जो एक विशिष्ट बात हमें इस बजट में देखने को मिलती है वह है साहित्य एकेडेमी के लिये एक लाख रुपये की स्वीकृति। मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान बनने के बाद, पहली बार हमें यह अवसर देखने को मिला है कि साहित्य एकेडेमी जैसी संस्थाओं के लिये जनता के सहयोग को दृष्टिगत रख कर गवर्नमेन्ट ने एक लाख रुपया रखा है, इसके साथ ही नाटक-संगीत एकेडेमी के लिये भी बीस हजार रुपये इस बजट के अन्दर प्रस्तावित किये हैं।

यद्यपि संगीत और नाटक एकेडेमी के लिये बीस हजार की रकम न्यूनतम है तथापि यह सहज ही कहा जा सकता है कि हमारी सरकार ने उक्त रकम रखकर इस बात का परिचय दिया है वह हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना को जाग्रत करना चाहती है तथा उस ओर यह संकेत मात्र है जिससे प्रकट है कि सरकार ने इस बारे में कुछ करने का सोचा है। मुझे इसमें इस बात की कमी जरूर महसूस हुई है, जैसा कि मैंने कुछ रोज पूर्व यह सुना था, कि राजस्थान सरकार ने ललितकला एकेडेमी नाम की संस्था की स्थापना की है और उस एकेडेमी के अन्दर हमारे इस प्रान्त के भूतपूर्व राजा लोग, जिनको संगीत और नाटक से शौक था अथवा जिनके पास प्राचीन चित्रों आदि का संग्रह है ऐसे लोगों को बोर्ड में एडवाइज़री कमेटी के मेम्बर्स के रूप में रखा है। मैं इस सम्बन्ध में आपको यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि

Page No.56

(श्री मनोहर कोठारी)

उदयपुर विद्याभवन के सुप्रद्धि कलाकार श्री गोवर्द्धन जोशी को भी उसमें स्थान दिया गया है, ऐसा हमें अखबारों से ज्ञात हुआ है। लेकिन बजट को देखने से पता चलता है कि उक्त एकेडेमी के लिये प्रोवीजन नहीं रखा गया है, यह एक जरूर खटकने वाली बात हैं। खासतौर से इसलिये कि हमारा राजस्थान कलात्मक दृष्टि से काफी प्रसिद्ध रहा है, यहां की कला में एक विशेषता है, हमारे यहां पेन्टिंग के कई प्रकार के स्कूल्स हैं। जयपुर का आर्ट अपने ढंग का एक ही आर्ट है, इसी प्रकार नाथद्वारा की चित्र कला भारत में अपना एक विशेष स्थान रखती है। हमारी जो ललित कलायें हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात नयी हमको इसमें देखने को मिलती है, वह है ग्राम पंचायतों को कुछ आर्थिक सहायता के रूप में राजस्थान की भू-राजस्व की आमदनी में से रकम की प्राप्ति अर्थात् भू-राजस्व आय का कुछ हिस्सा हमारी ग्राम पंचायतों को भी दिया जाने वाला है। वह कुल मिलाकर जो रकम होती है करीब २५ लाख के होती है। १५ लाख रुपये भू-राजस्व की वसूली के ३ रु० २ आ० प्रतिशत की दर से अनुदान की सहायता पंचायतों को दी जायगी, इसी प्रकार ग्राम पंचायतों द्वारा जो विकास कार्य किये जायेंगे, उनके लिये दस लाख रुपया सरकार देगी, इस तरह से २५ लाख की व्यवस्था इसमें की गई है, जो वास्तव में श्लाघनीय बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन किये बिना नहीं रह सकता कि जिस समय बजट के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्रीजी भाषण दे रहे थे और जिसका कि उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया वह है हमारे यहां की खाद्य समस्या। उसका समाधान होना चाहिये और वह कृषि विकास पर निर्भर है। उसके लिये जो रकम निर्धारित की गई है वह कृषि की उन्नति के लिये बहुत कम है, तथापि राजस्थान नहर आदि के लाये जाने की जो योजना है उससे हमारी खाद्य समस्या पर काफी असर पड़ने वाला है और उससे हमारे प्रान्त की खाद्य समस्या कुछ हद तक सुलझाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त भू-दान आन्दोलन का भी हवाला हमें इस भाषण में मिलता है। भू-दान के सम्बन्ध में प्रगति राजस्थान में हो रही है उसको पर्याप्त माना जाना ठीक नहीं है। भू-दान का वातावरण हमारे प्रान्त में काफी अच्छा बनना चाहिये, वह दुर्भाग्य से कई जगह नहीं बन पाया है। जहां कहीं भी बना है बहुत थोड़ा बना है। कई जगह भू-दान में जो जमीन मिली है उसमें ज्यादातर जमीन बन्जर है।

इसके अलावा हमें जमीन की अधिकतम सीमा भी निर्धारित करनी चाहिये। यह अफसोस की बात है कि इस सम्बन्ध में सीलिंग कमेटी मुकर्रर हुई थी, उसकी कई बैठकें भी हुईं, उसने इस बारे में जांच करने का भी प्रयत्न किया कि जमीन की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की जाय। मैं यह भी निवेदन करना जरूरी समझता हूं कि जब तक आप जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं कर देते हैं और भूमि-हीन किसानों को जमीन नहीं दी जाती तब तक आपकी खाद्य समस्या और अन्य सिंचाई सम्बन्धी योजनायें सफल नहीं हो सकतीं।

Page No.57

(श्री मनोहर कोठारी)

उपाध्यक्ष महोदय, हम आये दिन गांवों में भूमि सम्बन्धी झगड़े देखते हैं, खेतों के बारे में झगड़ा होता है, तालाब के पानी पर झगड़ा होता है, जागीरदार लोग जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, वह इस तरह की जमीन है जो किसानों से जुड़ी हुई है। जागीरदार किसानों को काफी नुकसान पहुँचाते हैं और अपनी जमीन का फायदा उठाते हैं। हमारे इस बजट में इस बात की ओर संकेत दिया जाता तो वास्तव में अच्छा होता।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है उसमें भी किसी प्रकार का विशेष प्रावधान रखा गया हो, यह बात नहीं है। शिक्षा के सम्बन्ध में संभवत, सरकार सोचती है जो स्कूलें खोली गई हैं अथवा जिन स्कूलों की व्यवस्था की गई है वे पर्याप्त हैं। राजस्थान एक पिछड़ा इलाका है, यहां पर अज्ञान की मात्रा अधिक है। अभी भी यहां कई ऐसी तहसीलें हैं, जिनमें कोई स्कूल नहीं, जहां के लोग अशिक्षा के कारण दबे हुए हैं। क्या उन लोगों के लिये यह आवश्यक नहीं कि शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ विशेष रकम रखी जाती? मैं इस आवश्यक बात की ओर हमारे वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इस बजट में आमेट में हायर सैकिन्डरी स्कूल के लिये भी एक आइटम देखने को मिला है, उसके लिये १५ हजार रुपया सरकार ने देना निश्चित किया है। इसमें आगे यह लिखा हुआ है कि ५६-५७ में दस हजार रुपये खर्च कर दिये गये। मुझे अफसोस होता है, यह कहते हुए कि, जो यह स्कूल बनी है उसमें सरकार द्वारा इस मद में एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के नाम से मंजूर—'शुदा' रकम रुकी हुई है, अभी तक उस संस्था को एक भी पैसा नहीं मिल पाया है। दस हजार रुपये का प्रोवीजन खर्च के मद में बताया गया है, यह किस प्रकार बताया गया है, माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे। इससे तो यही पता चलता है कि आमेट के नाम से यह रकम किसी दूसरी जगह खर्च कर दी गई।

मुझे यह भी मालूम हुआ कि ऐसे ही कई स्कूलों की बिल्डिंगों की रकम खर्च हुई बताई गई है, वह कई जगह खर्च नहीं की गई। पर मैं सूचना के तौर पर निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई रकम वास्तव में खर्च नहीं हुई, वह कुल रकम इस वर्ष खर्च की जाय।

पूंजीगत आय में जो रकम रक्खी गई है वह है १७११.३२ लाख रुपया। इसमें से १६६५.१८ लाख रुपया की रकम विकास के कामों के लिये खर्च होने वाली है, यह वास्तव में सराहनीय बात है। हमारा प्रदेश, जो कई कारणों से पिछड़ा रह गया, दोहरी तिहरी गुलामी में पड़े रहने के कारण, वह अब प्रगति कर सकेगा, यह जान कर हमें प्रसन्नता है। पहली गुलामी थी अंग्रेजों की, दूसरी थी राजाओं की और तीसरी जागीरदारों व जमींदारों की, इसके सिवाय भी कई ऐसे गुलामी के अंग अब भी बच रहे हैं जिनकी और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज देवस्थानों के कुछ गांव ऐसे हैं जहां दो-दो देवस्थानों की हुकूमत चल रही है। मैं सोच नहीं पाता कि आखिर आज आजादी आने के बाद भी यब बात क्यों है? सरकार ने इस ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया

(श्री मनोहर कोठारी)

है, इसके लिये सरकार को अवश्यमेव ध्यान देना चाहिये ।

जहां तक सड़कों का सवाल है नई सड़कें बनाने के लिये अवश्य अच्छी राशि रक्खी गई है, पर एक चीज खटकने वाली मालूम पड़ती है, वह है पुरानी सड़कों को सुधारने के सम्बन्ध में रक्खी गई राशि । मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि उदयपुर से कुम्भलगढ़ की एक सड़क है । यह एक ऐतिहासिक स्थान की सड़क है । वह कोई १२ वर्ष पहले बनी । इसके बाद अब तक इस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया । कई जगह से वह आज टूट गई है । पर ऐसी महत्वपूर्ण सड़कों की मरम्मत की ओर आज कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । वह दिया जाना चाहिये, ऐसी मेरी प्रार्थना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कई ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान हैं, जिनके टूरिस्ट सेन्टर कायम करने के सम्बन्ध में कोई बात नहीं हुई है । मैं निवेदन करूंगा कि चित्तौड़, कुम्भलगढ़, राजसमन्द जैसे ऐति-हासिक स्थानों के साथ ही साथ राजस्थान में ऐसे धार्मिक स्थान भी हैं, जो सारे देश में प्रसिद्ध हैं, जैसे केसरियाजी, एकलिंगजी, नाथद्वारा, कांकरोली आदि । इन स्थानों पर जो भी बाहर के लोग आवें उन्हें वे स्थान दिखाये जाने चाहिये और इसके लिये पूरी व्यवस्था भी होनी चाहिये । पर इस सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था करने वाली है और सरकार क्या सोच रही है, यह इस बजट से स्पष्ट नहीं होता ।

जो झीलें हमारे यहां हैं, उनके बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं । उदयपुर डिवीजन में राजसमन्द प्रसिद्ध ऐतिहासिक झील है । उसमें नहरें बनाई गई हैं । जिससे उसमें पानी की कमी आ गई है । उसमें अगर किसी और जरिये से पानी नहीं पहुँचाया जाता तो उसकी उपयोगिता बहुत कम होने का भय है । यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक झील है । मुझे मालूम है कि सन् ५५-५६ में उसके पास से निकलने वाली खारी नदी को उधर डाइवर्ट करने की एक योजना बनी थी । इसके लिये कुछ खर्चा भी किया गया । पर आज तक वह योजना किस खटाई में पड़ी हुई है, पता नहीं है । अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की योजनाओं को शीघ्र बढ़ाया जावे ।

अब अतिरिक्त आय की जो व्यवस्था बताई गई है, उसकी ओर ध्यान देने पर मालूम पड़ता है कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से २ लाख रुपया, एक्साइज़ से १५ लाख, मोटर से १० लाख रुपया, एन्टरटेनमेन्ट से ३ लाख रुपया, सेल्स टैक्स से ५० लाख रुपया, बैटरमेन्ट लेवी से २० लाख रुपया, और इर्रिगेशन से ५ लाख रुपया प्राप्त किया जायगा । हमारी सरकार ने वास्तव में कोई साहस का परिचय नहीं दिया । क्योंकि डाइरेक्ट टैक्स लगाने के बजाय इनडाइरेक्ट टैक्स लगाये हैं । आज जिस तरह के अफसर सेल्स टैक्स आदि वसूल करने में लगे हैं उनसे इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती कि आय के इस बहुत बड़े भाग को अच्छी तरह से वे संरक्षण दे सकेंगे । मैं बताना चाहता हूं कि इस विभाग में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसेसमेन्ट करने का प्रारम्भिक स्वरूप भी मालूम नहीं है । कई गांव ऐसे छूट गये हैं कि जिनमें बिक्री कर वसूल हो सकता है

Page No.59

(श्री मनोहर कोठारी)

वह छूट गये हैं। अगर इसमें थोड़ी सख्ती बरती जावे और राज्य सरकार भी थोड़ी दृढ़ता से काम ले तो जो पचास लाख रुपया सेल्स टैक्स के जरिये वसूल होने की बात कही गई है वह बिना टैक्स बढ़ाये भी पूरी हो सकती है।

(घंटी)

इसके साथ एक निवेदन यह भी करना आवश्यक है कि यह जो टैक्स की विधि है इसमें थोड़ा सा सुधार करना आवश्यक है। क्योंकि जनता आज जानती है कि इस जनतन्त्री युग में बिना टैक्स दिये काम नहीं चल सकता और खास करके राजस्थान का नक्शा बदलने की सम्भावना बिना टैक्स के पूरी होती नहीं दिखती। तो जनता देना चाहती है, इन्कार नहीं करती, पर इसकी विधि में सुधार करना होगा। जैसे मैं बताऊं कोर्ट फीस है। प्रचलित तरीका आज यह है कि ७॥ या ८ प्रतिशत फीस ली जाती किन्तु वसूली का ढंग बड़ा पेचीदा है और बहुत तवालत होती है। आज लोगों को इसके लिये अलग अलग जगहों पर अलग अलग फीसें देनी पड़ती हैं और इसके काफी तवालत होती है। इससे बिना वकील किये कोई मुकदमा नहीं लड़ सकता। यह समस्या दो रुपया सैकडा फीस बढ़ा कर एक ही जगह वसूली हो तो इससे उस तवालत से आदमी छूट जावेगा।

(घंटी)

तो इस इस तरह से इस टैक्स की विधि में सुधार लाना जरूरी है।

मुझे और भी कई बातें अर्ज करनी थीं पर समय नहीं है, इसलिये इतना ही कह कर कि जो हमारे सामने प्रस्ताव आया है बजट का वह अन्ततोगत्वा आशाजनक है, और काफी हद तक उचित भी है; हमें उसे ज्यों स्वीकार करना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आज राजस्थान का ५७-५८ का बजट जो हाउस के सामने पेश हुआ है इसके पहले भी इसी तरह का एक बजट ५६-५७ का पेश हुआ था। माननीय उपाध्यक्ष, इन बजटों में हर साल राजस्थान सरकार घाटा बताती है और उस घाटे की रकम के हर साल बढ़ने के अतिरिक्त इसको पूरा करने के उपाय कोई भी माननीय वित्त मन्त्री नहीं बताते न यह ही बताते हैं कि इस साल तो एक पैसे का भी घाटा नहीं रहा।

इसके अलावा राजस्थान बनने के वक्त सरकार के पास जो १५ करोड़ रुपया रिज़र्व में जमा था वह भी खत्म कर दिया। इसके बावजूद भी यह सरकार हर साल घाटा ही बताती है। तो इस तरह से यह सरकार कब तक चल सकती है? माननीय उपाध्यक्ष जी, हर वक्त कभी ५ करोड़ का घाटा दिखाते हैं, कभी ३ करोड़ और कभी १ करोड़ का घाटा बताते हैं, लेकिन इस घाटे की पूर्ति के लिये सरकार क्या उपाय सोचती है? इसके लिये आज जो हाउस में मेम्बर बैठे हैं वे भी हर बात की ओर यदि पूरा ध्यान दें तो मामला हल हो सकता है। राजस्थान सरकार जो है, वह माननीय मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उन्हीं की नहीं है। अपने सब लोगों ने मिल कर राजस्थान सरकार को बनाया है और इसकी जिम्मेदारी हर एम. एल. ए. के ऊपर है। यदि इस तरह की जानकारी रखते हैं तो आज राजस्थान सरकार न तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कोई रुपया मांग सकती है और न राजस्थान

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

में घाटा हो सकता है। इसका कारण क्या है ? आज राजस्थान सरकार किसी भी चीज के लिये अंधाधुन्ध पैसा रख देती है। बजट में फलाँ चीज से २० लाख रुपये आ जायेंगे, १० लाख रुपये फलां चीज से आजायेंगे और ५ लाख रुपये फलां चीज से आ जायेंगे; लेकिन यह सरकार इसका उपाय नहीं सोचती कि ५ लाख या १० लाख रुपयों की हमेशा के लिये इन्कम हो जाय।

उपाध्यक्षजी, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने रोजाना काम आनेवाली चीजों पर सेल्स टैक्स लगाया है, वह उन चीजों पर न लगाकर उन पूंजीपतियों के काम में आनेवाली चीजों पर लगना चाहिये था जिनके पास बहुत सा रुपया है या जिनको बहुत सा रुपया उधार देकर आगे बढ़ाने का साहस करते हैं। उन पूंजीपतियों की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ चलती हैं जैसे सीमेन्ट की और बॉलबेयरिंग की चलती हैं जो हिन्दुस्तान भर में एक ही फैक्ट्री है उसको कितनी कम रेट पर बिजली सप्लाई करते हैं; और राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा इन चीजों को बाहर से मंगाने के लिये बिल्कुल मना करने के बावजूद भी आज इनको कितने रुपयों का फायदा होगा और राजस्थान सरकार के बगैर रूल्स के, बगैर कानून चाहे जिस तरीके से पैसा खर्च करती है और चाहे जिस तरीके से मुनाफा किसी भी तरह लेकर राजस्थान सरकार को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी को उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि वे ध्यान में रखें कि जो हिन्दुस्तान में ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा कर लगना चाहिये और हमारे यहां की गरीब और दुखी जनता पर कम टैक्स हो, बनिस्पत उन फैक्ट्रीज़ के। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि छोटी से छोटी चीज पर सेल्स टैक्स और एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स और दूसरे टैक्स लगाकर राजस्थान की उन्नति करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। उन चीजों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिये जो पैसे वालों के काम आती हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि १० लाख रुपयों के शेयर राजस्थान सरकार के एक फैक्ट्री में हैं। वह भी हिन्दुस्तान में एक ही फैक्ट्री है। उसके मुकाबले की दूसरी कोई फैक्ट्री नहीं है। मान इन्डस्ट्रीज़, जयपुर में राजस्थान सरकार के १० लाख रुपयों के शेयर हैं, लेकिन आज तक उससे १० पैसे भी राजस्थान सरकार को नहीं मिले हैं। इसके बारे में वित्त मन्त्री जी ने भाषण में कहा है कि उसका ब्याज आ जायगा। ब्याज आने की उम्मेद हमको तो है नहीं। यदि राजस्थान सरकार को है तो अगले बजट में देख लेंगे कि कितना ब्याज राजस्थान सरकार ने इन पूंजीपतियों से लिया और राजस्थान की उन्नति में पैसे लगाये। लेकिन हमको इसकी उम्मेद नहीं है। जिस इन्डस्ट्री के लिये राजस्थान सरकार ने २० लाख से ज्यादा रुपये स्पिनिंग और वीविंग मिल को दिये हैं और १० लाख रुपये मान इन्डस्ट्रीज़ को दिये हैं और ७० लाख रुपये पहले जो सीमेन्ट फैक्ट्री थी उसको दिये हैं उनसे कुछ भी फायदा सरकार को होनेवाला नहीं है। इस साल भी कुछ रुपये राजस्थान सरकार की तरफ से और दिये गये हैं, ऐसा सुना था। ऐसी हालत में और भी जगह जैसे गंगानगर शुगर मिल है उसके लिये भी काफी चर्चा पहले हुई थी। हमको अच्छी तरह मालूम है कि यह शुगर मिल

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

३ लाख रुपयों में बिक रही थी। उसके बजाय आज ६ लाख रुपये राजस्थान सरकार की तरफ से दिये जाते हैं। इसकी चर्चा हुई थी कि ये रुपये क्यों दिये जा रहे हैं, इतने रुपयों में तो नई मिल बैठ सकती थी। एक जियोलोजिस्ट हैं मि. वाडिया जो भारतवर्ष और राजस्थान में माने हुए जियोलोलिस्ट हैं, उन्होंने फाइनेन्स सेक्रेटरी और इन्डस्ट्रीज़ सेक्रेटरी को बताया था कि राजस्थान की भूमि में इस तरह का भूगर्भ है जैसा दूसरे प्रान्तों में नहीं है। लेकिन आज राजस्थान में उसका कोई सर्वे नहीं किया गया है और न इसकी ओर कोई तावजह दी गई है जिससे कि राजस्थान आगे बढ़ सके और राजस्थान की सरकार पैसा खर्च करे।

राजस्थान सरकार न तो सड़कों के लिये पैसे खर्च करती है और कोई कंप्रेसर आदि मशीनों के लिये पैसे खर्च करती है। खेती आदि के लिये न तो किसी को पूरी तरह से पैसे देती है और न किसी और तरह की फेसिलिटीज़ देती है। जो डिफिकल्टीज़ माइन ओनर्स को होती है उसे भी सरकार दूर नहीं कर पाती है। जिप्सम् की खानें बन्द पड़ी हैं उनसे कई लाख रुपये सालाना की आमदनी हो सकती है। ए. सी. सी. सीमेंट फैक्ट्रीवालों के पास ३००० हजार एकड़ भूमि है। वह एरिया जिप्सम् का है। उससे ५० लाख रुपया सालाना सरकार को मिल सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार उसे नहीं ले पाती है। इतनी बड़ी जमीन कानून के जरिये भी किसी के पास नहीं रह सकती। ज्यादा से ज्यादा १० मील का एरिया एक पार्टी ले सकती है, लेकिन कई हजार मील का एरिया ए.सी. सी. सीमेंट वाले के पास है और सरकार कुछ भी भी नहीं कर पा रही है। राजस्थान सरकार को चाहिये कि उस जमीन को जल्दी से जल्दी ले ले, और भी कई चीजें हैं जो राजस्थान सरकार को उन्नति की ओर ले जा सकती है; लेकिन सरकार इस ओर ध्यान न देकर मामूली चीजें जो बच्चों और लेबर क्लास के लोगों के काम में आने वाली हैं उन पर सेल्स टैक्स लगाकर सरकार चलाना चाहती है, तो यह कहां तक बात है। बड़ी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिये छोटी-छोटी चीजों पर टैक्स लगाने की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिये। यदि बड़ी-बड़ी चीजों की ओर सरकार ध्यान देगी तो राजस्थान सरकार एक पैसे भर घाटे में नहीं रहेगी लेकिन बड़ी योजनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जयपुर बैंक राजस्थान में सबसे बड़ा बैंक है जहां १८ करोड़ रुपया का लेन-देन होता है, जिसमें से ६ करोड़ रुपये डाइरेक्टर्स ने ले रखे हैं। वे लोग अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुँचाते हैं और ६ करोड़ रुपयों से पब्लिक का लेन-देन होता है। मैं राजस्थान सरकार और वित्त मन्त्री जी को यह बता दूं कि जयपुर बैंक की क्या हालत है? आज २३ लाख रुपयों का दावा उस पर हो रहा है। ऐसी बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज जो बैंको की हालत है, जयपुर बैंक की हालत है कि लोगों से पैसा ले लिया जाय, लेकिन कुछ पता नहीं चले।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, भाषण तो मैंने अभी शुरू किया है, घंटी बजाना शुरू कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने अधिकारों की सीमा में रहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सदस्य कम से कम २० मिनट तो बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम होना चाहिये कि हर वक्ता के लिये १५ मिनट निश्चित हो चुके हैं इसलिये इस निर्णय का विरोध करना उचित नहीं है। अभी आपके दो मिनट बाकी हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दो मिनट तो बाकी हैं। लेकिन वक्ता भी तो देखा जाता है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ कीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह बात नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच मिनट तो और देने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : जो समय निश्चित है उस सीमा में आप चलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच मिनट में क्या होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : No time pleasae.

आपके दो मिनट और बाकी हैं, आप आरम्भ कीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बाद में और समय देने की मांग करूंगा। तो मैं कह रहा था कि ऐसी हालत में राजस्थान सरकार पूरी रिपोर्ट, हाउस के सामने रखे और हम लोगों को बतावे कि जयपुर बैंक में ऐसा घोटाला हो रहा है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिन पास हुए एक साल हो गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं हो रहे हैं। उनके चुनाव सरकार को जल्दी से जल्दी कराने चाहिये। मेरे दूसरे माननीय सदस्य, जो दूसरी जगह से आये हैं, वे जानते होंगे कि जयपुर और बीकानेर के अलावा कहीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स नहीं हैं। इसी कारण राजस्थान सरकार इनमें पूरी दिलचस्पी नहीं लेती। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, उनको राजस्थान सरकार कुछ पैसा नहीं दे पाती है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सारे राजस्थान में हों तो राजस्थान सरकार कुछ इन्ट्रेस्ट लेती। अगर ऐसा है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बिलकुल खत्म करना चाहिये क्योंकि राजस्थान सरकार तहसील पंचायतों को, पंचायतों को उनके अधिकार देती है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आवश्यकता नहीं रहती। उनके चुनाव हों और उनके चुनाव के परिणाम के बाद जनता पर जो टैक्स लगाने चाहिये वे लगें यह ठीक नहीं हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी हैं, उनकी सर्विसेज जो छोटी-छोटी म्युनीसिपेलिटी और बड़ी म्युनीसिपेलिटी के कर्मचारी हैं, के समाज होने चाहिये। पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकार की सर्विसेज़ की हालत है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों को भी होनी चाहिये। मैं वित्त मन्त्री महोदय से कह रहा हूँ कि उनकी सर्विसेज़ भी म्युनीसिपेलिटी के कर्मचारियों की सर्विस की तरह से मानी जानी चाहियें।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्षजी, आज यह जो बजट पेश किया है, उसके अन्दर हमारी सरकार ने कुछ घाटा बताया है। उस घाटे के बजट में सबसे ज्यादा पुलिस का बजट होना चाहिये लेकिन उस पुलिस का बजट बहुत कम रखा गया है। जो दूसरे ऑफिस के लोअर डिवीजन क्लर्क हैं, उन क्लर्कों के आधार पर तो उनका बाट

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

रखना चाहिये। इस बजट में यू. डी. सी., एल. डी. सी., सुपरिन्टेंडेंट आदि का आप लोगों ने ध्यान नहीं रखते हुए, पुलिस वालों के केवल ५ रुपये बढ़ाये हैं, जब कि वे सुबह से शाम तक मेहनत करते है। उनकी कितनी जिम्मेदारी है? ऐसी हालत में पुलिस का सबसे ज्यादा बजट होना चाहिये, आज आप लोगों को यदि यह मालूम पड़ता कि वे लोग किस हालत में गुजारा कर रहे हैं, इसलिये उनके लिये ज्यादा बजट होना चाहिये। दूसरे बड़े बड़े कर्मचारियों........

(घंटी)

की सरकार ने तनख्वाह बढ़ाई है, उनकी तनख्वाह न बढ़ा कर उन कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मुझे दो मिनट तो और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : No time please. Please take your seat.

श्री मुक्तिलाल मोदी : खत्म तो करूं।

श्री उपाध्यक्ष : Please take your seat. Will not resist please. Order please! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दो मिनट तो और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट से अधिक ले चुके हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अपनी बात तो खत्म कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दो मिनट में मैं खत्म कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक मिनट चाहता हूँ, आप आधा मिनट दे दीजिये।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : Go on.

श्री मुक्तिलाल मोदी : आज जो बजट पेश किया है, जो घाटे का बजट है, वह नहीं होना चाहिये। इसलिये राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है कि जिन चीजों के ऊपर टैक्स लगाया है वह न लगाकर राजस्थान सरकार ऐसी स्थिति पैदा करे जिससे राजस्थान उन्नति कर सके।

(करतल-ध्वनि)

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो बजट भाषण वित्तमंत्री महोदय ने पेश किया और उसके साथ ही साथ बजट की कॉपी भी हमें दी गई उसके बारे में अब हमें यह देखना है कि बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने जो अपने उद्‌गार प्रगट किये हैं और जो बजट में आयव्यय के लिये अङ्कगणित की गणनायें हमें बताई हैं, वे क्या हमारे व हमारे प्रदेश के लिये उपयुक्त हैं या नहीं? बजट का साधारण नियम यह है कि खर्च को सामने रख कर बजट को तैयार किया जाता है.......

Page No.64

श्री अर्जुनदास : जोर से बोलिये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : बजट का साधारण नियम यह है कि खर्च को समक्ष रखते हुए, उसी के आधार पर बजट तैयार होता है । आज हमारे देश की नीति यह है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना की ओर बढ़ें और समाजवादी समाज के तरीके पर ही हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं और उसी के आधार पर यह बजट तैयार किया गया है । मैं इस बजट में जो अच्छाइयां हैं, उनका दिग्दर्शन कराऊंगा और जो खामियां हैं, उनका भी दिग्दर्शन कराना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ । इस बजट में जो पंचवर्षीय योजना के तहत, सिंचाई योजना, स्कूल और औषधालय, चिकित्सालय और एकेडमी इत्यादि इत्यादि अच्छे कार्यों के लिए पैसा रखा गया है, उसके लिए वित्तमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं । वित्तमंत्री आज तक तो साहित्य के विशेषज्ञ समझे जाते थे किन्तु अब वे अर्थ विशेषज्ञ भी माने जाने लगे हैं । उन्होंने साहित्य के साथ साथ वित्त विभाग लेकर अपनी चतुरता का परिचय दिया है ।

श्री अर्जुनदास : Why so much buttering ?

श्री उपाध्यक्ष : Please !

श्री पुरुषोत्तमलाल : उन्होंने बजट में जिन विशेषताओं का दिग्दर्शन कराया है, उसके साथ ही उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्ति का भी परिचय दिया है और इस प्रदेश की उन्नति के जो साधन इसमें बताये हैं, इसके वे धन्यवाद के पात्र हैं । किन्तु साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि हम समाजवादी ढंग पर इस समाज को ले जाना चाहते हैं, उसके लिये इस बजट में कोई खास गुंजाइश नहीं है क्योंकि जब हम प्रजातंत्रिक समाजवादी समाज की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो उसके लिये हमारा पहला फर्ज यह है कि हम समाज की शिक्षा, चिकित्सा और रोटी कपड़े की पहले व्यवस्था करें । तभी हम समाजवादी समाज की व्यवस्था हमारे प्रदेश में ला सकते हैं । इस बजट में और बातों के साथ यानी सिंचाई की व्यवस्था करने, स्कूल चिकित्सालय इत्यादि खोलने के साथ साथ अगर वित्तमंत्री महोदय इस बजट के अन्दर हमारे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और कम्पलसरी एजुकेशन की स्कीम रखते तो अधिक महत्वपूर्ण बात होती, और इस प्रदेश के लिए ज्यादा कारगर होती । हमारा प्रदेश शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और यहां की गरीब जनता की यह हालत है कि वे बच्चों की सुचारू रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं करा सकते । ऐसी हालत में बजट में इसका कोई प्रोविजन नहीं रखा है, उसके लिये खेद है ।

जहां हम देखते हैं कि एक तरफ हम समाजवादी समाज व्यवस्था को अपनाने चल रहे हैं तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज ऐसे बड़े बड़े कॉलेज स्कूल्स हैं, जहां २५ रु० और ३० रुपये मासिक शिक्षा की फीस ली जाती है और जहां गरीब नागरिक अपने बच्चों को अर्थाभाव के कारण नहीं पढ़ा सकते । मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान में जिस प्रकार पहले रियासतों में निःशुल्क विद्या दी जाती थी, यदि वित्तमंत्री महोदय दूसरे कर लगा कर उसी प्रकार निःशुल्क विद्या का प्रावीजन इस बजट में रखते तो उत्तम होता और इससे पिछड़ी हुई राजस्थान की गति विधि में उन्नति लाने की कोशिश होती ।

Page No.65

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

आज हमें प्रतिपक्षियों की ओर से यह कहा जाता है कि साहब पुराने जमाने में घाटे का बजट नहीं होता था। कुछ मित्रों ने तो कहा कि घाटे का बजट नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा कि प्रजातन्त्र में घाटा अथवा नफा नहीं देखा जाता। घाटा–नफा महाजनों की दुकानों में देखा जाता है। यहां प्रजातन्त्र को उन्नति के साधनों द्वारा पनपाना है और यह देखना है कि जनता की जरूरियात क्या हैं, और उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, उनको घाटे से पूरा कर सकते हैं अथवा नफे से पूरा कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करना है, तो वह तो बात दूसरी है। हमें अपने प्रदेश की जनता की जरूरीयात पूरी करनी है और प्रदेश की उन्नति करनी है। प्रतिपक्षियों की ओर यह भी कहा जाता है कि राजा लोग करोड़ों रुपया छोड़ कर गये, वह भी खर्च हो गया, और फिर भी आज घाटा है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उस जमाने में जनता की भलाई की कोई योजनायें नहीं थी, उस वक्त न चम्बल बांध था, न भाखरा बांध था और न दूसरे बांध थे, न इतने स्कूल थे, न इतने औषधालय थे। आज आप देखते हैं कि जगह-जगह स्कूलें व दवाखाने खोले जाते हैं, बांध बनाये जाते हैं, जगह-जगह जनता की भलाई के निर्माण कार्य किये जाते हैं।

पहले की व्यवस्था में जनता के सम्बन्ध में राजाओं का यह ख्याल था कि शहरी जनता जो ज्यादा बोलने वाली है, उन्हीं का ध्यान रखा जाय और उसी के अनुसार राजा लोग शहरी जनता का ही ध्यान रखते थे। वहां वे थोड़ी बहुत जनता की सुविधाओं के साधन जुटा कर बाकी रुपया अपने ऐशो आराम में व्यय करते थे और गाँवों की आवश्यकताओं का उस समय ख्याल तक नहीं रखा जाता था। पर आज वह स्थिति नहीं है, आज हमें प्रदेश को ऊँचा उठाना है, गाँवों की जनता का और शहरों की जनता का, सब का समान रूप से ध्यान रखना है। इसलिये घाटे की हमें परवाह नहीं करनी चाहिये। लेकिन फिर भी जो कर घाटे की पूर्ती के लिये लगाये गये हैं, उनमें से मैं कुछ इत्तफाक नहीं करता और खास तौर से एग्रीकल्चरल इन्कम पर जो ६ हजार की आय से घटा कर ४०००) रु० की आय पर कर लगा दिया गया है वह उचित मैं नहीं समझता। जिस तरह इनकम टैक्स को बचाने के लिये याने इनकम टैक्स से बचने के लिये महाजन लोग अपने बेटों, बहुओं और अपनी स्त्रियों के नाम से अलग-अलग व्यापार चलाते हैं उसी तरह यह व्यवस्था करके, याने ६ हजार से घटा कर ४००० की आय पर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगा कर गाँव वालों को भी सिखा देंगे कि वे भी अपनी जमीनों के टुकड़े इसी प्रकार अपने बेटों के नाम, बहुओं के नाम और अपनी स्त्रियों के नाम से कर दें, और इस तरह हम जिस तरह के समाज की रचना करना चाहते हैं वह पूरी नहीं कर सकेंगे। इसलिये जो यह एग्रीकल्चरल इन्कम के बारे में ६ हजार से घटा कर चार हजार की आय पर टैक्स का रखा है, मैं उसके सख्त मुखालिफ हूं और मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्रीजी इस पर पूर्ण रूप से पुन: विचार करेंगे।

इसके अलावा प्रशासनिक खर्च में कोई कमी नहीं की गई है क्योंकि हर अच्छे बजट

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

में यह देखा जाता है कि प्रशासनिक खर्च में कमी हो और समाज कल्याण के कार्यों में ज्यादा रुपया लगे, वही उत्तम बजट कहलाता है। पर आज मैं देखता हूँ, कि प्रशासनिक खर्चा इतना बढ़ गया है कि आगे जाकर हम इसे सम्हाल भी सकेंगे कि नहीं, मुझे तो इसमें सन्देह हो रहा है। क्योंकि आज हम जितनी ही अधिक बड़ी-बड़ी वेतन वाली पोस्ट्स क्रियेट करते हैं उतना ही हम गरीबों का और हमारे समाज का कल्याण नही कर सकते। आज राजस्थान में कमिश्नरियां स्थापित हैं, वे केवल लेटर बोक्स का काम करती हैं, कागजों को इधर से उधर घुमाना, कागजों में डिले करना मात्र ही इनका काम है। मैं आशा करता हूँ कि इन कमिश्नरियों को हटाकर कलेक्टरों का डाइरेक्ट सेक्रेटेरियेट से, यानी डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरीज़ से सीधा सम्बन्ध कर दिया जायगा तो अति उत्तम होगा इससे प्रशासनिक खर्च में कमी के साथ साथ कागजों में जो डिले होती है वह भी रुक जायगी।

आज भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एक आई० जी० पी० की जगह दूसरा आई० जी० पी० और ला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दूसरा आई० जी० पी० भी लाकर आज जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको नहीं मिटा सकते जिस प्रदेश में ७५ फी सदी भ्रष्टाचार फैल जाता है, वहां उसे मिटाना बड़ा मुश्किल होता है जहां ७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार फैल जाता है यानी ७५ प्रतिशत लोग भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं वहां पर कानून का अमल नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में भ्रष्टाचार तो तभी मिटेगा जब कि हम हमारी भावी पीढ़ियों को, यानी हमारे बच्चों को जो स्कूलों, कालेज में पढ़ते हैं, उनको मोरेलिटी की शिक्षा देंगे; जैसे कि इङ्गलैण्ड में बचपन से ही दी जाती है। क्या बात है कि इङ्गलैण्ड में एक छोटा बच्चा या बड़ा व्यक्ति अगर गलती करता है तो वह उसे तुरन्त स्वीकार कर लेता है? पर हमारे यहां बड़े से बड़ा या बड़ा बूढ़ा आदमी जिसे हम समझदार कहते हैं वह भी ऐसा नहीं करता, तो हमें भ्रष्टाचार के कॉज़ को ढूंढ़ना चाहिये, कारण को ढूंढ़ना चाहिये। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी शिक्षा की पद्धति में आमूल मूल परिवर्तन करना चाहिये और शिक्षक ऐसे योग्य रखने चाहिये कि जो हमारे बच्चों को अच्छे और योग्य बना सकें।

बजट में इन्डस्ट्रीज़ के बारे में कोई प्लान नहीं बनाया गया है। अभी मुझे बताया गया कि इंडस्ट्रीज के नाम पर एक ही व्यक्ति को लाखों रुपया दिया जाने वाला है, किन्तु यह उपयुक्त नहीं है। क्योंकि राजस्थान में जितनी कोटेज इन्डस्ट्री उपयुक्त हो सकती है उतनी दूसरी इन्डस्ट्री उपयुक्त और लाभप्रद नहीं हो सकती। चाहे हम ऋण डालमियां के जंवाई को दें, पर महाजन रुपया लेता है तो आँखें उसकी दूसरी होती है ? और देते वक्त आँखें उसकी दूसरी तरह की हो जाती हैं। इसलिये हमारे गरीबों की कमाई का पैसा एक ही व्यक्ति को देना उचित नहीं प्रतीत होता। अगर हमें देश की उन्नति करना है तो इन्डस्ट्रीज़ राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। कोटेज इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के स्थान पर और बड़ी इंडस्ट्रीज को राष्ट्रीयकरण करने के स्थान पर इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को एक एक करोड़ रुपया दें, किसी अवस्था में यह उचित नहीं होगा। जिस कांस्टीट्युएन्सी से मैं आता हूँ उसमें,

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

किशनगढ़ में कपड़े की मिल है, वह दो साल से बंद है पर उसकी ओर सरकार कोई तवज्जह नहीं देती। किशनगढ़ मिल में ३००० आदमी काम करते थे और उनके आश्रित १५००० आदमी थे। किशनगढ़ और मदनगंज मंडी इसी पर आधारित थीं। वे सब लोग आज बेकार हैं, उनको काम न देकर डालमियांजी के जंवाई को ६०-७० लाख रुपया दिये जाने की कोशिश की जा रही है, पर किशनगढ़ की एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिये मैं राजस्थान सरकार से और खास तौर से वित्त व मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि किशनगढ़ की जनता की तरफ भी खयाल करें।

अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ और निवेदन करूंगा। आज हम स्कूलें और कॉलिज खोलते हैं, पर हमें सोचना है कि ये कॉलेज और स्कूल वाकई हमारे काम आते हैं कि नहीं, इनसे हमारे बच्चों को लाभ मिलता है कि नहीं? अगर नाम मात्र के कॉलेज या स्कूल खोलते हैं तो उनसे कोई लाभ नहीं। किशनगढ़ के कॉलेज में न कॉमर्स है और न साइन्स है और इसके फलस्वरूप किशनगढ़ से रोजाना २०० लड़के अजमेर पढ़ने जाते हैं। मैं एज्युकेशन मिनिस्टर साहब और वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि किशनगढ़ के कॉलेज में कॉमर्स और साइन्स की क्लासें खोल कर वहां के लोगों को व उनके बच्चों को फायदा पहुँचायें।

सड़कों का यह हाल है कि, सड़कें बहुत जगह बन जाती हैं, पर किशनगढ़, रूपनगढ़ कांस्टीट्युएन्सी में जहां से कि मैं आया हूँ, वहां पर एक पैसा भी सड़कों पर खर्च करने के लिये एक नहीं रखा गया है, न किसी दूसरी योजनाओं के लिये ही रक्खा है। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनकी कांस्टीट्युएन्सी है उसके लिये तो ध्यान रखते ही हैं, पर कम से कम आँखों के सामने के अलावा जो उनके पड़ोस में हों उसका भी तो थोड़ा खयाल रखना चाहिये। मैं जब पढ़ता था तो हमारे प्रोफेसर साहब कहते थे कि जो लड़का मेरी आँखों के सामने रहता है, मैं उस पर ज्यादा तवज्जह देता हूँ, बाकी दूसरे कहते हैं जो उनकी ओर तवज्जह देता हूं। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अपनी आँखों के सामने जो कठिनाइयां हैं उनको तो मिटाने की कोशिश करें ही। पर अब तो किशनगढ़ सब डिविजन उनके ही जिले में मिल गया है, इसलिये इस ओर भी अवश्य तवज्जह देंगे।

इसके साथ ही सोचें कि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं। हम साम्यवादी तरीकों से डरते हैं किन्तु अब साम्यवाद दूसरे देशों में नहीं हमारे देश में, केरल में आ चुका है, हिंदुस्तान के एक कोने में हम उसका नजारा देख रहे हैं। ऐसी दशा में यदि हम अपनी नीति को नहीं बदलेंगे, हमारे खर्चों को और प्रशासनिक ढांचे को हम नहीं बदलेंगे तो आयन्दा चुनावों में देखेंगे कि हमारा क्या हाल होने वाला है? हम गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले हैं और इन्हीं सिद्धांतों को मानने वाली मनी बैन ने मई सन् ४७ को अपनी डायरी में एक जगह लिखा है कि गांधीजी को मैं कप में आम का रस पिलाने गई तो उन्होंने पीने से इंकार कर दिया। क्यों इंकार कर दिया, वे जानते थे कि आम के रस का एक कप दाई

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

या पांच रुपयों की कीमत का है, क्या ढाई या पाँच रुपयों की कीमत का आम के रस का एक कप एक भारतवासी पी सकता है, इसलिये गांधीजी ने नहीं पिया। यह उदाहरण है इसलिये हमें चाहिये कि आज हम अपने खर्चों को कम करें, हम गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले हैं। गांधीजी के सिद्धांतों को मानते हुए हम उन्हीं के बताये पथ पर चलें, और इस श्लोक पर ध्यान रक्खें :

निंदंतु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवंतु,
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा,
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

इस नीति को सामने रख कर शासन चलायेंगे तो कोई हमारी तरफ आँख उठा कर भी नहीं देख सकेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं कि हमको, हमारे सिद्धांतों को मिटा सके। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरे सुझावों को ध्यान में रखने की कृपा करेंगे।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, एक बजट पेश हुआ है, राजस्थान की एक तस्वीर पेश हुई है, जिस तस्वीर को देख कर राजस्थान के भाग्य का निर्णय किया जा सकता है, जिसको देखकर हम भविष्य को आंक सकते हैं। बहुत बड़ा रुपया खर्च किया जाएगा। योजनायें बनाई जाती हैं और मैं मानता हूँ कि हम राजस्थान में लहलाते खेतों को देखना चाहते हैं, देश बदल रहा है, देश में तरक्की हो रही है, पैसा खर्च हो रहा है और पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। हमें इस बात की परवाह है या नहीं कि हम जानते हैं कि हमारे ऊपर इतना कर्जा है, हमें दस करोड़ रुपये स्टेट बैंक को देना है, हमें भारत सरकार को देना है लेकिन दरअसल बात यह है कि हम और भी जनता में जाकर अल्प बचत योजना के जरिये पैसा लाना चाहते हैं और उसको चला कर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। एक सवाल है। जनता में जाने की हमारे पास ताकत है, हम में एक विश्वास पैदा हुआ है। वित्त मंत्री महोदय एक साहित्यकार हैं और उन्होंने अपने भाषण में इसीलिए शब्दों का चयन इतना सुन्दर बना डाला है, इसी से मालूम होता है कि वित्त मंत्री महोदय में आशा है और वे जनता के सामने जाने की ताकत रखते हैं। तीन करोड़ क्या, इससे कितनी ही बड़ी राशि इकट्ठी करने की ताकत रखते हैं। जनता में एक आत्म-विश्वास की भावना है और उसी का यह एक नमूना है, लेकिन यह बात जरूर है कि जनता चाहती है कि उस पैसे का उपयोग ठीक तरह से हो, किन्तु ठीक तरह से नहीं होता है। जनता चाहती है कि उसकी गाढ़ी कमाई के पैसे का उपयोग ठीक तरह से किया जाय।

हम सीमेन्ट कम्पनी के बाबत कुछ कहें, लेकिन अगर एशिया में सबसे बड़ी सीमेन्ट कम्पनी बनती है, राजस्थान में बहुत बड़ा काम करते हैं तो हमारे मन में यह नहीं होना चाहिए कि कितनी पूंजी सरकार से व्यक्ति विशेष को दी। हमें यदि देश का निर्माण करना है, स्थिति में सुधार करना है, देश की काया को पलटना है, तो उसके लिए हमें साधन जुटाने होंगे, उसके लिए परिश्रम करना होगा, उसके लिए हमें कर देना होगा, पैसा जुटाना होगा, कर देने से डरना नहीं होगा। हम देश में एक समाजवाद के ढंग की व्यवस्था करना चाहते हैं, हम पूंजी का बंटवारा करना चाहते हैं, हम अमीरों की अमीरी का बंटवारा

(श्री मूलचन्द डागा)

करना चाहते हैं, हमें गरीब की गरीबी का बटवारा करना है, इन दोनों चीजों का बंटवारा करना चाहते हैं, फिर क्यों हिचकिचाते हैं ? लोन लेने के पहले वित्त मंत्री महोदय आशा लेकर चलते हैं, उनको ऐसा मालूम होता है इस बजट से कि राजस्थान का भविष्य उज्जवल है, राजस्थान का भविष्य गौरव पूर्ण है, देश में एक चीज़ है, बजट एक चीज़ है और उसको इस दृष्टि से पहचानना है कि किसान खेत में खड़ा है, मजदूर सांचे पर खड़ा है, स्कूल का विद्यार्थी है और वे सब इस पर सोचते हैं तो उन पर इसका क्या असर होता है ?

मैं एक चीज़ निवेदन करूं कि सारी की सारी व्यवस्था पर जो एक बात कही जाती है, बजट द्वारा जितना पैसा खर्च किया जाता है उसका ठीक उपयोग होता है या नहीं ? इसमें कोई दो राय नहीं दे सकता है कि सरकार की मशीनरी में जो योग्यता, जो कार्य करने की ताकत, तत्परता होनी चाहिए वह देख नहीं पड़ती है । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है । हम अपनी गलती को मानें, यह एक अच्छी चीज़ है, गलती को मानने का मतलब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी भूलों को सुधारना चाहते हैं । हम जानते हैं कि जितना पैसा इकट्ठा होता है उसका उपयोग क्या होता है ? गांव में एक एग्रीकल्चर ऑफिसर जाता है, एक ऊंचे दर्जे का ऑफिसर जाता है, किसान अपनी चौपाल पर बैठा करता है, वह अपने ढंग से रहता है, वैसा रहना उसकी अपनी आदत है लेकिन एक अफसर जिसको ४००-५०० रुपया मिलता है, अच्छे कपड़े पहनता है, क्रीम पाउडर का उपयोग करता है । मैं किसान को सेठ मानता हूं और अफसर को मुनीम । एक किसान दिन-रात कमाई करता है, सख्त परिश्रम करता है और उसके मुनीम साहब उसकी कमाई को उड़ाते हैं । क्या इस ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्या इस चीज़ को अलग नहीं कर सकते हैं ? इसके लिए जीवन में एक साहसिक परिवर्तन करना पड़ेगा, एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा । इस बजट में वह परिवर्तन नहीं है । हम देश को बदलना चाहते हैं ।

हम देखते हैं कि कई अफसर, ऊंचे अधिकारी, मुझे पूछा जाय तो एक जिले की जो हालत है, जिसको मैं स्वयम् जानता हूं, जिले में जो अधिकारी रखे जाते हैं जिनकी योग्यता और ईमानदारी पर, एक साधारण आदमी ही कहना चाहिए, शंका करता है । कारण क्या है ? कारण यह कि काम करने की योग्यता नहीं । मैं अर्ज करूं कि एक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, इन्डस्ट्रियल ऑफिसर है, तीन तीन ऑफिसर हैं, वेट्स एन्ड मेज़र्स का काम है, वे गांवों में घूमते हैं यह संख्या प्राप्त करने के लिए कि कितने दुकानदार हैं, इतने अधिकारियों की आवश्यकता नहीं, उनका काम नहीं, लेकिन होता यह है कि केवल कागजों को इधर से उधर फेंकने के सिवाय उनके पास कोई काम नहीं । इस प्रकार अधिकारी बैठे हैं । एक दुकानदार है, उसके एक 'गुमाश्ता है, क्लर्क है, एक पियोन है, कमाई कितनी होती है कि जो दूकान का किराया होता है वह भी सिर पर पड़ता है । अहलकारों की कमाई सिर पर पड़ती है, सरकार के घाटे की दूकान जगह जगह चलती हैं । एक जगह नहीं है, हमें छोटी २ जगहों में भी देखना चाहिए । अफसरों की परीक्षायें हों । मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि इन अफसरों

(श्री मूलचन्द डागा)

में ताजगी लाने के लिए, कार्य के लिए एक नयी चेतना और स्फूर्ति लाने के लिए हर तीन साल में परीक्षायें होनी चाहिये। देखना चाहिये कि उनके जीवन में परिवर्तन आ चुका है या नहीं? जो मशीनरी है उसमें क्या यह जान चुके हैं कि ठीक ढंग की समाजवाद की भावना आ चुकी है? राजाओं ने राज्य छोड़े, जागीरदारों ने जागीरदारी छोड़ी, जमीन्दारों ने जमीन्दारी छोडी, किन्तु वे ऊंचे अफसर क्या आज छोटी २ तनख्वाहों में हैं? क्या अमीरपन मिट सका है? गरीबी मिटाने के लिए हम चाहते हैं कि हमें एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहिये। देश कैसे आगे बढ़ सकता है? एक बड़ा अधिकारी बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाता है, यही उसके ऊंचेपन की निशानी है, यही उसकी स्फूर्ति की निशानी है लेकिन मैं कहता हूं कि ऊंचा वेतन भोग और आराम तलबी की चीज बन चुकी हैं। हमें इसमें परिवर्तन करना होगा। या तो यह कहना होगा, मुझे क्षमा करें, इन ऑफिसर्स से काम लेने वाले इतने झुक चुके हैं, कि अपने हाथ से काम नहीं कर पाते और उनको इन अफसरों का मुंह देखना पड़ता है। हमें इन अफसरों के कान खींचने पड़ेंगे। योग्य व्यक्ति चाहिये। समय बदल रहा है उसके साथ उनको भी बदलना पड़ेगा और मैं समझता हूं इसी तरह से जो अपव्यय होता है उनको रोक सकते हैं। छोटे २ कामों में, स्कूलों में, कम्पाउन्डरों में, जगह जगह दुनिया कोसती है, जवाहरलालजी का भाषण हुआ कि इस प्रकार देश का कल्याण किया जाय, प्रशासन में जो गंदगी, बदबू फैली हुई है उसको मिटाना होगा और उसके लिए सख्तकार्यवाही करनी होगी। फाइनेन्स मिनिस्टर ने बताया कि जो वसूलियात बाकी है उसकी वसूली के लिये सख्त कार्यवाही करने के लिये लिखा है और लिखा है कि इसको वसूल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप एक साहित्यिक पुरुष हैं, इसलिये आपने शिक्षा पर बजट में काफी रखा है, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि खेल-कूद के बारे में बजट में कुछ नहीं बताया गया है। बजट पर मुझे कहना तो बहुत कुछ है मगर समय थोड़ा ही है। क्या राजस्थान की सरकार यह नहीं चाहती कि यहां के नागरिकों की खेल-कूद में प्रगति हो। छात्र निर्माण के लिए खेल के मैदान होने आवश्यक हैं। मगर मुझे इसके लिये बजट में कहीं भी कोई पैसा रखा नजर नहीं आता। इसलिये मैं यह कहूँगा कि खेल की उन्नति के लिये भी प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

इसके अलावा एक महा पुरुष ने १५० वर्ष पहले कहा है और उसी के सिद्धान्तों का प्रतिपालन करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में चाहे भूमि में कितनी ही अधिक उपज पैदा कर ली जाए, चाहे दस्तकारी बढ़ाई जाए, चाहे कोटेज इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जाये लेकिन जब तक मनुष्यों की बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोका जाएगा सब बातें बेकार होंगी और इसके लिये संतति निग्रह, फेमिली प्लानिंग या पारिवारिक आयोजना की तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। इसकी तरफ कोई इशारा बजट में नहीं है। गांवों और शहरों में इस तरफ क्या काम हो रहा है, इसका कोई इशारा बजट में नहीं मालूम होता। लेकिन मैं यह कहूँगा कि अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आबादी बढ़ती जाएगी और इस बढ़ती हुई आबादी के कारण हमेशा बेकारी फैलती रहेगी और हम उसको रोक नहीं सकेंगे।

(श्री मूलचन्द डागा)

इसके अलावा आज तीसरी कमी जो हम मानते हैं वह यह है कि हमारे यहां सांस्कृतिक और औद्योगिक मेले होते थे उनका बजट में कहीं जिक्र नहीं है। राजाओं के ऐश्वर्य के जमाने में भी सांस्कृतिक और औद्योगिक मेलों का आयोजन हुआ करता था। राजा और महाराजाओं के जमाने में गनगोर के मेले और दूसरे मेले होते थे, मगर वहां पर इस बजट में इसके लिये कोई रकम नहीं रखी गई है। मैं जोधपुर, पाली, आहोर और अउवा की बात कहूंगा। वहां पर मेले हुआ करते थे और उन मेलों में बड़े बड़े कारीगर अपनी दस्तकारी की चीजें लेकर गनगोर के मेले में और दूसरे बड़े बड़े मेलों जाते थे। जो मेले लगते थे चार-पांच दिन तक लगते रहते थे और इन मेलों का आयोजन जागीरदार और राजा लोग करते थे और इसका फायदा गरीब और कारीगर लोग उठाते थे। इन मेलों के लिये आपने क्या सोचा है? इनको बजट में आपने क्या स्थान दिया है? मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर इस प्रकार के मेलों का तहसीलों में प्रबन्ध नहीं है, वहां पर तहसीलदारों को आप कहें कि वे इस प्रकार के औद्योगिक और सांस्कृतिक मेलों का प्रबन्ध करें। दशहरे का मेला भी हुआ करता है। मैं यह कहूंगा कि इन औद्योगिक मेलों और सांस्कृतिक मेलों के लिए बजट में आयोजन किया जावे और विशेष रूप से रकम रखी जावे।

दूसरी बात जो मेरे दिमाग में है वह यह कि आप जो योजना बनाते हैं बड़ी सुन्दर है और हर एक आदमी उसकी तारीफ करता है। मगर राजस्थान में सबसे बड़ी योजना पीने के पानी की होनी चाहिये। आप राजस्थान में बड़े बड़े फिल्टर हाउस खोलना चाहते हैं, खोलिये। मगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने कभी उन गरीब लोगों की तरफ भी ध्यान दिया है जो गांवों में रहते हैं, कि उनकी क्या हालत है, जो वहां (गांवों में) गंदा पानी पीते हैं। हमने कई गावों को देखा है जहां पर लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता। मैं पाली के इलाके के लिये आपसे निवेदन करूंगा कि भावनगर, पादरली वगैरह पाली के आस-पास गांव हैं वहां पर लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता। उन गांवों से दो-तीन मील की दूरी से होकर नहर निकलती है मगर वे लोग उस नहर से पानी नहीं ले सकते। उनको अपनी प्यास बुझाने के लिये कोसों दूर से जाकर पानी लाना पड़ता है। हमको उन मूक लोगों के लिये, जो बोल नहीं सकते, जिनकी यहां पर कोई आवाज नहीं है उनके लिये प्रबन्ध करना चाहिये। शहर में रहने वाले लोग आपको नलों के लिये आकर कह सकते हैं, लेकिन हमें उन गांवों के लिये जिनमें पीने का पानी नहीं है, जो गंदा पानी पीते हैं, उनकी तरफ ध्यान देकर उनके लिये पीने के पानी का प्रबन्ध करना है।

इसके अलावा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये योजना बनाने से पहले पंचायतों से योग लेना चाहिये और यह जानना चाहिये कि किन कारणों से उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। हमको गांवों में इन्कलाब लाना है क्योंकि हम सब यही कहते हैं कि हिन्दुस्तान सारा का सारा गांवों में बसता है। इसलिए गांवों में जितना रुपया खर्च किया जाना चाहिये हमें करना चाहिये, मगर हम देखते हैं कि जितना रुपया गांवों

(श्री मूलचन्द डागा)

पर खर्च किया जाना चाहिये नहीं किया जा रहा है और शहरों में किया जा रहा है। शहरों में बड़े बड़े आयोजनों में रुपये खर्च किये जाते हैं और वह इसलिये कि हम उनको देख सकें।

मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें हमें निराश होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। हमको आशा रखनी चाहिये और आशा ही मैं समझता हूँ कि सफल परिस्थितियें पैदा करती हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री रामनारायण (पीपलदा) : माननीय सभापति, वित्त मन्त्री जी द्वारा जो बजट का ब्योरा सदन के समक्ष पेश किया गया है उसमें यह बताया गया है कि राजस्थान के बजट में ३८५.६१ लाख का घाटा है लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं बताया कि यह घाटा अब की बार ही क्यों बताया गया? यह घाटा सुन कर हमें दुःख हुआ लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि इससे हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें इस सम्बन्ध में हिम्मत और उत्साह से काम करना पड़ेगा। इस घाटे की पूर्ति करने के लिये माननीय मन्त्री महोदय ने बजट में यह रखा है कि १८५ लाख रुपये का घाटा करों द्वारा पूरा किया जायगा और वे कर, कृषि आयकर, आबकारी कर, मोटर गाड़ियों पर टैक्स, मनोरंजन कर तथा उन्नति-लागें आदि से उपलब्ध किया जायगा।

यह जो ३८५.६१ लाख का घाटा बताया गया है और उसकी पूर्ति के लिये जो उपरोक्त साधन बताये गये हैं उनमें सरकार अगर थोड़ा भी विचार करती और गंभीरता से इस पर अध्ययन करती तो उसे मालूम होता कि यह टैक्स जो लगाया जायगा उसका बोझा किन लोगों पर पड़ेगा। यह रुपया आखिर आयगा कहां से? अगर इन बातों पर विचार करती तो उससे मालूम होता कि वास्तव में यह जो कर लगाये जायेंगे उसका बोझा गरीब किसानों पर और मजदूरों पर ही पड़ेगा और यह रुपया गरीब मजदूरों और किसानों की जेब से ही आयेगा। उदाहरणार्थ आप ले लीजिये कृषि आय कर। आपने बताया कि यह कर उन्हीं किसानों पर लगाया जावेगा जिनकी आमदनी अच्छी होगी, लेकिन किसकी आमदनी अच्छी होगी और कैसे होगी यह आपने नहीं देखा? उनकी आमदनी के साथ साथ इस बात पर विचार करना चाहिये कि जिसकी आमदनी अच्छी है वह केवल खेती के कारण ही नहीं है, वह खेती के साथ लेन-देन का भी काम करता है और इसी से उसकी आमदनी अच्छी है। अगर आप उस पर टैक्स लगाते हैं तो वह टैक्स उन्हीं लोगों से वह वसूल करेगा जो लोग उनसे कर्ज ले जाते हैं। अतः इसका बोझ भी उन्हीं गरीब लोगों पर होगा।

इसके साथ साथ आपने आगे बताया कि मादक वस्तुओं और शराब पर कर बढ़ाया जायगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इस स्वतन्त्र भारत में शराब अभी तक क्यों जीवित है अंग्रेजों और शासकों के समय में आप बड़े जोर-शोर से शराब बन्दी के लिये आन्दोलन करते आ रहे थे, मगर आज आपको हो क्या हो गया है कि आप इस पर टैक्स लगाते हैं और बन्द नहीं करते। शराब पर टैक्स लगाने का मतलब यह होगा कि

(श्री रामनारायण)

शराब बन्द न करके शराब को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। वास्तव में सरकार को इस प्रकार शराब को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। आप महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि अगर कोई आदमी मरणतुल्य स्थिति में हो तो भले ही उसको दवा के रूप में एक प्याली पिला दें, वरना आदमी को शराब नहीं देनी चाहिये। उसी शराब को आज सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मादक वस्तुएं सदा के लिए खत्म होनी चाहिये और सरकार को इस शराब को आज प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। सरकार यह समझती है कि शराब, टेक्स लगाने या करों में वृद्धि करने से बन्द हो जाएगी, यह उचित नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि शराब इससे बन्द नहीं होगी। इसके अलावा देखना यह है कि शराब पर जो टेक्स लगाया जा रहा है उसका बोझा किस पर पड़ेगा ? इसका बोझा उन्हीं गरीबों पर पड़ेगा जो खेतों में और खानों में काम करते हैं और यह कर उन्हीं से वसूल होगा जो अशिक्षित और मूर्ख हैं, मीलों में काम करते हैं वे ही लोग शराब ज्यादा पीते हैं। आज इसी शराब के कारण लाखों घर बरबाद हो गये, लाखों औरतें और बच्चे दुखी हैं क्योंकि मजदूर लोग ही इसको ज्यादा पीते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि शराब पर टेक्स नहीं लगा कर इसको हमेशा के लिये बन्द कर देना चाहिये। यह हमारे देश के लिये बहुत बुरी चीज है।

दूसरी बात आपने सेल्स टेक्स के बारे में कही। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह टेक्स भी उन्हीं पर लगेगा जो हमेशा रोजमर्रा के काम की चीजें खरीदते हैं। कहने को तो यह कहा जाता है कि यह टैक्स सभी पर लगाया जा रहा है, मगर वास्तव में यह भी गरीबों पर ही लगेगा। मैं आपसे यह कहूँगा कि एक तरफ तो आप समाजवाद के निर्माण की बातें करते हैं और दूसरी तरफ जनता पर टैक्सों के कारण यह हालत है। ये दोनों विचार आपस में विरोधी विचार हैं। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि गरीबों की स्थिति अच्छी हो और दूसरी तरफ उन पर टेक्स लगा रहे हैं। यह अन्तर तो एक वैसा ही अन्तर है जो अन्धेरे और उजले में होता है। यह नहीं हो सकता और न यह चीज चल सकती है। यह प्रतिगामी कर हैं और यह हटने चाहिए और जनता पर जो टेक्स लगाया जा रहा है मैं उसका विरोध करता हूँ और यह बन्द होने चाहिए। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जनता के पैसे का सदुपयोग हो रहा है, यह मैं नहीं मानता। आज शहरों और गांवों में जो काम होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि शहरों में जो काम होते हैं तो शहर के लोगों से उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता, उनसे कोई रकम नहीं मांगी जाती है लेकिन गांव में अगर कुए खुदवाने हैं, या स्कूलें बनवानी हैं तो गांवों में रहने वाले लोगों से एक तिहाई रकम की मांग की जाती है। अगर यह रकम गाँवों में इकट्ठी हो जाती है तो काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो फिर इसका नतीजा क्या होता है कि गांव-गांव में पार्टीबाजी चलती है। कहीं तो काम हो जाता है और कहीं नहीं हो पाता। अगर कहीं कार्य हो जाता तो उसका अर्थ यह होता है कि अखबारों में उसका प्रकाशन होता है, फोटो

(श्री रामनारायण)

प्रकाशित होती हैं, बी० डी० ओ० साहब की जय जय बोली जाती है। काम तो सारा जनता के पैसों से हो जाता है और सरकार से जो पैसा मिलता है उसको लोग खा जाते हैं। तो इस तरह से जनता के पैसों का दुरुपयोग होता है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जैसे कलेक्टर, कोटा से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने एक जगह पर स्कूल खुलवानी चाही थी, लेकिन गांव में पार्टीबाजी थी तो वहां पर लोगों ने कहा कि नहीं स्कूल का दरवाजा पूर्व में होना चाहिए और किसी ने कहा कि पश्चिम में होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शहरों में जो भी काम किया जाता है तो उनसे रकम की मांग नहीं की जाती है और गांव वालों से कोई भी काम करने के लिए एक तिहाई रकम की मांग की जाती है। इसलिए मैं इन करों का विरोध करता हूं और आशा करता हूँ कि करों को नहीं लगाया जायगा और जो प्रशासनिक खर्च है उसमें कमी की जायेगी।

(एक साथ ही तेजपाल एवं श्री भैरोंसिंह के बोलने को खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री तेजपाल : मुझे पहले भी बोलने का अवसर नहीं मिला था।

श्री सभापति : इसके बाद आप बोल लीजिए।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को इस बजट के प्रस्तुत करने का जो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए इनका अभिनन्दन करता हूं। सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्रीमान् वित्त मन्त्री जी ने इस सदन में कुछ स्वस्थ परम्परायें चलाने का जिक्र किया था। उन्होंने उस समय इस बात का भी संकेत किया था कि सदन में जिस प्रकार की चर्चायें हुई हैं उन चर्चाओं का स्तर पहले के मुकाबिले में काफी ऊंचा रहा है। सभापति महोदय, उस समय से मैं इस आशा में था कि यह स्तर की बातें करने वाले वित्त मन्त्री जी जिस समय बजट के अन्दर अपना भाषण देंगे उनसे कुछ इन बातों का संकेत मिल सकेगा कि उनके कहने में और काम के करने में कितना अन्तर होता है ? सभापति महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि मैंने जो अपना अभिनन्दन माननीय वित्त मन्त्री जी के लिए किया है उस अभिनन्दन के लिए मुझे कभी मजबूर होना पड़ता है कि इस बजट के भाषण के सुनने के बाद उनको यह अभिनन्दन दूं या नहीं। सभापति महोदय, राजस्थान का अन्तरिम बजट जिस समय इस सदन में प्रस्तुत हुआ था उस समय हमें यह आभास था कि जिस समय नई सरकार बनेगी, नया मन्त्री मण्डल बनेगा, नये वित्तमन्त्री जी आयेंगे उस समय बहुत मुमकिन है कि राजस्थान की वित्त व्यवस्था किसी प्रकार से सुधरे। लेकिन तीन करोड़ के ऊपर के घाटे का बजट जब इस सदन में आया तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि राजस्थान की गरीब जनता का राजस्थान की सरकार ने कोई ध्यान नहीं रखा है। बजट जो प्रस्तुत हुआ है इस बजट में और जो आज के तीन महीने पूर्व राजस्थान सरकार का अन्तरिम बजट प्रस्तुत हुआ था इन दोनों बजट्स को देखने से ऐसा मालूम हुआ कि इस बजट के बनाने में माननीय

(श्री भैरोंसिंह)

वित्त मन्त्री जी ने विशेष ध्यान नहीं दिया है, बस सरकारी मशीनरी ने आंकड़े इकट्ठे कर के उनके आधार पर एक स्पीच तैयार कर के माननीय वित्त मन्त्री जी के सम्मुख उपस्थित कर दी है और उन्होंने अपना बजट भाषण उन्हीं आंकडों के आधार पर उस दिन सदन में प्रस्तुत कर दिया। हां, एक बात मैं उनको धन्यवाद के लिये कहूंगा कि उन्होंने अपनी ओर से भी एक चीज इस भाषण में रक्खी है। हालांकि उसका इस बजट भाषण से कोई सम्बन्ध नहीं था और न ही उसका बजट से कोई संबन्ध है। इस भाषण में उन्होंने भूदान का जिक्र करके यह बताया है कि जो आंकड़ों के आधार पर भाषण बनाया गया है उसमें उनका भी कुछ हस्तक्षेप है। लेकिन सभापति महोदय, अजमेर के लोगों से मेरी जब चर्चा हुई तो मुझे इस बात का बड़ा खेद हुआ और खास तौर से इस बात के लिए खेद हुआ कि राज्यपाल के अभिभाषण के उत्तर में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि चुनावों के सम्बन्ध में इस सदन में कोई गड़बड़ी हुई हो, इस बात को चर्चा नहीं हुई। मुझे उनके इस भाषण के बाद में एक चर्चा याद आई और मैं चाहता था कि पहले इसके कि माननीय वित्त मन्त्री जी अपना बजट भाषण सदन के सामने रखें मेरी एक बात सुन लें। मैं यह निवेदन करूंगा कि चुनाव के दिनों में वित मन्त्री जी ने सत्ता का किस प्रकार से दुरुपयोग किया था? आप यह अवश्य कहेंगे कि बजट का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन जो व्यक्ति बजट को तैयार करता है उसके बारे में जरूर कहा जा सकता है। लेकिन इस समय मैं यह कहूंगा कि कुछ व्यक्तिगत धारणायें भी होती हैं जिनके कारण से बजट में पुट दी जाती है।

सभापति महोदय, मैं एक पत्र इस सदन में प्रस्तुत करूंगा जिसके द्वारा यह पता लगेगा कि माननीय वित्त मन्त्रीजी ने चुनाव में किस प्रकार की कार्यवाही की थी। वह पत्र है जिसमें लिखा है "प्रिय श्री रामगोपाल जी"। यह रामगोपाल जी एक अमीन हैं और सरकारी मुलाजिम हैं। इन रामगोपाल जी के भाई श्री रामेश्वर जी एक इन्डिपेन्डेन्ट कैंडीडेट के नाते माननीय वित मन्त्री जी के खिलाफ खड़े हुए थे। वित मन्त्री जी ने रामेश्वर जी को बैठाने के लिए रामगोपाल जी को दबाने की चेष्टा की और उनको एक पत्र लिखा जो इस प्रकार से है :

"हटूंडी,
तारीख ४-२-५७

प्रिय श्री रामगोपाल जी,

सस्नेह नमस्ते। कल मैंने एक आपको पत्र लिखा है। आज चि० रामेश्वर जी से मुलाकात हुई और मुझे खुशी है कि उन्होंने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया है और चुनाव में मेरी पूरी मदद करने का भार ले लिया है। आपको इससे खुशी होगी और आपकी व्यथा कम होगी, इसलिए यह पत्र भेज रहा हूँ व शेष मिलने पर। आपके आस पास के क्षेत्र की संभाल आप कर लें।

"शुभैषी,
हरिभाऊ

श्री रामगोपाल जी अमीन
मुकाम : कोटड़ी यादवों की,
डाकखाना: कोठिया,
वाया गुलाबपुरा, स्टेशन विजय नगर।"

(श्री भैरोंसिंह)

सभापति महोदय, इससे पता लगता है कि मैंने यह सब इसलिए कहा था कि जिन वित्त मन्त्री जी ने इस प्रकार का भाषण सदन में प्रस्तुत किया है उनकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामलों को दूर करने के लिए बोम्बेवाले आई० जी० पी० को यहां बुलाया जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि स्पेशल आई. जी. पी. की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखें तो इस प्रकार का पत्र भी एक करप्ट प्रेक्टिस है, जिसको हिन्दी में भ्रष्टाचार कहते हैं। ऐसी चीजों से भ्रष्टाचार पनपता है तो बोम्बेवाले का इन्तजार करने की जरूरत नहीं। अपने दाहिने हाथ बैठे हुए किसी व्यक्ति को दंडित करना चाहें तो करें, यदि दंडित नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ कहने के लिए आप कहते हैं कि बोम्बेवाला अधिकारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आयेगा। उसका काम किस प्रकार से होगा, यह सम्भव नहीं है?

सभापति महोदय, राजस्थान की जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति है यह बहुत ही चिन्ताजनक है। जिस समय बजट प्रस्तुत हुआ उसके पहले लोग इन्तज़ार कर रहे थे कि इस बजट के अन्दर पिछड़े लोगों के लिये योजनाएं होंगी। जिन लोगों को कम तनख्वाह मिलती है वे लोग इस बात का इन्तज़ार कर रहे थे कि इस बार बजट में उनकी वृद्धि होगी। लेकिन बजट प्रस्तुत हुआ, बजट को देखकर लोग निराश हुये। जिन लोगों को कम तनख्वाह मिलती थी वे निराश हुए, छोटा व्यापार करने वाले व्यापारी निराश हुए, खासतौर से काश्तकार निराश हुए, जब कि राजस्थान सरकार ने यह कहा कि हमारे यहां १.५ करोड़ का घाटा है और उस घाटे की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके बतायें। उसमें ५० लाख रुपया एन्टर्टेनमेंट टैक्स से वसूल करेंगे और इन्टर स्टेट सेल्सटेक्स के लिए भारत सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है २५ लाख की पूर्ति उसके द्वारा की जायगी। बाकी ५० लाख के लिये उन्होंने सेल्सटेक्स के लिए एक योजना बनाई है। उन्होंने यह योजना बनाई है कि आबकारी कर को बढ़ाया जाय, उन्होंने यह योजना बनाई है कि बेटरमेंट चार्जेज़ वसूल किये जायं, उन्होंने एक योजना बनाई है कि एग्रीकल्चरल इनकमटेक्स को बढ़ाया जाय। सभापति महोदय, यदि उन काश्तकारों के हित की दृष्टि से सोचा जाय तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में जितने बजट पेश हुए हैं उन सब से प्रतिगामी बजट यह पेश हुआ है, जो हमारे माननीय वित्त मन्त्री द्वारा इस सदन में ४ दिन पहले पेश हुआ है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान का प्रत्येक काश्तकार, जिसकी आमदनी ३ हजार से ज्यादा होगी, उसको टेक्स देना पड़ेगा। वह सीमा अब तीन हजार से घटाकर (१५००) रु० कर दी गई है। जिसमें पहले यह था कि ६० बीघा सिंचाई योग्य भूमि पर जो खेती कर रहा है उसको एग्रीकल्चरल इनकम टेक्स देना पड़ता था वहां इस बजट के अनुसार तथा एक कानून बनाया जा रहा है उसके अनुसार वह सीमा ६० बीघा से ३० बीघा कर दी गई, १८० बीघा को कम करके ६० बीघा कर दी है, इसका मतलब यह है कि काश्तकार पर एग्रीकल्चर इनकम टेक्स किस तरह से बढ़ाया जाय, उसकी योजना बना

Page No.77

(श्री भैरोंसिंह)

डाली। बार बार यह कहा जाता है कि नहरें निकाली हैं, उनसे सिंचाई होती है, हमेशा यह कहा जाता है कि जमीन की तरक्की के लिए कई प्रकार की व्यवस्था की गई है। जिस समय मैंने राजस्थान सरकार के बजट को देखा तो उससे पता लगता है कि राजस्थान सरकार आज तक काश्तकारों के हित की बात करती आ रही थी वही बेटरमेंट लैवी के नाम से काश्तकारों का गला घोटने की योजना बना रही है। वह बेटरमेंट फीस कैसी होगी ? जहां एक एकड़ के लिये सिंचाई के साधन जुटाये हैं वहां राजस्थान सरकार २००) रुपया प्रति बीघा के हिसाब से बेटरमेंट फीस वसूल करेगी ! मैं समझता हूँ कि काश्तकारों के हित में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है जो अब इस सरकार द्वारा बन सके, सरकार से हमें उम्मेद नहीं करनी चाहिए कि वह अच्छे कानून बना सके। काश्तकारों से बेटरमेंट फीस के नाम से पैसा, एग्रीकलचरल इनकम टेक्स के नाम से पैसा, और ऐसे ही जितने भी प्रकार से पैसा जुटाया जा सके उनसे पैसा जुटा रहे हैं। सिंचाई की दरें बढ़ाई गई। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि काश्तकार कह रहे हैं कि सिंचाई की दरें समान की जायं, भरतपुर में सिंचाई की दरें भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक समान हों, गंगानगर में सिंचाई की दरें गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक समान हों, लेकिन उसमें विशेष अन्तर है। मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि सुबह ही माननीय गृहमंत्रीजी ने बताया था कि भरतपुर में सन् ४७ में जो सिंचाई की दरें थीं वे ज्यादा थीं। वे एक सिद्धान्त के आधार पर बनी हुई नहीं थीं। लेकिन सन् ५७ में उन सिंचाई की दरों में परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक खेत के अन्दर १०) रु० बीघा और पास के दूसरे खेत के अन्दर सवा रुपया बीघा वसूल किया जाय ! दोनों काश्तकार लगान देते हैं, दोनों काश्तकार खेती करते हैं, दोनों काश्तकारों को बराबर का पानी मिलता है, तो दोनों की रेट्स में इस प्रकार का अन्तर राजस्थान सरकार के लिये शोभनीय नहीं है। लेकिन राजस्थान सरकार बनिस्बत इसके कि सारी रेट्स को समानान्तर करे, यानी पेरेलल लाइन पर लाये, सिंचाई की दरों को बढ़ाकर काश्तकारों पर अधिक बोझ लादने की चेष्टा कर रही है।

इर्रिगेशन चार्जेज़ के नाम पर जहां जागीर एरिया आता है वहां रेट्स डाउन किये गये हैं जब कि और कहीं डाउन नहीं किये गये हैं। उसका कारण यह है कि जागीरदार के एरिया में कोई काश्तकार है वह ऐसी दरख्वास्त देता है तो जागीरदारों का कम्पेन्सेशन डाउन करने के लिए रेट्स डाउन किये जायं और सरकार आगे आती है, कानून बनाती है, और कानून बनाकर उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है। यदि वे ही काश्तकार खालसा एरिया में होते हैं और दरख्वास्त देते हैं तो वे (काश्तकार) हमेशा के लिये मर जायं, कोई चिन्ता की बात नहीं, लेकिन वे रेट्स कम नहीं हो सकती हैं। जिस तरह से जागीरदार के एरिया में रेट्स कम कर रहे हैं उसी प्रकार से खालसा एरिया के काश्तकार के साथ वही नीति नहीं अपनाई जाती है तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि उससे काश्तकार का भला होगा। लेकिन रेट्स कम करने का प्रश्न नहीं है, बल्कि रेट्स को बढ़ाने का सवाल हमारे सामने आता है।

उसी तरह से राजस्थान सरकार ने सेल्स

Page No.78

(श्री भैरोंसिंह)

टैक्स से आमदनी बढ़ाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि आज का जो सेल्स टैक्स है वह एक प्रतिगामी टैक्स है। सेल्स टैक्स से जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। इसका कारण यह है कि वे उसकी व्यवस्था नहीं कर सके हैं। उसकी व्यवस्था इसलिए ठीक नहीं है कि दिल्ली से जयपुर सामान आया और फिर जयपुर से दूसरे आदमी बाहर लेकर गये तो जितनी बार वह सामान आया-गया उतनी ही बार उस पर सेल्स टैक्स देना पड़ा। सेल्स टैक्स का हिसाब भी गलत बनता है जिससे कि वे लोग जो पैसा देने के हकदार हैं वे पूरा पैसा नहीं देते हैं। यदि सरकार चाहती है तो उसका मेथड बदल दे कि जिस जगह से सामान निकलता है वहीं उस पर एक बार सेल्स टैक्स ले लिया जाय। बार बार बिक्री पर सेल्स टैक्स लगाने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाय। इससे सेल्स टैक्स से आमदनी जो होने वाली है वह भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती है। कई चीजों को नये टैक्स के रूप में शामिल किया गया है। कपास पर टैक्स लगाया गया है, लोहे के सामन को शामिल किया गया है तथा और भी कई चीजों को शामिल किया गया है जो कि आम लोगों और काश्तकारों के जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। कई चीजों को पहले एक्जेम्शन सर्टीफिकेट के साथ मुक्त किया हुआ था, उन चीजों के लिए एक अजीब ढंग से व्यवस्था की गई है। दवाइयों पर पहले टैक्स नहीं लगता था और सेल्स टैक्स नहीं लगने के कारण उनको एक्जेम्पशन सर्टीफिकेट लेना पड़ता था उसी एक्ज़ेम्पशन सार्टीफिकेट के लिए १०) रु० जमा कराने पड़ते थे, लेकिन आज इस बजट के अनुसार सरकार ने व्यवस्था की है कि १०) रु० के बजाय १५०) रु० जमा करने पड़ेंगे। वह १५०) रु० २०,०००) रु० की बिक्री तक लगता था। यदि बिक्री २०,०००) से १०,००० रु० ज्यादा बढ़ती है तो प्रत्येक १० हजार रुपये पर १००) रु० एक्जेम्पशन सार्टीफिकेट की फीस के देना पड़ेंगे। यदि एक लाख की बिक्री होती है तो १००) रु० प्रति १००००) के हिसाब से देता है, तो वह व्यापारी नहीं भुगतेगा। यह बात सही है कि सेल्स टैक्स खरीददार ही देगा। यह बिल्कुल निश्चित बात है कि व्यापारी टैक्स अपने घर से नहीं देने वाला है। वह उस गरीब उपभोक्ता को ही देना पड़ेगा। उन्होंने एक्जेम्शन का नाम लिया है। उस एक्जेम्शन में दवाइयों का जो ढंग लिया गया है वह अजीब ढंग है। १०) रु० के बजाय १००) रू० बढ़ा दिये हैं तथा और भी बढ़ाने का रास्ता खोल दिया गया है। राजस्थान की जनता मांग करती है कि राजस्थान में इस प्रकार के सेल्स टैक्स की आवश्यकता नहीं है। वह सीधा कन्ज्युमर को देना पड़ता है, एक गरीब आदमी को देना पड़ता है। कई जगह उस गरीब आदमी की ठगाई होती है। उसको कई जगह टैक्स देना पड़ता है। राजस्थान सरकार के सेल्स टैक्स का जो मौजूदा कानून है उस कानून को समाप्त कर दें। यह सेल्स टैक्स के नाम से जो पैसा वसूल करने का तरीका है यह होना चाहिए कि जिस जगह सामान प्रोड्यूस होता है, मेन्युफेक्चर होता है, उस स्थान पर ही टैक्स ले लें, चाहे वह दूसरी स्टेट में ही हो, लेकिन वह वहीं ले लें, और भारत सरकार से मिल-जुल कर ऐसी व्यवस्था कर लें कि राजस्थान में जो टैक्स लगा सकते थे वह उस जगह ही ले लें, लेकिन उसका हिस्सा

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान सरकार का होगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि राजस्थान की गरीब जनता अधिक भार से बचेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, और जो गरीबों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उनमें किसी प्रकार की कमी होगी।

सभापति महोदय, यहां इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी हमारे सामने है; पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर काफी खर्चा होता है। पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण प्रजातन्त्र के युग में अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है लोगों की विचारधारा का रेजीमेन्टेशन। आज कांग्रेस की सरकार है। बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस सरकार एक पार्टी की नीति को उन पुस्तकों में पढ़ाये, कांग्रेस सिद्धान्तों की जानकारी कराने की योजना बनाये। आज केरल में साम्यवादी सरकार है। वह भी इस राष्ट्रीयकरण की योजना को पसन्द करती है, तो वहां पर स्टालिन, लेनिन और चीन वगैरह के साहित्य को पढ़ाया जायगा। जैसे एक सरकार केन्द्र में है लेकिन प्रान्तों में अलग अलग दल की सरकारें हों और उन राज्यों के अन्दर पुस्तकों का यदि राष्ट्रीयकरण किया गया हो तो बहुत मुमकिन है कि एक प्रान्त में कांग्रेस की सरकार है, एक प्रान्त में कम्युनिस्टों की सरकार है, एक प्रान्त में समाजवादी सरकार है, और एक प्रान्त में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और वे सारी सरकारें राष्ट्रीयकरण की नीति के अनुसार अपनी विचारधाराओं को, राष्ट्रीयकरण की कई पुस्तकों द्वारा लोगों के मस्तिष्क में घुसाने की चेष्टा करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की विचारधाराएं लोगों के स्वतन्त्र रूप में सोचने का जो मुद्दा है उसको अवरुद्ध करने का तरीका है। राजस्थान सरकार इस काम में बुरी तरह फेल हुई है। उस फेल होने का नमूना मैं एक किताब के द्वारा इस सदन में प्रस्तुत करना चाहूँगा। यह किताब, माननीय सभापति महोदय, 'सामाजिक विज्ञान' कक्षा ७ के लिए है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही कर रहा हूँ।

श्री सज्जन सिंह (सभापति): आपका समय हो गया है, जल्दी ही खत्म करने का प्रयत्न करें।

श्री भैरोंसिंह: यह "सामाजिक विज्ञान" नाम की किताब सरकार ने छपाई है। यह सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण कृत किताब है। इसमें १० खण्ड हैं, १० इसके भाग हैं। उन दस भागों में सामाजिक विज्ञान में किस बात की शिक्षा होती है इसकी चिन्ता नहीं की गई है। इस 'समाजिक विज्ञान' में भारत में 'मुसलमानों का आगमन' दो संस्कृतियों का समन्वय, देश में सांस्कृतिक चेतना, मुगल साम्राज्य की अवनति आदि यह सारे सामाजिक विज्ञान के अन्दर लोगों को पढ़ाने की चेष्टा की गई है; मुझे लगता है कि कहीं भारत सरकार की ओर से ऐसा इशारा नहीं हुआ हो। बहुत मुमकिन है कि मुगल साम्राज्य की जहां बातें बताई जाती हैं वह कहीं केन्द्र की ओर से इशारा हुआ हो? यदि केन्द्र की ओर से इशारा नहीं है तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार की पुस्तकों को बन्द करें। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनमें जहां अकबर की तारीफें की गई हैं, हैदर, खिलजी और तुगलक की तारीफें की गई हैं वह

(श्री भैरोंसिंह)

सारी किताब में प्रताप की और शिवाजी की कोई तारीफ नहीं, जयमल और पत्ता का कोई इतिहास नहीं, जो भी वीर पुरुष भारत में हुए और जिनका गौरवमय गाथाओं के पीछे राजस्थान का सारा इतिहास गौरवान्वित है, उनका भी इसमें नाम नहीं। कुछ का नाम दिया है तो एक लाइन में, कहीं शिवाजी का नाम दे दिया तो दो लाइनों में, प्रताप का नाम दे दिया तो तीन-चार लाइनों में, पर इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि उन्होंने किस तरह से देश के लिये, स्वदेश की आजादी के लिए शौर्य का प्रदर्शन किया और सारे देश के इतिहास को गौरवान्वित किया। इस बात का कोई जिक्र नहीं। अकबर की भर-पेट तारीफ की गई है, सब बातों का जिक्र है पर मीना बाजार का जिक्र नहीं किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला करके लोगों के साथ ज्यादती की, इसका कोई जिक्र इनमें नहीं किया गया। कुछ समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का इतिहास क्यों बना रहे हैं और फिर उसे हमारे देश के भावी होन-हार बच्चों को यह पढ़ाने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है।

और एक मजेदार चीज़ है इसमें। हुमायूं और औरंगजेब के दो चित्र इसमें दिये गये हैं और दोनों अलग अलग दिये गये हैं, पर दोनों के चित्र एक से हैं। हुमायूं का चित्र भी वैसा ही और औरंगजेब का हूबहू वैसा ही। अब अगर कोई सोचे कि हुमायूं और औरंगजेब दोनों को एक शक्ल के कैसे बना दिये, तो उलझन में पड़ सकते हैं। पर हमारी इन राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकों में दोनों चित्र एक से हैं। आपको भरोसा न हो और देखना चाहें तो देख सकते हैं। इन दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। ऐसी स्थिति में कहना पड़ेगा कि राष्ट्रीयकरण के नाम से की जा रही ये धांधलियां किसी प्रकार भी ठीक नहीं है।

मैं कुछ शब्द अल्पवैतनिक कर्मचारियों के के लिये निवेदन करूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में माननीय मन्त्रीजी ने चतुराई के साथ सदन को अपने साथ कर लिया, पर्सेन्टेज बताकर उन्होंने सदन को भुलावे में डाल दिया, कहा कि बड़े अधिकारियों की वेतन वृद्धि १४०० रु० माहवार से १५०० रु० माहवार करके जो पर्सेन्टेज उनका बढ़ा उसके मुकाबले में अल्पवैतनिक कर्मचारियों का ४० से ६५ कर दिया और इस तरह से उनका पर्सेन्टेज उनसे भी आगे बढ़ा है। इससे स्वभाविक था कि सदन उनके साथ होता। मैं बताऊं कि वास्तव में किसको क्या मिला है; उनका १४ सौ से १५ सौ हुआ और इससे उनको इमीजिएट गेन हुआ, पर अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों का तो आपने ४० से ६५ का ग्रेड इन्क्रीमेन्ट किया है, उनको इससे इमीजिएट गेन कुछ नहीं हुआ और इसके कारण मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्रीजी यह नहीं कह सकते कि अब राजस्थान में कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसको ६५) रुपये से कम मिलता हो। आज कई कर्मचारी हैं जिन को ४०), ४१), ४२), ४४) और ४५) रुपया मिलते हैं। ग्रेड इन्क्रीमेन्ट उनका आपने कर दिया है, पर वह जब कि वे बूढ़े होंगे उस दिन मिलेगा, उनकी सर्विसेज़ की उम्र पूरी होगी तब मिलेगा। आज उनको कोई तात्कालिक लाभ हुआ हो, ऐसा नहीं है। सरकार को इससे काफी लाभ हुआ, उसकी काफी प्रशंसा हो गई, उनकी बहुत तारीफ समाचार पत्रों में भी आ गई, पर गरीब कर्म-

(श्री भैरोंसिंह)

चारियों को सान्त्वना नहीं हुई, बल्कि उनकी उचित मांगों पर अनुचित प्रकार से, चालाकी से कुठाराघात किया गया है ताकि वे बाद में अपनी उचित मांगों को भी सरकार के सामने न रख सकें। मैं समझता हूँ कि यह बोलने की चतुराई हो सकती है पर इस चतुराई से उन अल्पवैतनिक कर्मचारियों का कलेजा दुःख जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से कि यह चतुराई न दिखावें उनकी तरफ, उनकी उचित मांगों की तरफ उचित ध्यान दें।

सिलेक्शन में कर्मचारियों का फिक्सेशन नहीं हुआ, मास्टरों का फिक्सेशन नहीं हुआ। समाजवाद का आप नारा लगाते हैं पर काम उससे उल्टा करते हैं। आपको तो इसके लिये एक तरीका निर्धारित कर देना चाहिए कि अमुक समय तक, समय ५८ या ५६ तक भी हो सकता है, हमारे यहां कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं रहेगा जिसकी कम से कम तनख्वाह १०० रुपये से कम न हो और ऊपर के कर्मचारियों के लिए भी सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये कि जब तक निम्न कर्मचारियों का वेतन सौ रुपये तक नहीं होता है तब तक ऊपर के कर्मचारियों का किसी तरह का इन्क्रीमेन्ट नहीं होगा। पर बात आप उल्टी ही किये जा रहे हैं। इन ऊंचे कर्मचारियों का पचास-पचास और सौ-सौ का एक साथ इन्क्रीमेन्ट होता है तो इसके मुकाबले में छोटों को आप भुलावा देते हैं। इनका फिक्सेशन तक नहीं होता, इनका इन्क्रीमेन्ट नहीं होता, उनकी उचित मांगों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी तनख्वाह में जायज वृद्धि उनको नहीं दी जाती बल्कि लोगों को निकालने तक का काम किया जाता है। अजमेर के कर्मचारियों को, ५०० अध्यापकों को रिटेन्चमेन्ट के नोटिस इश्यू किये हैं आपने, राजस्थान में अजमेर का विलय हुआ उसके पहले इश्यू हुए थे। राजस्थान सरकार ने आदेश निकाला है और यह व्यवस्था दी गई है कि ३१ अगस्त, सन् ५५ से पहले जितने भी अध्यापक थे उनको वेकेशन सेलेरी नहीं मिलेगी। राजस्थान में इस प्रकार का कायदा था। लेकिन अजमेर राज्य में जब वे लोग ५५-५६ की वेकेशन सेलेरी ले चुके हैं और ५५-५६ के बाद ५६-५७ में राजस्थान में शामिल हुए तो राजस्थान सरकार उनको कहती है कि तुमने पहले सेलेरी ले ली होगी तो ले ली होगी, पर आइन्दा नहीं मिलेगी। तो आज दो दो, ढाई-ढाई वर्ष के कर्मचारियों को वेकेशन का नोटिस दिया जाता है। जिस दिन अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ, सस्ता साहित्य मण्डल के एक मैनेजर को कोटेज इन्डस्ट्रीज विभाग में डिप्टी डाइरेक्टर बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब उन ५०० अध्यापकों को नोटिस दिया जाता है तो वित्त मन्त्रीजी उनको भी नोटिस दें और जिनको उन्होंने २८ तारीख को अपोइन्टमेंट दिया है, अपने रिश्तेदार को उनको भी उनके साथ निकाल बाहर करें।

(करतल-ध्वनि)

इन कर्मचारियों की चर्चा आप करते हैं, उनकी चर्चाएं सब जगह होती हैं, उनको नोटिस दिये जाते हैं पर इस महाशय का कहीं जिक्र नहीं होता, उनकी चर्चा नही होती। तो एक तरफ तो आप गरीब कर्मचारियों को निकाल बाहर करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ मन्त्री महोदय के रिश्तेदार की चर्चा भी नहीं करते। तो आपका समान व्यवहार नहीं है। आपका

(श्री भैरोंसिंह)

समाजवाद का नारा व्यर्थ है, ढकोसला है, दिखावा मात्र है ।

(घंटी)

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : जल्दी समाप्त करें, आपने बहुत टाइम ले लिया है । दो मिनिट में समाप्त कर दें ।

श्री भैरोंसिंह : पांच मिनट और दीजिये, मैं इतने में समाप्त कर दूंगा । तो मैं सभापति महोदय, निवेदन कर रहा था कि समान तरीकों पर हमें सारी व्यवस्था करनी है और अगर समान तरीकों के आधार पर कोई योजना बनावें तो अजमेर के कर्मचारियों को भी दुख नहीं पहुँचेगा और बीच की जो जनता है, जो अजमेर के कर्मचारियों और डिप्टी डाइरेक्टर साहब का मुकाबला करके वित्तमन्त्री महोदय, के बारे में सोच कर दुखी होती हैं, उसको भी दुख नहीं होगा । मन्त्रीजी गरीबों के साथ न्याय करते हुए और अपने सगे सम्बन्धी का ख्याल नहीं करते हुए उन डिप्टी साहब को भी निकालेंगे तो उनका भी हित होगा और जनता को भी सन्तोष मिलेगा ।

राजस्थान में सब से बड़ी समस्या बेकारी की है । वित्तमन्त्री महोदय ने जो भाषण दिया उसमें बताया कि ५६-५७ में ११ हजार आदमियों को काम दिया गया । मुमकिन है, मिला हो पर मैं जानना चाहता हूं कि ये आंकड़े कैसे और कहां से उन्हें उपलब्ध हुए ? एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज के आधार पर हुए क्या ? किस आधार पर उन्होंने ये आँकड़े उपस्थित किये, यह बताने की वे कृपा करें ? सड़कों पर किसी ठेकेदार ने कुछ आंकड़े दिये पी. डब्लू. डी. के कामों में जो आदमी लगे उनके बारे में पी. डब्लू. डी. विभाग द्वारा कोई आंकड़े मिले, किसी तरह से कहां से ये आंकड़े आये । ढंग क्या है उनको गिनने का ? आगे जाकर उन्होंने और कहा कि इस साल १३ हजार को और काम देंगे । मैं पूछता हूं आप किस तरह से किस स्कीम में काम देंगे ? सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री की कोई आपकी स्कीम है क्या जिसमें आप काम देंगे ? सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री में तो मजदूर और मालिक का झगड़ा है, कई चीजों पर उनका झगडा है । ७५ लाख रुपयों के सरकार के शेयर उसमें हैं, पर इसके बावजूद भी आज उस सीमेंट फैक्ट्री की ओर से सरकार को कोई फायदा नहीं है । एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री के लिए अपने फायदा की ओर कोई ध्यान न देकर ६० लाख रुपये सरकार ने दिये हैं । एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है लेकिन उसमें जो ७५ लाख रुपयों के शेयर्स हैं, जिसके बदले में किसी प्रकार का डिविडेन्ड देकर सिद्ध नहीं किया है कि उससे किसी भी प्रकार का लाभ है ।

राजस्थान के मजदूरों की हालत भी इसी प्रकार की है । यहां पर मजदूरों के लिये कानून की कमी है । कानून यदि किसी प्रकार का है तो उसको इम्प्लीमेन्ट करने की कमी है, जिनके द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों को किसी भी प्रकार का संरक्षण मिलता है । वे पत्र चलाते हैं । वे एक सभ्य नागरिक और सभ्य मजदूर के नाते काम करते हैं........

श्री सभापति(श्री सज्जनसिंह) : समाप्त करिये ।

श्री भैरोंसिंह : अब दूसरा पोइन्ट नहीं लूंगा ।

श्री सभापति: आप वाइन्ड अप(wind up) कर दें ।

Page No.83

श्री भैरोंसिंह : (जारी) और कोई पोइन्ट नहीं लूंगा। सरकार को चाहिये कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिये जितने भी कानून हो सकते हैं वे लागू किये जावें। जो लोग पत्र चलाते हैं उनके लिये प्रोविडेन्ट फंड की कोई व्यवस्था नहीं है, इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि समय पर उनकी रकम जमा हो जाय; उनकी सर्विसेज़ की कोई सिक्योरिटी हो और मासिक वेतन समय पर उनको मिलता रहे। मुझे कई श्रमजीवी पत्रकारों से पता चला है कि उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के लिये यह अच्छी बात है कि श्रमजीवी पत्रकारों को कोई प्रोविडेंट फंड नहीं मिले, उनकी रकम जमा न हो और उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़े।

सभापति महोदय, मैं फिर निवेदन करूंगा कि जो पत्र पढ़कर सुनाया है उसको सिद्ध करने का मौका दें कि यह झूठा है, मेरा उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। उनको मौका दिया जाय कि वे इसकी सफाई करें। मैं इस पत्र की कॉपी बाद में दूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य व्यक्तिगत आरोप बजट भाषण में न करें।

श्री भैरोंसिंह : व्यक्तिगत आरोप नहीं है।

श्री सभापति : यह बजट से सम्बन्ध रखने वाला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मगर यह वित्त मन्त्री जी से सम्बन्धित है।

श्री सभापति : यहां वित्त मन्त्रीजी पर डिस्कशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन बजट पर डिस्कशन किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन जिनके हाथों से बजट आया है उनके बारे में है, इसलिए मैं इसकी एक प्रतिलिपि मुख्य मन्त्रीजी को एक सदन की मेज पर और एक हरिभाऊ जी को अर्पित करता हूं। यदि वे इसको डिफाइन (डिस्कस) करते हैं तो करने दीजिये, वरना मुझे दूसरा पत्र पढ़कर सुनाना पड़ेगा।

श्री सभापति : श्री तेजपाल !

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : मैं थोड़ा सा पत्र के बारे में कह देना चाहता हूं। सभापति महोदय, वैसे तो मैं नहीं समझता हूं कि........

श्री सरदारसिंह : वित्त मन्त्री जी बहस के बाद में जवाब दें तो........

श्री सभापति : Order please!

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं भाषण के विषय का उत्तर नहीं दे रहा हूं, किन्तु जो व्यक्तिगत बातें कही गई हैं उनका स्पष्टीकरण करने के लिये कहना चाहता हूँ। जिस पत्र का जिक्र आप करते हैं उनको मैंने एक नहीं, दो तीन पत्र लिखे हैं। इनकार करने का तो ही सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि जब मैंने पत्र लिखा था उसके बाद अभी अभी मुझे मालूम हुआ कि वे सरकारी कर्मचारी हैं। मैं समझता था कि वे पहले अमीन थे, अब रिटायर हो गये हैं और सरकारी सर्विस में नहीं हैं। यदि मुझे यह मालूम होता कि वे सर्विस में हैं तो मैं उनको पत्र नहीं लिखता। यदि मुझे सरकारी कर्मचारियों से सहायता लेनी होती तो एक नहीं कइयों

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

से ले सकता था। मैं भूतपूर्व अजमेर राज्य का मुख्य मन्त्री रह चुका था। यदि मैं चाहता तो कई कर्मचारी मेरी मदद करते। कइयों ने कहा भी था, लेकिन मैंने उनसे कोई फायदा नहीं उठाया। आपका यह अनुमान है और यह सिद्ध करना चाहते हैं कि एक लाइन लिखकर मैंने उनसे मदद ली, यह ठीक नहीं है। वे इस इलाके के रहने वाले नहीं हैं, वे कोटड़ा में रहते हैं, जो मुझसे दूर है। वे यह कहना चाहते हैं कि मैंने नाजायज फायदा उठाया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नाजायज फायदा उठाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। यदि मुझे मालूम होता तो यह वाक्य नहीं लिखता।

श्री अर्जुनदास : How far does it effect your service law, Sir.

(अश्रव्य)

श्री सभापति : No discussion, please !

श्री अर्जुनदास : He has made a statement.........

श्री सभापति : That is not a statement. It is only personal explanation.

श्री भैरोंसिंह : इसमें "अमीन" लिखा है, वह किसलिए लिखा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कई लोग शास्त्री होते हैं, अमीन होते हैं; वे बाद में भी अमीन या शास्त्री कहलाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : पुराना जमाना याद रह गया होगा, मुख्य मन्त्री का जमाना।

श्री सभापति : No debate please!

श्री तेजपाल (वैर) : सभापति महोदय, हम लोगों के सामने यह बजट २-३ रोज से पेश हुआ है और आज इस पर काफी बहस भी चल रही है। बहुत से साथी उधर बैठने वाले इसको बतलाते हैं कि यह घाटे का है। ठीक है घाटे का बतलाते हैं, पर मैंने इसको देखा तो पता चला कि यह बजट घाटे का नहीं है क्योंकि एक घंटा हमको सुबह मिलता है क्वेश्चन्स का, इसमें तमाम राजस्थान के बारे में हरेक सदस्य जो बाहर से आये हैं वे अपने इलाके के बारे में या कांस्टीट्युऐन्सी के बारे में शिकायत करते हैं कि हमारे यहां यह कार्य नहीं हुआ, वह कार्य नहीं हुआ, बंध नहीं बने, नहरें नहीं बनीं, सड़कें नहीं बनीं आदि। तो देखना यह है कि सभी अपनी अपनी मांग करते हैं और उस मांग को पूरा करने के लिये रुपयों की जरूरत है। अब रह जाता है सवाल कि जब सरकार के पास रुपये नहीं हैं तो ये रुपये बाहर से लाने पड़ेंगे और फिर इस कमी की पूर्ति करनी पड़ेगी आगे को जो प्लान आवे उसमें या आने वाले साल में यह रुपया भी घाटे का पूरा होगा। तो ऐसी सूरत में बहुत से सदस्यों ने कहा कि यह घाटे का बजट है; तो मैं समझता हूँ यह घाटे का नहीं है।

अब देखना यह है कि जिन कार्यों में वास्तव में रकम लगनी चाहिये उसमें नाम मात्र को लगाई जाती है, यह सम्बन्धित मन्त्रियों के देखने का काम है। किसी डिपार्टमेन्ट में ५ लाख रुपये लगेंगे तो देखना है कि वास्तव में कितने रुपये लगाये जा रहे हैं, जो जनता की भलाई के लिये हैं और

(श्री तेजपाल)

सर्विसेज़ पर कितने रुपये खर्च किये जा रहे हैं। मैं कुछ मुद्दे की बातें बताना चाहता हूँ।

हरिजन डिपार्टमेन्ट सरकार का ऐसा ही डिपार्टमेन्ट है। सौभाग्य से यह डिपार्टमेन्ट भी वित्त मंत्रीजी के पास है इसलिये हम यह समझेंगे कि वे बहुत बुजुर्ग हैं और ३६ लाख हरिजनों की आबादी के जिम्मेदार हैं। इसको अच्छी तरह से देखें तो आपको मालूम होगा कि उनके लिये जो रकम खर्च की जायगी वह उनके वजीफों और सामाजिक कार्यों के लिये रखी गई है। जो बजट उनके लिये रखा गया है वह रकम वास्तव में इन्हीं कामों के लिये लगाई जा रही है या ज्यादातर सरविसेज़ में खर्च की जारही है या बिजली, नल व दफ्तर आदि पर खर्च होती है। ऐसी सूरत में हम उसे भले ही घाटे का समझें लेकिन बजट घाटे का नहीं है। अब देखना यह है कि काम नहीं हो रहा है या हो रहा है? इसको तो मंत्रीजी अच्छी तरह से देखें। हम लोग हरिजन करीब २६ या २८ यहां चुनकर आये हैं। वैसे तो बैक वर्ड क्लास के मिलाकर ४८ करीब होंगे। मैं उनकी तरफ आपका और मुख्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा। हम दूसरे समाज के लोगों से पिछड़े हुए हैं। महात्मा गांधी देश में ऐसे पैदा हुए जिन्होंने हमको अपनाया। वैसे तो देखा जाय तो हमको बहुत रियायत दी गई है। राजस्थान में हम देखते हैं कि कितना रुपया व्यय किया जाता है हम लोगों पर। मुझे पांच साल का अनुभव है, छठी साल में भी आपकी दया से इस सदन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले पांच साल में मैंने देखा कि जो रकम नियुक्त की जाती है, रिजर्वेशन हर जगह रखा गया है, कि हमारे लोगों को सर्विस में १२॥ प्रतिशत व २५ प्रतिशत लिया जायगा, वह बात केवल कागजों में ही दिखाई जाती है। मैं कहूंगा इस बात को अमल में नहीं लाया जाता है। एक महीने पहले का जिक्र है कि आर. ए. एस. इम्तहान हुए, उसमें ४२ आदमी इम्तहान में आये, उन ४२ में से १० शिड्यूल्ड कास्ट के इम्तहान के लिए बुलाये गये थे। १०आदमियों को बुलाया गया; उसमें से एक आदमी भी शिड्यूल्ड कास्ट का नहीं लिया गया। इससे हमें पता चलता है कि आगे आने वाले पांच साल के अन्दर हम लोगों के साथ क्या किया जा सकता है? भारत सरकार भी इतना रुपया हम लोगों के लिए खर्च कर रही है! आप लोग हृदय से जानते हैं कि हम लोगों को समाज ने ठुकराया है, अब हमको समाज को अपनाना चाहिये। कहने की बात दूसरी है लेकिन आप अपनी आत्मा से पूछें तो आपकी आत्मा क्या कहती है? मेरा किसी कर्मचारी से बात करने का समय मिला। मैंने उनसे कहा, आप हम लोगों के साथ अन्याय क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, क्या करें ऊपर से कहा जाता है कि कागजी कार्यवाही चलाते रहो, आखिर इन लोगों को कहां तक पहुंचाओगे, मरने दो। इस तरह से कर्मचारी हम पर अत्याचार करते हैं और जो कानून हमारे लिए बनाये गये है, उनको अमल में नहीं लाते हैं।

अब कुछ जिक्र मैं अपने क्षेत्र का करूंगा। वैर नदवई मेरा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से मैं आया हूं। वहां जो उच्च कर्मचारी हैं, उनका रिकार्ड अगर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब देखें तो मालूम हो कि जो कर्मचारी वहां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तहसील के अधिकारी हैं, जब से वे वहां गये हैं, कितने दिनों अपने हैड क्वाटर, तहसील में रहे हैं,

(श्री तेजपाल)

कितने दिनों तक ड्यूटी पर रहे हैं और कितने दिन घर पर रहे हैं। हमारे हरिजन व कोई भी काश्तकार हैं, जब कि काश्तकारों के लिए यह कानून है कि काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हरिजन १०, १५ साल से काश्तकार हैं, उनकी जमीन बेदखल कर दी गई हैं। मंत्रीजी जवाब देंगे कि उन लोगों के लिए कोर्ट खुली हुई है। लेकिन आप बताइये कि क्या वे हरिजन ३-४ बीघा जमीन के लिए हाई कोर्ट में आयें? इसके साथ ही एक बात और है कि उस जमीन में जो फसल बोई हुई होगी, उस पर वह आदमी जिसने उस फसल को नहीं बोया है, झगड़े में डलवाता है, और उस फसल को ले जाता है। ऐसे आपके सामने कई मामले नदवई तहसील के मैं बता सकता हूं। दूसरी बात यह है कि जो रिहेबिलिटेशन और खास जमीन जो गवर्नमेंट लैंड है, उन जमीनों के लिए ऐसा कानून है कि वे जमीनें भूमिहीन काश्तकारों को देनी चाहिए। लेकिन उनको न देकर उन ऐसे लोगों को दे दी जाती हैं, जिनके पास १००, २०० बीघा जमीन है। इसका क्या कारण है? ये जमीनें उन आदमियों को देनी चाहिये जिनके पास जमीन नहीं हैं। मैंने ये बातें ऐसी बतलाई हैं कि जिनके ऊपर, मैं कहूंगा, कि मंत्री महोदय को जो हरिजनों के प्रतिनिधि हैं, पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। ये मामले मेरे आँखों देखे हैं। अगर वे चाहें तो मैं इन बातों को सिद्ध कर सकता हूँ। भरतपुर जिले में लोगों को जिन्दा रहने की तो जगह है लेकिन बसने और जलाने को जगह नहीं है। मैं मिसाल दूंगा कि नदवई तहसील क्षेत्र में और हिंडोन, जिला सवाई माधोपुर, है उसके बारे में मैंने श्री भोगीलालजी से भी कई दफा जिक्र किया, लेकिन वे किसी कारण से उस सम्बंध में कार्यवाही करने से असमर्थ रहे ......

श्री सभापति : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ये बातें कटमोशन के वक्त बोलें तो ज्यादा उपयुक्त हो।

श्री तेजपाल : हरिजन व पिछड़े हुए लोगों का जिक्र इसमें किया गया है। मैं पिछड़े हुए लोगों की समस्याएं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

अब आपसे हम यह चाहते हैं कि हम लोगों के लिए हरएक डिपार्टमेंट के अन्दर जो रिजर्वेशन रखा गया है, उस पर हम लोगों को रखा जाय तथा जो कानून हमारे लिए बनाये हैं, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार ने बनाये हैं, वे अमल में लाये जायं।

(घंटी)

हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को धोखे में न रखें। आप जानते हैं कि हम लोगों में से कितने क्रिश्चियन बने, मुसलमान बने, हम लोग परेशान हुए इसलिए यह हालत हुई। आज सरकार ने हमारे लिए भारत संविधान में सुविधा दी है, अब भी उस पर अमल नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि और भी समस्याएं उठ खड़ी हों। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि कृपया जो कानून हमारे लिए बनाये गये हैं, उन पर बराबर अमल होना चाहिए।

साथ ही यह भी सवाल है कि हमारे बच्चों को जो वजीफे मिलते हैं, उसका पैसा

Page No.87

(श्री तेजपाल)

ठीक समय पर नहीं भेजा जाता है, वह रकम लेप्स हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वजीफे के लिए अपने रुपये से हम फॉर्म छपवाते हैं, उनको बच्चों तक भेजते हैं, रुपया जो भी आता है वजीफे का, वह टाइम पर नहीं आता है, मार्च के अंत में, वह रुपया भेजा जाता है। और इस प्रकार वह रुपया लेप्स हो जाता है। आठ महीने का वजीफा बच्चों को मिलता है।

(घंटी)

दो महीने का वजीफा रह जाता है........

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री तेजपाल : दो मिनट में समाप्त करता हूं।

तो दो महीने का रुपया हमारा रह जाता है; जबकि १०० रुपये मिलने चाहिए, उसमें से २० प्रतिशत तैयार हो जाता है, वह रुपया नहीं मिलता है। ऐसी सूरत में जो रकम नियत होती है, हमको वह रकम नहीं मिलती है। एक तरफ बजट में घाटा बतलाया जाता है, लेकिन मैं कहूंगा कि बजट घाटे का नहीं है, क्योंकि बहुत सी रकम कामों में नहीं लगाई जाती है और लेप्स हो जाती है। ऐसी सूरत में घाटा हो सकता है।

मैं आशा करूंगा कि सभी सदस्य इस बजट को पास करेंगे और जो कर्मचारी वर्ग हैं, उनको सरकार समझाये कि पिछला जमाना खत्म हो चुका है, अब कृपा कर सही रास्ते पर चलें। राजस्थान की उन्नति की तरफ हम सबको चलना चाहिए, गरीबों की हालत सुधारनी चाहिए। ऐसी सूरत में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आयन्दा के लिए हमारे मुख्य मंत्री इन बातों पर ध्यान दें।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा): माननीय चेयरमैन महोदय,........

श्री सभापति : आपने बोलने वालों की लिस्ट में अपना नाम दिया है?

श्री भैरवलाल कालाबादल : आज ही तो शुरू हुआ है। मैंने तो नाम पहले भी दिया था राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए। मुझे आज की लिस्ट के बारे में पता नहीं।

श्री सभापति : पहले लिस्ट वाले सदस्य को ले लें, उसके बाद आप बोलें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : पिछले पांच साल में समय नहीं दिया गया। अगर मेरा नाम नोट नहीं किया गया है तो अब नोट कर लें, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप १० मिनट में भाषण समाप्त कर लें।

एक माननीय सदस्य : पहले लिस्ट वालों को मौका देना चाहिए।

श्री भैरवलाल कालाबादल : हमारे बजट में जितनी धन-राशि खर्च करनी है और जितनी धन-राशि से हमारा बजट बना है, हमें पता है कि यह धन आता कहां से है? वह किसी कोठी या बंगले से नहीं आता, किसी कम्पनी से नहीं आता, यह सारी की सारी धन-राशि हमारी सरकार के खजाने में गांव से आती है। हमारे खजाने की व्यवस्था ठीक तरह से न होने के कारण हमारा यह

Page No.88

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

बजट घाटे का बजट है। हमारे इस बजट में जितनी धन-राशि है उसका दुरुपयोग होने के कारण, जिस जगह वह धन-राशि काम में लगनी चाहिए उस जगह नहीं लगने के कारण हमारा सारा बजट घाटे का बजट जरूर है।

किसानों में इस बात की निराशा है कि किसानों को तहसीलवार तकावी के लिए ५००० रुपया रखा जाता है, जिससे २० बैल भी नहीं मिल सकते और किसानों में इस बात से निराशा है कि सरकार का ध्यान गांवों की ओर नहीं होगा तो हमारी खेती की उन्नति कैसे होगी ? किसानों की बुरी हालत है। हमारी हाडोती की तरफ काली मिट्टी ज्यादा है, खाले-नाले ज्यादा हैं, किसानों के खेतों की जमीन वर्षा से कटती जा रही है, जिससे खेतों की पैदावार में कमी होती जा रही है। खेतों की जमीन के कटाव को रोकने की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है, इसके लिए बजट में कोई धन-राशि नहीं रखी गई है। इससे कहा किसानों की उन्नति की ओर सरकार का कम ध्यान है। हमारे मन्त्री लोग भी जाते हैं, दौरे करते हैं तो गांवों के किसानों में नहीं पहुँचते। ये पहुँचते हैं सर्किट हाउसों में, ये पहुँचते हैं किसी ओइल मिल का उद्घाटन करने और ये पहुँचते हैं दावतें खाने। गांव में किसानों के बीच में यदि ये जाते और उनकी हालतों की जांच करते तो आज किसान निराश नहीं होते और घाटे का बजट होता तो भी किसान अधिक से अधिक धन देने को तैयार हो जाते। पर आज उनका यह हाल है कि अदालतों में जाते हैं पर उनका वहां कोई काम नहीं होता, उनकी फाइलें दबा दी जाती हैं और ब्लेक करने वालों की फाइलें जल्दी मिल जाती हैं। अदालतों के बाबू लोगों का, कर्मचारियों का यह हाल है कि बैठे बैठे गपशप लड़ाते रहते हैं, कहने को तो कहते हैं कि हम आपके नौकर हैं पर मन्त्रियों के जाने के बाद ही खिल्ली उड़ाते हैं कि ये जनता के प्रतिनिधि आ गये ! आप जानते हैं कि कर्मचारियों की तारीफ करें, पर जो तारीफ करने के योग्य हैं उनकी तारीफ भी करते हैं।

गांवों की स्कूलों की यह हालत है कि कह नहीं सकता ! जो शहरों में मिडिल या हाई करने वाली स्कूलें हैं, वहां अध्यापक हैं, प्रिन्सिपल हैं वे अच्छा काम करते होंगे, पर गांवों में जो स्कूलें हैं वहां कभी कभी छः छः महीने तक अध्यापक नहीं पहुँचते हैं, सप्ताह में तीन तीन, चार-चार दिन मास्टर गायब रहते हैं। राज्य सरकारों, रियासती सरकारों के समय तीन महीने में एक बार इन्सपेक्टर पहुँचता था और गांव-गांव का, स्कूल-स्कूल का दौरा करता था, तिमाही परीक्षा होती थी, पढ़ाई का रिजल्ट देखा करते थे पर आज कुछ नहीं होता। साल साल, दो दो साल यहां तक कि पांच पांच साल तक स्कूलों में इन्सपेक्टर नहीं पहुँचने हैं। मास्टर तक गांवों की स्कूलों में नहीं रहते, बच्चे मारे-मारे फिरते हैं। इधर शहरों में बड़े बड़े लोगों के लड़कों के लिये और लड़कियों के लिये, अफसरों के बच्चों के लिये उनके घर से स्कूल तक ले जाने के लिये बसें तैयार हैं, पर एक दूसरी तरफ गांवों में विद्यार्थियों के बैठने के लिये दरियां तक नहीं हैं, पट्टियां तक नहीं हैं। बजट में जिन गांवों के लोगों के पास से धन आता है उन्हीं गांवों के लोगों के बच्चों के लिये चटाइयां तक नहीं मिल पातीं।

गांवों के उत्थान की ओर बजट में सरकार का ध्यान जा रहा है, पर सभापति महोदय, मैं

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

निवेदन करना चाहता हूँ कि गांवों के हरिजन किसी समय जंगलों से बांस लाकर टोकले. ग्रामोद्योग के सहारे अपना गुजर-बसर करते थे। एक तो वैसे ही हरिजनों की तनख्वाहें कम हैं दूसरी ओर हरिजनों का यह छोट सा ग्रामोद्योग भी छीन लिया है, जंगल उनके लिये बन्द कर दिये हैं।

सरकार कहती है कि किसानों को बहुत सुविधायें दे दी हैं, पर गांवों के लोग कहते हैं कि एक तो राज्य सरकारों के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ नारा लगाते थे, उस समय किसानों से कहते थे कि आपसे गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार जमीन का लगान ले लेती है पर आपके ऊपर उसमें से कुछ भी खर्च नहीं करती, पर जब स्वराज्य होगा तो आपका पैसा आप पर खर्च होगा। पर आज गांवों से जो पैसा आता है वह उन पर खर्च नहीं होता, उन पर टेक्स लगाते हैं। डामर की सड़कों पर आज जो मोटरें दौड़ती हैं उनमें आप समझते होंगे कि पेट्रोल जलता है; नहीं उनमें खून जलता है, बड़े आदमियों का खून नहीं श्रमिकों का खून जलता है, एरोप्लेन्स में पेट्रोल नहीं श्रमिकों का खून जलता है। हमारे पूजनीय गांधी जी, जो हमको स्वराज्य का सन्देश देने वाले थे, उनकी यह भावना थी कि गांवों की ओर दौड़ा जाय। पर हमारे स्वराज्य-सरकार को चलाने वाले मन्त्री लोग शहरों की ओर दौड़ते हैं, गांवों के श्रमिक किसानों की ओर बहुत कम दौड़ते हैं इसलिये मैं कहता हूँ कि बजट कितना ही घाटे में हो परवाह नहीं, कितनी ही धन राशि खर्च कर दें सोच नहीं, पर जो गांवों से धन आता है, जो गरीबों और किसानों के पास से धन आता है, उसका जो दुरुपयोग किया जाता है उसे रोका जाय। चाहे गरीबों की किसानों की हालत सुधारने के लिये कर्जा भी लेना पड़े, पर्वाह नहीं, श्रमिक कर्जा चुकाने को तैयार हैं पर उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने टेक्स लगाये हैं...........

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

थोड़ा मैं और बोलूंगा साहब।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : आप जल्दी ही समाप्त करें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : जल्दी ही समाप्त करूंगा। एक बात मैं यह निवेदन करूंगा कि ४५) या ५०) रुपया पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का दो सौ माइल पर तबादला कर दिया जाता है। एक महिला अध्यापिका कोटा की रहने वाली जयपुर में पचास-पचपन रुपयों पर पड़ी हुई है, तीन साल हो गये, ३०० अर्जियां दीं, मिनिस्टरों तक सिफारिशें पहुँचाई गईं........

(हंसी)

पर ५०) रुपया माहवार पाने वाली वह महिला अध्यापिका यहां पड़ी हैं और उसका पति कहीं शाहबाद के डूंगरों में पड़ा है। इसी तरह से मैं समझता हूँ, इसी प्रकार के राजस्थान सरकार के छोटे-छोटे और कर्मचारियों की भी हालत होगी। तो इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। कम वेतन पाने वालों को डिवीजन से बाहर नहीं भेजना चाहिए।

अब मैं सड़कों के बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा........

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

Page No.90

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

सड़कों के बारे में कितना ही खर्चा होता है पर जहां ६-६ मोखों के पुलिया बनने चाहिये थे वहां केवल एक ही मोखे के पुलिया बना दिये जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि बरसात के दिनों में उन पुलियों के दोनों सिरों की मिट्टी बह जाने के कारण कई पुलिया मोहर्रम कीतरह नदी के बीचों बीच खड़ी हैं, इस पार से उस पार जाना मुश्किल है।

अब मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा। खानपुर का हाई स्कूल जिसके बारे में ४५०००) रुपया तीन साल में खर्च करने का निर्णय किया था, पर गई साल के १५०००) रुपये भी सरकार द्वारा खर्च नहीं किये गये हैं।

अब मैं थोड़ा सा सड़कों के बारे निवेदन करूंगा। सड़कों पर खूब पैसा खर्च किया जाता है, पर प्रथम पंचवर्षीय योजना निकल गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी आ गई, पर हमारी सड़कों पर कोई धन-राशि खर्च नहीं की गई और वे बेकार पड़ी हुई हैं। इसलिये मैंने कहा है कि बजट घाटे का हो इसका सोच नहीं, कर्ज लेकर भी काम किया जाय तो वह कर्जा भी चुकाया जा सकता है लेकिन धन का सदुपयोग होना चाहिये, जो धन का दुरुपयोग किया जाता है उसे रोकना चाहिये।

अब थोड़ा सा बेकारी के बारे में मैं निवेदन करूंगा। एक तरफ तो बेकारी को रोकने का बजट में काफी बताया है, पर बेकारी दिन ब दिन बढ़ रही है। स्कूलों से बी० ए०, एम० ए० करके लड़के निकलते हैं, सभी का विचार है कि सरकारी सर्विस में जायं, पर इतनी सर्विसेज हैं कहां, हजारों पढ़े लिखे बेकार हैं, उनकी बेकारी को रोकने के लिये कोशिश करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

साहब, एक बात और कह दूं।

श्री सभापति : एक मिनिट में खत्म कीजिये।

श्री भैरवलाल कालाबादल : एक मिनिट में खत्म करता हूँ।

कोटा डिवीजन के कुछ व्यापारियों की ओर से मांग थी कि नमक का कोटा-राज्य सरकार के समय नमक जगह-जगह बनाया जाता था, ब्रिटिश सरकार ने वह अधिकार छीन लिया और राजस्थान की सब रियासतों को नमक का कोटा देना स्वीकार कर लिया था। कोटा डिवीजन के व्यापारियों ने मांग की कि हमारा नमक का कोटा कम न किया जाये पर राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में हमारे नमक का कोटा कम करके....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : हां कर रहा हूं साहब।

सांभर के कुछ ही व्यापारियों को दे दिया जिससे कम से कम दस हजार छोटे-छोटे व्यापारी बेकाम हो गये। इससे भी सरकार को ८० हजार रुपये का घाटा हुआ है। हमारे क्षेत्र में गांवों की जनता को नमक का मिलना भी कठिन हो गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब अपना स्थान ग्रहण करें।

(विराम)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, जो बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसमें विशेषतः हम लोगों के देखने की चीज यह है कि यह राजस्थान की जनता से प्राप्त होने वाली आय और उसके लाभ के लिये किये जाने वाले व्यय का समुचित और सतुलित विवरण है या नहीं? जैसा भी बजट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, उसमें आरम्भ में ही यह बतला दिया गया है कि यह एक घाटे का बजट है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो आय राजस्थान सरकार को हुई, वह कम है और व्यय उससे अधिक रहा।

देखना यह है कि जो आय इस व्यय को संतुलित करने के लिये की गई है, वह उचित है, जो व्यय किया जा रहा है वह जनता के सुख और सुविधाओं को बढ़ाने के लिये, उनके उपयोग के लिये है क्या? आज आय के जितने भी साधन हैं, मैं समझता हूं वे परम्परागत रीति से चलते आ रहे हैं। हां, कुछ कर नये लगाये हैं, उन्हीं नये करों के बारे में सदन में दोनों प्रकार की विचार-धारा है। मैं यह समझता हूं कि व्यय की ओर जाने से पूर्व अपनी राज्य सरकार को उस घाटे की पूर्ति के लिए आय का एक साधन जो मैं समझ पाया हूं, उसकी ओर पहले इंगित कर दूं। मुझे इस बात का अनुभव है, कि हमारे पुराने राज्यों के समय में जो सम्पत्ति उनके राज्यों के अन्दर होती थी, उसके अतिरिक्त भी संपति राज्य के बाहर और होती थी। जिस राज्य से मेरा पुराना सम्बन्ध रहा है, यहां भरतपुर से मेरा अभिप्राय है, मुझे मालूम है और मुझे इसी प्रकार की धारासभा, भरतपुर, में पहले भी कहना पडा था, कि भरतपुर राज्य की सम्पति मथुरा में, आगरा में, वृन्दावन में, और पुष्कर में और दूसरी दूसरी जगह इतनी हैं कि वहां के मंदिरों और धर्मशालाओं को छोड़ दिया जाये तो उस जमाने की लाखों की सम्पति, जब कि इस जमाने की वेल्यु में भी काफी अन्तर पड़ गया है, एक करोड़ तक भी पहुंच सकती है; आम तौर पर दूसरी जगह जो मकानात हैं, उनका दो तीन रुपया किराया पुराने जमाने से चला आ रहा है, वही अब भी है जब कि वह पचास या सौ रुपया हो जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो १८--२० दूसरी रियासतें थीं उन सब की सम्पति भी बाहर रही होगी, और उसके लिए मुझे मालूम है कि पहले हर एक राज्य की सम्पति की देखभाल के लिए एक वकील हुआ करता था, जो वहां बाग बगीचे होते थे उनका किस प्रकार उपयोग हो रहा है, मकानों का किराया आता है या नहीं, कोई नाजायज कब्जा तो नहीं कर रहा है, वे लोग इस बात की देखभाल करते थे। अब राजस्थान भर का केवल एक पुरजात हाकिम है, जो इलाहबाद में रहता है। जो पुराने वकीलों का सिस्टम था, वह समाप्त हो चुका है। वे बाहर की चीजों की किस प्रकार साल सम्हाल करते हैं, यह मुझे मालूम नहीं। मैंने इस सम्बन्ध में चार-पांच साल पहले जब मैं सर-कार में था, तब भी सुझाव दिया था और आज भी सुझाव देता हूँ कि कुछ सम्पत्ति के ऊपर जो और लोगों का अधिकार भी हो चुका है, उसको मुकदमा लड़ कर वापिस लें, और यदि उसको लेना मुश्किल है तो जो है यदि उसी पर ध्यान दिया जाय, तो उससे काफी आय हो सकती है। दूसरे अनावश्यक खर्चों में भी कमी की जा सकती हो तो की जानी

Page No.92

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

चाहिए, कुछ बकाया जरूर है, बिजली के हैं, सप्लाईज़ के हैं; हो सकता है एडवान्स लोन दिया है, उनका बाकी हो यदि उनका हिसाब जोड़ कर उसको प्राप्त किया जाय तो उससे भी काफी आय हो सकती है। यह तो आय के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है।

व्यय के लिए बहुत सी चीजें यहां कही गई हैं। मैं भी यह समझता हूं कि एक उन्नतिशील और प्रगति शील राज्य का यह कर्तव्य है कि वह जनता के लिए सुख सुविधायें जुटाये और यदि उसमें घाटा भी होता है, तो कोई अपराध नहीं, यदि आराम मिलता है, सुख मिलता है और समाज आगे के लिए अग्रसर होता है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो बहुतसी मदों पर हमारे माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। मैं कुछ नयी चीज़ इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। उन चीजों की पुनरावृत्ति करने से कोई लाभ नहीं। यदि समय हुआ तो उस पर भी प्रकाश डालूँगा। इस सम्बन्ध में दो चीजें यहां कहूँगा। हमारे राजस्थान में जिस भाग से मैं आ रहा हूँ उधर खास तौर पर गांवों में दो प्रकार की व्याधियां होती हैं और प्रायः प्रति वर्ष होती हैं। वह है एक बाढ़ और दूसरी आग लगना। प्रायः प्रतिवर्ष ही इनका मुकाबला वहां की जनता को करना पड़ता है। इस साल वहां बहुत बड़ी बाढ़ आयी। एक तहसील या दो तहसीलें, आधी-आधी दो तहसीलें और एक पूरी तहसील, उससे प्रभावित हुई। वहां बांधों का पहले सिस्टम था, पुराने बांध थे। बाद में अब नये नये बांध बंध रहे हैं। परन्तु यह भी एक तथ्य है कि पुराने बांधों की ओर उपेक्षा रही है, पुराने जो बांध हैं उनमें ब्रिचेज़ हो गये हैं, सिल्टेड हुए हैं, नदियों ने मोड़ ले लिया, अतः यदि इस ओर इन्जीनियर्स ध्यान दें, तो ये बाढ़ें न आयें। बाढ़ को रोकने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब बाढ़ आ चुकती है, तो उसके बाद ग्रामीण जनता के लिए काफी राहत पहुँचाई जाती है, उनकी क्षति पूर्ति की ओर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस ओर कम ध्यान दिया जाता है कि आगे को ये बाढ़ें न ही आयें। मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग को अधिक जागरुक रहना चाहिये, वे स्थानीय लोगों से राय लें। केवल इन्जीनियर लोग अपनी जानकारी पर ही आश्रित न रहें, जनता का सहयोग लें कि बांधों में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ताकि आगे इस प्रकार की दुर्घटनायें न हों इस प्रकार नये बांध बनाने के साथ साथ पुराने बांधों को दुरुस्त करना, पुराने बांधों में जो ब्रिचेज़ हुए हैं, उनकी दुरुस्ती के लिए, मरम्मत करने के लिए यद्यपि कुछ कुछ रकम रखी गई है, उससे भी अधिक रकम की आवश्यकता है, क्योंकि अब वह साधारण मरम्मत नहीं रही है। इसी प्रकार नदियों पर भी कन्ट्रोल करना चाहिए, जो हर साल तबाही मचाती हैं। इसी प्रकार दूसरी दुर्घटना है अग्नि-कांड की। आपको अनुभव हुआ होगा कि गांवों में काफी मात्रा में अग्नि-कांड होते रहते हैं, गांव के गांव इससे तबाह हो जाते हैं। अभी पन्द्रह दिन पहले ही मैं ऐसे गांवों में होकर आया हूं। इन अग्नि कांडों के कारण कुछ व्यक्ति जान से मर गये हैं, सम्पति की बड़ी तबाही हुई है, घर के घर जल कर स्वाहा हो गये हैं, उनको भी आम तौर पर सरकारी अधिकारी जाकर देखते हैं, खाने पीने का इन्तजाम पहले करते हैं, दूसरे चारे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं मैं यह भी चाहूँगा कि रिलीफ और राहत के

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अतिरिक्त आगे के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाय, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। इसका प्रोविजन, प्रावधान हमारे बजट में किया जाय वह उपयोगी होगा। जब तक गांवों में छप्परों की व्यवस्था रहेगी, घास फूस के ही छप्पर रहेंगे, तब तक इस प्रकार के अग्नि कांडों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। मैं उनको उत्साहित करता रहता हूं। यदि छप्परों के स्थान पर उनको टिन मिल सकें तो अच्छा है। टिन से भी अच्छे खपरेल टायल्स (कैलू) होते हैं। मध्य भारत में इस प्रकार के चारों तरफ होते हैं, राजस्थान में इसकी व्यवस्था कम है। किन्तु यदि सरकार को ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये, छोटे २ उद्योगों के व पंचायतों के जरिये लोगों को इसके लिए उत्साहित करें, कि वे टीन या खपरेलों का प्रयोग करें तो अग्नि कांड बार बार नहीं होंगे। उनके लिये यों तो कुछ रुपया बजट में रखा ही गया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करूंगा, कि जो रुपया इसके लिये रखा गया है, वह बहुत कम है और मैं समझता हूँ कि इसके लिये अधिक रुपये की आवश्यकता है। इसमें इस बात को ध्यान में रखा जावे कि यह रकम केवल रीलीफ के लिये ही नहीं हो, मगर इस लिये हो, कि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में नहीं हों।

शिक्षा के संबन्ध में मैंने अपने विचार पहले भी प्रकट किये और उस समय भी मैंने कहा है कि शिक्षा का प्रचार जो हो रहा है वह जिस ढंग से होना चाहिये नहीं हो रहा है। आज जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उसके विस्तार के साथ साथ हम देखते हैं कि बेकारी फैल रही है और इस बढ़ती हुई बेकारी को हम नहीं रोक सकते हैं, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिये। यदि इसी तरह की शिक्षा की व्यवस्था-प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में रहेगी, जो आज-कल चल रही है, तो आप भले ही यह कह सकते हैं कि इससे साक्षरता बढ़ी है, हमने लोगों को शिक्षित बनाया है, मगर वास्तव में यह शिक्षा गलत साबित होगी। हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनके शिक्षा के संबन्ध में जो विचार और तरिके थे, उनको पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपनाया है। उनका उद्देश्य शिक्षा के द्वारा एवम् शारीरिक और मानसिक विकास करना और सबसे अधिक आध्यात्मिक और नैतिकता पर जोर देना था। आज हमारे सामने भ्रष्टाचार की बहुत चर्चाएं की जाती हैं हमारे विरोधी पक्ष की ओर से, बहुत कुछ इस पर कहा जाता है, और इसको दूर करने के लिये उनकी तरफ से उपाय भी बताये जाते हैं, मगर इस संबन्ध मे मेरी तो यह दृढ़ और निश्चित धारणा है, यदि मैं धार्मिकता कहूं तो मैं डरता हूं, कि लोग मुझे पुराने विचारों का बतावेंगे, लेकिन जब तक हमारे यहां शिक्षा में धार्मिकता और नैतिकता को स्थान नहीं दिया जावेगा, हम भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकेंगे। हम इस बात को मानते हैं कि हमारे यहां रिश्वतखोरी है, लोग झूंट बोलते हैं, भ्रष्टाचारी हैं; ये सब बातें हैं, लेकिन इससे हम यह तो नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार केवल अशिक्षित व्यक्तियों में ही है। यह तो शिक्षित, अशिक्षित और अर्ध-शिक्षित सभी में पाया जाता है। इसलिए हमारा ध्यान वर्तमान शिक्षा की तरफ बरबस जाता है। आज हमारे यहां झूंठ बोलना, झांसा देना, कभी कुछ कह देना और कभी कुछ बता कर फिर कुछ कह देना, हर एक व्यक्ति के लिए साधारण सी बात है

Page No.94

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

और इसको एफिशियेन्सी और तरक्की के लिए आवश्यक समझा जाता है। लेकिन इसका मुख्य कारण यही है, कि हमारे यहां लोगों को न तो उनके माता पिताओं की की ओर से ही धार्मिक मामलों में शिक्षा मिलती है न स्कूलों में ही—

(घंटी)

यह विषय तो बहुत लम्बा है, मगर खैर, मैं अब स्वास्थ्य पर कुछ कहना चाहूंगा। 'Prevention is better than cure' हम क्यों बीमार पड़ें और किसलिए हमारे घर पर डाक्टर और वैद्य आवें। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमको स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के लिये सबसे पहले हमको पीने के पानी की तरफ ध्यान देना होगा, इसके बाद शुद्ध हवा के लिए। प्रायः यह तो कोशिश की जाती है कि हमें शुद्ध हवा और शुद्ध पानी मिले। मगर मैं समझता हूं, पानी और हवा के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए और चीजों की भी आवश्यकता है और दूसरी चीजें नहीं हों तो शुद्ध दूध और घी की अत्यन्त आवश्यकता है। हमें शुद्ध दूध और घी तो अवश्य मिलना चाहिये। मुझे कुछ माफ कीजिये, दूध और घी का शौक है इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूँ। जब तक हमें दूध और घी शुद्ध नहीं मिलेगा तब तक हम अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकेंगे। आज राज्य कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की तो हम रोजमर्रा चर्चा करते हैं, परन्तु हम यह क्यों नहीं कहते कि आपके घी और दूध बेचनेवाले दुकानदार और हलवाई भ्रष्टाचारी हैं और इनके भ्रष्टाचार को भी रोकना चाहिए ?

(घंटी)

स्वास्थ्य की तरफ सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि इसके लिए जो बजट रखा गया है इससे अधिक रखा जाए।

श्री सभापति : श्री ज्ञानचन्द्र मोदी।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, माननीय फाइनेन्स मंत्री ने जो बजट सन् १९५७-५८ का पेश करके अपने भाषण के अंतिम पेरा में इस सदन का सहयोग और मार्ग दर्शन और समर्थन चाहा और कहा है कि महान् यज्ञ में सभी राजस्थानियों का परम कर्तव्य है कि इसमें आहुति दें। जरूर इसके लिये हम वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा सहयोग और हमारे जो सुझाव हैं उनको भी जानना चाहते हैं। माननीय सभापतिजी, बजट एक ऐसी चीज है जिस पर सरकार का चलना निर्भर हो जाता है लेकिन बजट बनाते समय सरकार को यह भी उचित है कि हर एक क्षेत्र की हालत भी देखनी चाहिये कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या आवश्यकता थी ? इसलिये मैं दो-चार उदाहरण आपके पास पेश करना चाहता हूँ। इस बजट में बड़ी-बड़ी योजनाएं, चंबल और भाखरा की राजस्थान के रेगिस्तान को हरा-भरा बनाने के लिये है और इसके द्वारा रेगिस्तान को हरा-भरा बनाने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु जहां पर चंबल और भाखरा की नहर नहीं आती है उसके लिये तो इसमें कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। फाइनेन्स मिनिस्टर तो बाहर गये हैं, कौन सुनेगा ?

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) :

(श्री सभापति)

दूसरे मंत्री बैठे हैं. आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री सरदारसिंह : उदाहरण के रूप में मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ (श्री हरिभाऊ के सदन में पदार्पण करने पर) पधार गये !

श्री सभापति : आप भाषण जारी रखें।

श्री हरिभाऊ : आप ऐसी बातें कह रहे थे, मैं पानी पीने चला गया।

श्री सरदारसिंह : मैं जिस क्षेत्र से आया हूं जिसमें बीजावाड़ा से लेकर टोडा का इलाका, नासिरदा और दूनी, उनियारा और टोंक शामिल है; इन इलाकों में चंबल की कोई नहर आनेवाली नहीं।

श्री सभापति : इसमें बनास की नहर आवेगी।

श्री सरदारसिंह : जो मेरा क्षेत्र है उसमें कोई नहर नहीं आवेगी। जैसे राजकोट, बेनपा इत्यादि; उनमें नहीं आवेगी। मेरे अर्ज, करने का मतलब यह है कि जहां पर चंबल और भाखरा योजना से नहरें नहीं आवेंगी उसके लिये भी आपको कोई योजना रखनी चाहिये थी।

दूसरी बात शिक्षा के मुतल्लिक अर्ज करूं। इसके लिये आपने बजट में जो प्रावधान किया है उसके संबन्ध में मैं आपको दो-चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। जो इन्टर कॉलेज टोंक में है उसके लिये ३८ लाख का प्रावधान किया गया, उसमें से ६ लाख का खर्चा हुआ है और वहां का काम अधूरा ही पड़ा है। बाकी की रकम को किसी जगह प्रावधान नहीं किया गया। इतना ही नहीं दूसरी बात यह भी है कि हमारे यहां के डिस्ट्रिक्ट की रकम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाती है, यह ठीक नहीं है। चाहिये तो यह था कि जब वह रकम वहां नहीं लगी थी तो उनियारा में जहां श्री मानकलालजी ने हाई स्कूल का शिलान्यास किया था और जो अभी भी अधूरी पड़ी है और जिसको बनाने के लिये आश्वासन तो बहुत दिये जाते हैं, मगर अभी तक वहां पर चार कमरे भी अधूरे पड़े हैं; अब तक नहीं बनाये गये, यहां तक कि युनिवर्सिटी से लिखा जाता है कि यदि कमरे नहीं बनाये गये तो वहां से स्कूल हटा दिया जावेगा।

दूसरी बात मैं आपसे सड़कों के लिए अर्ज करता हूं। जो पी. डब्ल्यू. डी. के लिए आपने इसमें प्रावधान रखा है उसकी हालत यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो टोंक से उनियारा होती हुई, लाखेरी और टोंक से होती हुई माधोपुर की सड़क को प्रायेरिटी दी गई थी आज भी वह सड़क सिर्फ ६ मील बनी है और वह पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो गई है और उसमें प्रावधान किया गया था कि ८ लाख ६६ हजार रुपये का। जिसमें से खर्च हुए सिर्फ ३८ हजार और इस साल सिर्फ ५५ हजार का प्रावधान रखा गया है और बाकी के सात लाख रुपये न जाने कहां दूसरी जगह लगेंगे? इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि बजट बनाने में क्षेत्रीय भावना का ध्यान नहीं रखना चाहिए और यह नहीं रखना चाहिए कि अपने-अपने ही क्षेत्रों में तो काम करा लिया जावे और दूसरों के क्षेत्रों में कोई काम नहीं करवाया जावे; अपोजिशन के क्षेत्रों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया।

(श्री सरदारसिंह)

(श्री निरन्जननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, सभापति, पदासीन)

तीसरी बात मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि मेडीकल के मुताल्लिक भी मेरे क्षेत्र में कोई इसमें प्रावधान नहीं रखा गया है। मैं यह अर्ज करता हूँ कि १७ जून, १९५४ में सबसे पहले सीकर, खेतड़ी, उनियारा का रिजम्प्शन हुआ। उस समय मेडीकल की तमाम बिल्डिंग संभलाई गई; आज उसकी हालत यह हो गई है कि वे गिर रही हैं और वहां से अच्छी अच्छी चीजें भी दूसरी जगह भेज दी जाती हैं। जिस समय यह बिल्डिंग और दवाखाना संभलाये गए थे उस समय वहां एम. बी. बी. एस. डाक्टर्स थे और तीन तीन कम्पाउन्डर्स थे और मिड्वाइव्ज़ थीं। आज वहां की यह हालत हो गई है कि वहां एक ही कम्पाउन्डर है और वहां एक भी मिडवाइफ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर इस चौमासे में उसकी मरम्मत नहीं हुई तो दवाखाने की बिल्डिंग गिर जायगी और दवाखाना भी शायद हटाना पड़ेगा। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हर तहसील के हैडक्वार्टर में डिस्पेन्सरी खोली जायेगी। मैं आपको बताऊं कि दूनी तहसील है वहां कोई डिस्पेन्सरी नहीं है।

दूसरा, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप ने इस बजट के भाषण में भूदान का जिक्र किया है। तो इसकी जो स्थिति है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूदान में मैंने दो हजार बीघा जमीन का दान दिया है जिसके लिए माननीय चेयरमैनजी कहते हैं कि इसमें बनास की नहर आयेगी। आज वहां एक गांधी ग्राम बस रहा है। उसको बसाने में आज तीन चार साल हुए और माननीय वित्त मन्त्रीजी ने भी वहां का मुलाहिजा किया है। वहां के लिए लाख डेढ़ लाख रुपयों का कार्य किया गया बतलाया, लेकिन आप जाकर देखें तो सही कि वहां पर नई कोठी–मकान बने हैं, वहां पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हमने सरकार से प्रार्थना की और उसकी तहकीकात हुई और वहां का जो प्रबन्धक था उसके खिलाफ गबन साबित हो गया; मगर पता नहीं अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि वह कांग्रेस का आदमी था इसलिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है।

मैं अब दूसरी बात आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि जमीन का जो वितरण होता है वह भूमिहीनों में होता है। भूमिहीनों से मेरा मतलब है कि भूमिहीनों में सभी जाति के लोग आते हैं और वहां सिर्फ यह बात है कि एक ही जाति को जमीन दी जाती है। कम से कम इतना तो होना चाहिये कि जिस मनुष्य ने दान किया है, कम से कम भूमि–वितरण के समय में उसको भी तो बुला कर सलाह लेनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हम बजट के ऊपर बहस कर रहे हैं।

श्री सरदारसिंह : (जारी) बजट के अन्दर ही यह भूमि का जिक्र है। चाहे आप पढ़ लीजिये। बजट के अन्दर २६ करोड़ की माननीय वित्त मन्त्रीजी ने आमदनी और ३२ करोड़ का खर्चा बताया है। यानी तीन करोड़ रुपये का घाटा बजट में दिखाया गया है और बजट को देखने से मालूम होता है कि इस घाटे की पूर्ति करों द्वारा करना चाहते हैं। तो अपना राजस्थान जो स्टेट है वह माननीय मन्त्रीजी को मानना पड़ेगा कि राजस्थान में जनता पहले ही करों से ज्यादा दबी हुई है।

(श्री सरदारसिंह)

आप देखिए एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स, इन्कम टैक्स, सेलटैक्स और और भी दूसरे कई टैक्सेज़ आप लगा रहे हैं। एग्रीकल्चर से ३० लाख रुपया, एक्साइज़ ड्यूटी से १५ लाख रुपया और व्हीकल टैक्स से १० लाख रुपया इत्यादि की आमदनी सरकार ने टैक्सों द्वारा बताई है। तो प्रजा टैक्सों के बोझे से तो पहले ही मर रही है और फिर आप यह कहते हैं कि हम जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठा रहे हैं। आप कैसे ऊंचा इन लोगों को उठा सकते हैं ? इसलिये मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि बजट बनाते समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिये और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि माइनर इर्रीगेशन है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। हजारों तालाब टूटे पड़े हैं उनकी दुरुस्ती कराना चाहिए।

श्री गोकुलचन्द (लछमनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो सन् १९५६-५७ का बजट सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है वह एक बहुत बड़ा पोथा है। मैं इसको पूरे डिटेल में तो नहीं देख पाया हूँ, मुझे तो यह आश्चर्य है कि यह कितने दिन में तो छपा होगा। इसलिए मैं इस डिटेल्स में नहीं देख सका हूं लेकिन माननीय वित्तमन्त्री का बजट भाषण जो पढ़ने को मिला है उसमें इतना जरूर समझ में आया है कि कुछ रकम का जो घाटा बताया गया है उस रकम से लोगों को निराशा ही नहीं होनी चाहिये बल्कि संतोष होना चाहिये और वह इसलिए कि यह जो बजट है और जितनी रकम का घाटा इस बजट में बताया गया है वह संतुलित हो सकता था। क्योंकि प्रजातन्त्र सरकार कुछ कार्य करना चाहती है जनहित के लिए और उन कार्यों के करने के लिए और उन कार्यों के करने के लिए रकम का होना आवश्यक है और उसकी पूर्ति के के लिए जो कुछ टैक्स लगाये हैं या इस तरह का जो निश्चय किया है वह अनुचित नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो रकम इस तरह से टैक्सेज़ के जरिये वसूल की जाती है तो वह जनता की भलाई के लिये और जनहित के कार्यों में खर्च की जाती है। इसलिए हमको इस घाटे को देखकर निराशा नहीं होनी चाहिये। इसमें कोई शिकार-गाह नहीं बनने वाला है, इस तरह से महल नहीं बनने वाले हैं।

अब यह बजट में जो रकम रखी गई है उसका मैं थोड़ा सा, यह जो अनुसूचित जाति और समाज कल्याण विभाग के लिए रकम रखी गई है उसमें ५६ लाख रुपया कुल है जिसमें ३० लाख रुपया तो आवर्त्त है और ३६ लाख रुपया अनावर्त्त है। इसके लिए विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि एक तो यहां पर सरकार ने जो यह सूची बनाई है उसमें ४४ जाति तो शिड्यूल्ड कास्ट्स के बताये हैं और ६० जातियां बैकवर्ड क्लास में हैं। इस तरह से १०४ जातियें हैं और इसमें भील और आ जाते हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स में। इस तरह से १०५ जातियां होती हैं। सरकार इन पिछड़ी हुई जातियों के लिए कार्य करना चाहती है तो इस रकम में से रकम में से जब कि ३६ लाख अनावर्त है इसको इनके कार्यों में लगाया जाये। अब उस रकम में से मेरा यह सुझाव है कि जो बजट बनाया गया है उसमें तो मेरे ख्याल से कोई खास रद्दोबदल होना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ उलट-फेर हो सकती है। लेकिन उलट-फेर के लिए एक रकम मेरी समझ में

(श्री गोकुलचन्द)

आई है। जो प्रादेशिक इमारतों में सौ लाख रुपया अनावर्त्त में रखा गया है इसको समाज कल्याण के काम में खर्च किया जा सकता है और जो ३६ लाख रुपया अनावर्त में बताया गया है तो और भी उसमें से बचाकर २० लाख रुपयों से अधिक बढ़ाया जा सकता है। मैंने बताया कि जो इमारतों के लिए सौ लाख रुपया अनावर्त्त है, वह भी मैं समझता हूँ कि इमारतो की कमी नहीं है। तो यह रकम समाज–कल्याण विभाग में और अधिक कामों में काम ली जाय।

इस रकम को काम में लाने के लिये मेरे कुछ सुझाव ये हैं:—

यहां, अपने राजस्थान में, कुछ छात्रावास ऐसे हैं जिनसे हरिजन छात्रों को बहुत सुविधा मिलती है, जहां खाने-पीने और निवास की अच्छी व्यवस्था है। तो मेरा ख्याल है कि राजस्थान के हरेक जिले में हरिजनों के लिये छात्रावास होने चाहिये, जो कि इस समय नहीं हैं।

अगर किसी हाई स्कूल, जो तहसील का बड़ा हाई स्कूल है, वहां हरिजनों की छात्र-संख्या पर्याप्त हो तो वहां छात्रावास खोलना जरूरी है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बजट में जहां यह जिक्र किया गया है, पिछड़ी हुई जातियों को आगे बढ़ाने के लिये आदर्श ग्राम योजना बनायी गई है। जहां आदर्श ग्राम योजना की बात हो वहां कर्ज देने की बात भी साथ में होनी चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर कोई एक स्थान पर गांव बसाया जाय, उसके बजाय मौजूदा कठिन समस्यायें जो हमारे सामने हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसा कि अभी मेरे पूर्व श्री चतुर्वेदीजी ने बताया उसके अलावा मेरी समझ में दो प्रकार की मुसीबतें शहरों और गांवों में आती हैं। पिछली बार अलवर शहर में ५०० रुपये की एड (aid) दी गई ऐसे गरीब लोगों को जिनके छप्पर बरसात से गिर गये थे। उन छप्परों को हर साल इसी प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे गरीब लोगों के, जिनके छप्पर बरसात में गिर जाते हैं, उनको अगर इस प्रकार की सहायता दी जाय जिससे दुबारा उनके छप्परों के गिरने की नौबत न आये तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।

आग लगने पर शहरों में फायर ब्रिगेड से आग बुझाने के सुविधा है। आग लगने का समाचार मिलते ही फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिये पहुंच जाता है और जल्दी ही आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब गांवों में आग लग जाती है तो गांव वालों को उसमें बहुत बड़ी आहुति देनी पड़ती है, उन लोगों में बड़ी मुसीबत आती है। मैंने तो यहां तक देखा है कि कितने ही गांव ऐसे हैं जहां पर दो–तीन दफा आग लग चुकी है, कई बार वह गांव बरबाद हो चुका है। यह बात बड़ी खुशी की है कि हमारी सरकार ने ऐसे गांवों की सहायता के लिये कुछ रकम रखने की योजना बनायी है। कलेक्टर महोदय द्वारा ऐसे गांव वालों को सहायता भी दी गई है। इसके अलावा दानी लोग भी कपड़े से, अनाज आदि से सहायता देते हैं। लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि इस तरह की परिस्थितियों के लिये रकम का इन्तजाम करना चाहिये। एक बार

(श्री गोकुलचन्द)

जले हुए गांव दुबारा नहीं जल सकें, जैसा कि श्री चतुर्वेदी जी ने सुझाव दिया, उन लोगों के लिये ऐसे मकान बनवा दिये जायं जिसमें टीन का प्रयोग हो या कच्चे कोठे या पक्के मकान बना दिये जायं और उनमें सहायता के रूप में जो भी सरकार रकम देना चाहे उसके अलावा कुछ रकम कर्ज के रूप में देने की योजना हो तो उससे मकान पक्के बन सकते हैं और गांव वाले भी आग लगने की चिन्ता से मुक्त हो जायेंगे। वर्षा से गिरे हुए मकान और आग लगे हुए मकानों के लिये हमारा समाज कल्याण विभाग एक घर के पीछे ३५० रुपये की सहायता देता है ताकि उन लोगों को फिर से बसाया जा सके। मेरा यह सुझाव है कि ३५० के बजाय ५०० रुपया तो सहायता के रूप में दिया जाय और ५०० रुपयों का लोन भी दिया जाय। इतनी रकम से तो बहुत अच्छा मकान बन सकता है और हमेशा आग और वर्षा के डर से मुक्ति मिल सकती है।

एक, जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में जिक्र किया कि प्रशासन के पुनर्गठन के सिलसिले में, वेतन के सिलसिले में जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है, उसमें पांच रुपया अलाउन्स के रूप में प्रत्येक कर्मचारियों का बढ़ाया जा रहा है। मुझे ऐसा सुनने में आया है कि यह पांच रुपयों का भत्ता म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिये नहीं बढ़ाया जा रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह भत्ता म्युनिसिपल कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलना चाहिये ? मेरा कथन माननीय मंत्रीजी नहीं सुन रहे हैं। उनको मैं फिर से सुनाना चाहता हूं कि जो अलाउन्स बढ़ाने की बात इस बजट में है वह क्या म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं ? इस बारे में जरूर प्रकाश डालें।

एक जो मेरे दिमाग में नयी सूझ है वह यह कि इस तरह के लोग देखने में आते है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता; जैसे अनाथ विधवायें, अशक्त लोग, अपाहिज लोग जो इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, जिनके पास कमाने और खाने पीने का कोई जरिया नहीं, इस तरह के लोगों के लिये, उनके गुजारे के लिये कोई योजना बननी चाहिये ताकि एक जगह वे अपना गुजारा कर सकें।

इसके अलावा एक और सुझाव उपस्थित करना चाहता हूँ। वह यह कि अक्सर देखा गया है कि हमारे राजस्थान में बन्जर जमीन की बहुतायत है, बन्जर जमीन को इस प्रकार दी जाने की व्यवस्था हो; जैसे पांच वर्ष के पट्टे पर दी जाय तो सरकार के कोष में इकट्ठी रकम भी आ सकती है और भूमिहीन किसानों को बोने के लिये जमीन भी मिल सकती है। इस संबन्ध में एक बार सरकार द्वारा योजना बनी भी थी और फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के जमीन अलोट करने के बारे में आदेश भी हो चुके थे और तहसीलदार भी पहुंच गये थे, अलोटमेन्ट की योजना तैयार हो चुकी थी लेकिन जमीन किसी को नहीं दे पाये; वह निश्चय गवर्नमेन्ट ने क्यों बदल दिया ?

(श्री गोकुलचन्द)

रहने के मकानों की जमीन भी लोगों के पास बहुत कम है। गांवों और शहरों में निवास स्थान बनाने के लिये जमीन ऐसी निकाली जाय, जो मकान बनाने के इच्छुक हों उनको वह जमीन मिल सके इससे भी बहुत रकम इकट्ठी हो सकती है।

अस्पृश्यता निवारण के सिलसिले में भी मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस संबन्ध में ऐसे मामले हमारे सामने आये हैं, जैसे हरिजनों को कूओं पर चढ़ने देना, तालाब वगैरह से पानी न लेने देना। इस संबन्ध में आपस में झगड़े हो जाते हैं और यहां तक हुआ है कि इनका सामाजिक बहिष्कार तक किया गया है। एक जगह हरिजनों ने मुर्दा मवेशी उटाने से इन्कार कर दिया, इससे उस गांव के लोग नाराज हो गये। यह राजगढ़ तहसील के पाटण गांव का किस्सा है। उन हरिजनों पर सामुहिक हमला किया गया। इस संबन्ध में मुकदमा चल रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अस्पृश्यता-निवारण के लिये इस कानून को कार्यान्वित करने के लिये हमें केन्द्रीय सरकार का जो कानून है उसके लागू करने से काफी मदद मिल सकती है और पैसा भी मिल सकता है। जहां पर इस प्रकार के अत्याचार होते हों, भेदभाव बरता जाता हो वहां पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना किया जाय। जहां सामुहिक बहिष्कार किया गया हो वहां पर सामूहिक जुर्माना किया जाय। इस तरह से काफी रकम भी इकट्ठी हो सकती है।

सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उससे निराश तो होना ही नहीं चाहिये। साधन आय के जो हैं, उन्हें ठीक कहा जा सकता है। मैंने समाज कल्याण के लिये जो सुझाव दिये उन पर माननीय मंत्री ध्यान देंगे और इस संबन्ध में जितनी भी कार्यवाही कर सकें, करने की कृपा करेंगे।

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट जो बनाया गया है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा।

लालसोट तहसील में राउवास ग्राम है जहां पर एक बन्ध बनाया गया है, जिस पर करीब ५ लाख ३२ हजार रुपये व्यय हुए किन्तु पांच पैसे की भी आमदनी नहीं हुई। बन्ध जो बनाया गया है वह जमीन से बहुत नीचा है और जमीन बहुत ऊपर है और १५०० बीघा जमीन भी बेकार गई है जिसमें लाखों मन अनाज पैदा होता था। गड्ढे पानी से भर गये हैं, उसमें एक हजार मवेशी डूब कर मर गये हैं। इसके अलावा बन्ध भी फूट गया है, उसको फिर से बनाने के लिये तीन लाख रुपया खर्च होगा। इसलिये इस बंध को ठीक नहीं किया जाय।

जितने भी पंचायत बोर्ड हैं उनके पैसों की जांच होनी चाहिये इससे न जनता को फायदा हुआ है न सरकार को। रामगढ़ पंचायत बोर्ड के अन्दर लालटेन लगाने के लिये हरिनारायण त्रिपाठी को २०० रुपये दिये गये थे लेकिन आज तक एक भी लालटेन नहीं लगी। इसी प्रकार ५००-६०० रुपया चेयरमेन, हरे वृक्ष कटवाकर, बेचकर काम में ले रहा है, बोर्ड के काम आ रहा है। रामगढ़ स्कूल भवन निर्माण के लिये चेयरमेन साहब को रुपये मिले थे, वह स्कूल भी अभी तक नहीं बना।

इसके अलावा मंडावरी में पंचायत के सरपंच हैं उनको स्कूल-बिल्डिंग के लिये रकम

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

दी गई थी फिर भी बिल्डिंग नहीं बन पाई है।

इसके अलावा जो लालसोट के अन्दर सड़कें बनाई गई हैं उनकी अगर सरकार जांच करे तो पता लगेगा कि उनकी क्या हालत है, आप एक जोर से ठोकर मारेंगे तो कंकड़ उखड़ आवेंगे। पर गवर्नमेन्ट की यह मशीनरी किसी बात की जांच नहीं करती, इसलिये उनकी जांच होनी भी आवश्यक है। अगर इनकी ठीक देख-भाल हो और काम ठीक हो तो सरकार को यह जो लाखों रुपयों का घाटा होता है वह नहीं हो।

तकावी अच्छी चीज है। इससे किसानों को फायदा होता है। किसान तकावी के लिये आते हैं तो तहसीलदार मूर्ति बना बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता। उसको कोई देख-भाल सरकार की ओर से नहीं। किसान परेशान होते हैं और तकावी का जो फायदा मिलना चाहिये नहीं मिलता। बरसात में तकावी मिलने पर क्या काम हो सकता है ?

इसी तरह नाजिम साहिब ऐसे हैं जो कुछ काम नहीं करते। लोगों के केस पड़े रहते हैं और हैरान होते हैं पर सरकार की ओर से उनकी जांच करने वाला कोई नहीं। जो अफसर हैं वे जनता की मांगें पूरी नहीं करते, उनका शोषण ही करते हैं। तो ऐसे जो अफसर हैं उनको क्यों नहीं यह सरकार पृथक कर देती है। इसलिये कभी-कभी आप लोग दौरे पर जावें और यह सब चीजें देखें तो जनता का फायदा हो सकता है और सरकार का भी। जब आप दौरे पर आवेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि कितनी गबन की बातें इनके यहां होती हैं और क्या क्या गड़बड़ियां ये लोग करते हैं, अभी नहीं बता सकता।

आज समाज कल्याण की संस्था खुली है, बिजली का काम चालू किया गया है, लालसोट और मण्डावर तक लाइन पड़ी है, तार लगाने बाकी हैं पर आज दो-तीन साल होने आये वह नहीं लग रहे हैं। आज १५०० रुपये महीना पाने वाले अफसरान गंगापुर में तीन साल से बैठे हैं और बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, पर उधर कोई देखने-भालने वाला नहीं है, सरकार कोई ख्याल नहीं करती कि इस तरह उसका कितना नुकसान हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : हम इस समय बजट पर बहस कर रहे हैं।

श्री प्रभुलाल : बजट पर ही तो मैं कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : शिकायतें ही तो आप कर रहे हैं।

श्री अर्जुनदास : He is to waste the time upto 5 o'clock and not there-after.

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह नहीं कह सकता।

श्री प्रभुलाल : (जारी) तो मैं कह रहा था कि १५००) रुपये पाने वाला आदमी गंगापुर में बिना काम बैठा है आज तीन साल से, हराम की तनख्वाह ले रहा है। तो यह कितना नुकसान सरकार का होता है ! सरकार ख्याल करे। अगर पूरा-पूरा ख्याल सरकार करे तो ऐसी बीसों-सैंकड़ों बातें उसके ध्यान में आएं और यह जो घाटा आज हो रहा है सरकारको वह पूरा हो सकता है। अगर जांच वगैरह पूरी तरह से होवे तो भी घाटे की कमी नहीं

(श्री प्रभुलाल)

हो सकती क्योंकि जितने भी काम कराये जाते हैं कांग्रेसमैन को देकर कराये जाते हैं, जो कि पैसा खाकर काम करते हैं। इतना ही कहकर मैं बैठता हूं।

(श्री शीशराम के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य खड़े हुए हैं। आप बोलेंगे ?

(श्री शीशराम द्वारा बाहर जाने के उपक्रम पर हंसी)

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय अब आज जो भी बोलेगा अधूरा ही रहेगा। समय पांच मिनिट ही बाकी रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों अधूरा रखते हैं ? कल से ही आरम्भ कीजिए।

जन-लेखा व प्राक्कलन समितियों की सदस्यता से नाम वापिस लेने सम्बन्धी

Some announcements :--A list of the candidates who have withdrawn their candidatures from the Pul lic Accounts Committee :--

Shri Jwala Prasad

From Estimates Committee--(1) Shri Bhogilal Pandya, (2) Smt. Sumitra, and (3) Shri Girdhari lal.

The Hon'ble member can continue tc-morrow, if rct finished to-day. Anybody to Volunteer himself.

श्री भैरोंसिंह : मुझे दे दें थोड़ा समय तो...

श्री उपाध्यक्ष : Not Audible to me.

श्री भैरोंसिंह : बाकी का समय जो दस मिनट का है मुझे दे दिया जावे, मैं बोल लूंगा। कोई बोलने को तैयार नहीं है तो।

श्री उपाध्यक्ष : It will go very hard for you to complete.

श्री भैरोंसिंह : मैं कर लूंगा पांच मिनिट में।

श्री उपाध्यक्ष : You must have at least one hour.

श्री भैरोंसिंह : पांच मिनिट का जो मौका देंगे उसका निश्चित रूप से फायदा उठाऊंगा, करूं साहब शुरू ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पांच मिनिट बाकी हैं। वैसे तो मैं पहले बोल चुका था लेकिन इस समय कोई बोलने वाला नहीं है और माननीय उपाध्यक्ष ने जो कृपा की है मैं उसका फायदा उठाते हुए इस सदन में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : It is not applicable to him who has spoken.

श्री भैरोंसिंह : पर इस समय तो कोई बोल नहीं रहा है। सदन का समय बेकार जायगा, इसलिये उपयोग करना अच्छा ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष : I am looking to the list submitted to me, and I may request some Hon'b le member to speak. (सूची देखने के पश्चात्) श्री तनसिंह।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री तानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो बजट आज हमारे सामने पेश हुआ है वह एक ऐसे मन्त्री महोदय द्वारा पेश हुआ है जो वहां से आये हैं जो हमेशा से घाटे का इलाका रहा है; एक ऐसा इलाका कि जिसकी आमदनी हमेशा खर्च से कम ही रही है और उस आमदनी को पूरा करने के लिये आश्रय लेना पड़ा हमेशा ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट का। यहां आकर उन्होंने अपनी कारगुजारियां बतानी अवश्य चाहीं और इसलिये आज राजस्थान में घाटे के बजट को चलते चलते यह तीसरा मौका है। पर उनसे कहीं अधिक इस बार घाटा हमें नजर आया। लेकिन उनका अभी भी यदि ख्याल यह हो कि यह सारा का सारा घाटा सेन्ट्रल गवर्नमेंट पूरा कर देती है तब तो हम इस घाटे के बजट की बड़ी ही अगवानी करते, उसका स्वागत करते। पर ऐसा नहीं है। इसको पूरा करने का सारा जिम्मा इस बार भी सारे का सारा हमारे सिर पर डाला गया है।

मैं मानता हूं कि किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिये घाटे का बजट होना ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह घाटा इस रूप में हो कि वह सारी की सारी हमारी वित्तीय व्यवस्था को ही बिगाड़ दे। इसका अभिप्राय यह है कि जितनी आमदनी हो उतना ही खर्च हो अर्थात् बचाकर कुछ नहीं रक्खा जावे, लेकिन यहां हिसाब कुछ दूसरा ही है। वह यह है कि घाटा इतना अधिक है कि जिसके कारण जो परिणाम हमारे सामने आवेगा वह हमसे छिपा नहीं है। यह हो सकता है कि थोड़ा-बहुत घाटा पूरा किया जा सकता है, पर करोड़ों का घाटा नहीं।

अब आज यह कहा जा सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, (घड़ी की ओर देखकर) समय हो गया है। आप चाहें तो कल के लिये रक्खूं।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member will continue. We adjourn for to-morrow at 11 o'clock.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही आज मध्यान्होत्तर ५ बजे कल दिनांक १० मई ५७ को प्रातः ११ बजे म. पू. तक के लिये स्थगित हुई)।

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, ६ मई, १९५७)

स्तम्भ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर १३१२

गम्भीर नदी द्वारा रूपवास तहसील में कृषि योग्य की जाने वाली भूमि।

नगरपालिकाओं के अवधि-काल में वृद्धि।

रामपुरा से डावडी डूंगरी तक सड़क बनाने की योजना।

उद्योगों हेतु राजस्थान में विद्युत दरें।

ठिकाना पानरवा (जिला उदयपुर) के जंगल का ठेका

झोटवाड़ा से कालवाड़ तक सड़क निर्माण

भूतपूर्व धौलपुर राज्य में सिंचाई की दरें

पंचायत व स्वायत्त शासन विभागों का एकीकरण।

बंध के दरवाजे के समीप से जयसिंहपुरा (त० जयपुर) की सड़क का श्रमदान से निर्माण।

पॉवर हाउस धौलपुर की उत्पादन शक्ति में न्यूनता।

पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत को पत्र इत्यादि क्रय करने के आदेश।

बयाना रूडावास सड़क को पूर्ण करना

डीडवाना नगरपालिका के मनोनीत सदस्य।

वाटर बोर्ड की ओर से ग्राम सुरैली (तहसील उनियारा) में कूआ खुदवाना।

भरतपुर नगरपालिका के हिसाब का १९५६-५७ में ऑडिटिंग।

छीपाबड़ोद के लिए नगरपालिका की मांग।

सिपाही से थानेदार तक की वरिष्ठता नियतन।

कोटा डिस्ट्रिक्ट में खोले गये विकास खण्ड

सवाई मानसिंह होस्पिटल की एक्सरे मशीन व लिफ्ट की मरम्मत।

बरेठा (त० बयाना) सड़क को धौलपुर से मिलाना।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कर्मचारियों की वरिष्ठता एवं उन्हें राज्य सेवक मानने सम्बन्धी

ग्राम व तहसील पंचायतों को शासकीय अर्थ सहायता

कार्य परामर्श दात्री समिति १३६९

इसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा ५ सदस्य मनोनीत करने की घोषणा की गई।

जनलेखा व प्राक्कलन समितियों के निर्वाचनके सम्बन्ध में कार्य-परामर्श दात्री समिति १३७०

जन-लेखा समिति के लिए १३ व प्राक्कलन समिति के लिये २० नामजद उम्मीदवारों के नाम अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़े गये। इनमें से जन लेखा-समिति से १ व प्राक्कलन समिति से ३ सदस्यों ने अपने नाम वापिस लेने की सदन को सूचना दी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

१३७२ आय-व्ययक १९५७-५८ पर आज सामान्य वाद-विवाद आरम्भ हुआ जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

श्री नरेन्द्रसिंह
श्री मुरलीधर व्यास
श्री रामेश्वरदयाल
श्री पी० के० चौधरी
श्री दयाकृष्ण
श्री मनोहर कोठारी
श्री मुक्तिलाल मोदी
श्री पुरुषोत्तमलाल
श्री मूलचन्द डागा
श्री रामनारायण
श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)
श्री तेजपाल
श्री भैरवलाल कालाबादल
श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
रावराजा श्री सरदारसिंह
श्री गोकुलचन्द
श्री प्रभुलाल पुरोहित
श्री तनसिंह (अपूर्ण भाषण)

शुक्रवार, दिनांक १० मई, १९५७ की कार्य सूची

आय-व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ७५ का उत्तर देखिये)

तालिका 'अ'

क्रम संख्या	नाम नगरपालिका	अवधि समाप्ति की तिथि	अवधि बढ़ोतरी का समय	समय महीनों व व दिनों में महीने	दिन	अवधि बढ़ाने के संबंध में सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति की तारीख	वृद्धि का कारण
१	२	३	४	५		६	७
१.	किशनगढ़	६-२-५७	३०-६-५७	४	२३	१०-२-५७	अवधि समाप्त होने से चुनाव समय पर नहीं हो सके
२.	चौमू	१७-११-५५	३१-७-५६ ३१-१०-५६ व नये बोर्ड के कार्य भार संभालने तक	१३	२३	१२-४-५६ २५-६-५६ ३-१२-५६	
३.	दौसा	२५-६-५४	३०-६-५५ ३१-१०-५५ २६-२-५६ ३०-११-५६ व नये बोर्ड के कार्य भार संभालने तक	२५	२७	१०-२-५५ ११-७-५५ १७-१०-५६ ७-११-५६ २६-१२-५६	चुनाव समय पर न होने तथा चुने हुए सदस्यों के नाम समय पर प्रकाशित न होने से
४.	नरायना	१०-५-५६	३१-१०-५६ ३१-१२-५६	७	२१	२६-५-५६ २४-११-५६	चुनाव समय पर न होने से
५.	फुलेर.	३१-५-५६	नये बोर्ड के	१	२७	१७-८-५६	चुनाव समय पर न होने से

१	२	३	४ कार्य भार संभालने तक	५		६	७
६.	बैराठ	१८-६-५६	३१-१०-५६ ३०-४-५७	१०	१२	१८-९-५६ ८-११-५६	चुनाव समय पर न होने से
७.	चाकसू	२७-२-५७	३१-५-५७	३	१	१२-२-५७	आम चुनावों की वजह से
८.	पोकरण	३१-७-५५	३१-१२-५५ ४-७-५६	११	४	९-४-५५ ५ व १२-११-५६	चुनाव समय पर न हो सकने के कारण
९.	निम्बाहेडा	२४-१०-५६	३०-४-५७ ३१-७-५७	६	८	५-११-५६ २६-४-५७	चुनाव समय पर न हो सकने के कारण
१०.	छोटी सादड़ी	१४-११-५५	३१-७-५६ २४-१०-५६	११	९	२३-१२-५५ १२-११-५६	चुनाव समय पर न होने के कारण
११.	बांदीकुई	२०-८-५६	३१-१०-५६ ३०-४-५७	८	११	१५-९-५६ ३०-११-५६	चुनाव याचिका पेश होने से नया बोर्ड कार्यभार न संभाल सका है
१२.	लछमणगढ़	२०-७-५६	३१-१२-५६	५	११	२७-११-५६	चुनाव समय पर न होने से
१३.	झुंझुनूं	२०-९-५४	२०-३-५५ ३०-११-५५ ३१-३-५६ ३०-६-५६ ३०-९-५६ ३१-१२-५६ ३१-३-५७	३०	१०	२४-११-५४ ६-६-५५ २४-११-५५ २०-३-५६ ७-७-५६ १९-९-५६ १-२-५७	चुनाव समय पर न होने से व चुने हुए सदस्यों के नाम के नाम राजपत्र में प्रकाकाशित न होने से ।

१	२	३	४	५		६	७
१४.	नवलगढ़	२४-८-५६	३०-४-५७	११	७	७-१२-५६	चुनाव समय पर न होने से
			३१-७-५७			१६-३-५७	
१५.	खेतड़ी	२८-१-५७	३०-४-५७	३	३	८-११-५६	आम चुनावों के कारण
१६.	गंगापुर						
	जिला सवाई माधोपुर	३१-३-५६	३१-८-५६	८	०	१२-३-५६	चुनाव समय पर होने से
			३०-११-५६			१५-६-५६	
१७.	करौली	६-५-५६	३१-१-५७	१५	२२	३-८-५६	चुनाव समय पर न होने से
			३०-४-५७			१०-१०-५६	तथा आम चुनावों के कारण
			३१-८-५७			८-४-५७	
१८.	टोंक	१-२-५७	३०-४-५७	६	०	१०-१०-५७	,,
			३१-७-५७			१५-४-५७	
१९.	अलवर	३-१-५७	३०-४-५७	३	२६	१५-६-५६	,,
२०.	तिजारा	२०-४-५६	२०-१२-५६	१४	१०	२१-४-५६	,,
			३०-४-५७			५-११-५६	
			३०-६-५७			११-३-५७	,,
२१.	राजगढ़ (अलवर)	२६-४-५६	३१-३-५७	१३	५	२६-७-५६	,,
			३१-५-५७			१६-२-५७	
२२.	खेडली	१०-१०-५६	३०-४-५७	६	२०	७-११-५६	,,
२३.	धौलपुर	३१-८-५६	३०-४-५७	८	०	३१-८-५६	,,
२४.	बयाना	२५-१०-५६	३०-४-५७	६	५	१०-११-५६	,,
			३१-७-५७			१०-४-५७	

१	२	३	४	५		६	७
२५.	कुम्भेर	१७-१२-५५	३१-७-५६	७	१३	१०-२-५६	,,
२६.	वेयर	२६-१०-५६	३०-४-५७	६	१	१६-६-५६	आम चुनावों की वजह से
२७.	भुसावर	३१-१०-५६	३०-४-५७	६	०	२४-१२-५६ २८	,,
२८.	बाड़ी	१६-३-५७	३०-४-५७	१	१४	१०-११-५६	,,
२९.	गंगाशहर	४-१-५६	३१-५-५६ १५-७-५६ व नये बोर्ड के कार्य भार सम्भालने तक	—	—	२३-१-५६ ६-६-५६ १७-७-५६	चुनाव समय पर न होने से
३०.	नापासर	४-६-५६	३०-४-५७	७	२६	५-११-५६	आम चुनावों की वजह से
३१.	भीनासर	१०-७-५६	१-६-५६ ३०-११-५६ व नये मंडल के कार्य सम्भालने तक	— ३	— २०	१४-६-५६ ५-११-५६ २०-१२-५६	चुनाव समय पर न होने के कारण
३२.	चूरू	६-१२-५५	३१-५-५६ १५-७-५६ १५-१०-५६	१०	१६	११-१-५६ २०-६-५६ २६-७-५६	,,
३३.	रतनगढ़	२७-१०-५५	१५-८-५६ ३०-११-५६ ३१-१२-५६	१४	४	२१-२-५६ ८-११-५६ २२-१२-५६	,,
३४.	बीकानेर राजगढ़	२७-१२-५५	३१-७-५६ ३०-६-५६ ३०-४-५७	१६	५	२-१०-५६ २४-८-५६ २५-६-५६	,,

१	२	३	४	५		६	७
३५.	सुजानगढ़	३१-७-५५	१५-१२-५५	१३	०	२७-७-५५	चुनाव समय पर न हो सकने के कारण
			१५-३-५५			२२-१२-५५	,,
			१५-४-५६			२०-३-५६	,,
			२८-८-५६			३०-११-५६	,,
३६.	सरदार शहर	४-३-५६	३०-६-५६	१३	२७	२-४-५६	,,
			३०-४-५७			३०-६-५६	,,
३७.	तारानगर	१४-७-५६	नये बोर्ड के कार्य भार संभालने तक	६	२	११-१-५७	,,
३८.	छापर	१८-१०-५६	३०-६-५६ व	—	—	२२-१-५६	,,
			नये बोर्ड के कार्य भार संभालने तक			२१-६-५६	,,
३९.	बीदासर	२३-७-५६	३०-४-५७	६	८	१५-६-५६	आम चुनावों की वजह से
४०.	सूरतगढ़	११-२-५६	३१-८-५६	१०	१०	२६-४-५६	,,
			३१-१०-५६			२१-६-५६	,,
			३०-४-५७			३०-११-५६	,,
४१.	सांगरिया	६-२-५७	३०-४-५७	२	१६	१०-१०-५६	चुनाव समय पर न होने की वजह से तथा आम चुनावों के कारण
४२.	फलोदी	२७-८-५६	३०-११-५६	८	४	३१-३-५६	
			३०-४-५७			२१-६-५६	
४३.	मेड़ता	२१-२-५६	२२-८-५६	१४	७	३१-३-५६	,,
			३०-४-५७			२१-६-५६	
४४.	बालो	२७-१२-५५	१५-११-५६	१२	२८	५-११-५६	,,

१	२	३	४	५		६	७
			नये बोर्ड के कार्य सम्भालने तक (२५-३-५७)			२६-११-५६	
४५.	सोजत	२०-४-५६	१५-१०-५६	५	२५	१७-४-५६	,,
४६.	कपासन	२४-१०-५६	३०-४-५७	६	७	५-११-५६	,,
४७.	भीनमाल	७-७-५२	३१-८-५६	६	१८	५-५-५६	,,
			३०-११-५६			८-११-५६	
			६-१-५७			२४-१-५७	
४८.	बाडमेर	७-५-५६	१५-८-५६	६	२४	१२-५-५६	,,
			३१-१०-५६			१५-६-५६	
			३०-११-५६			२७-११-५६	
४९.	सिरोही	२६-४-५६	३१-१०-५६	७	४	२१-३-५६	,,
			३०-११-५६			५-११-५६	
५०.	शिवगंज	१५-२-५६	३१-८-५६	१४	१३	२०-४-५६	,,
			३१-१२-५६			३-८-५६	
			३० ४-५७			६-११-५६	
						१६	
५१.	पिंडवाडा	४-६-५६	३१-३-५७	६	२६	६-६-५७	,,
			३०-६-५७			१०-११-५६	
५२.	डूंगरपुर	२१-५-५६	३१-१२-५६	११	१०	२६-७-५६	,,
			३०-४-५७			५-११–५६	

	२१	३	४	५		६	७
५३.	सागवाड़ा	२०-५-५६	३१-१२-५६	११	११	२६-७-५६	चुनाव समय पर न होने से
			३०-४-५७			५-११-५६	तथा ग्राम चुनावों के कारण
५४.	नलियाकोट	३१-५-५६	३१-८-५६	१२	०	१७-५-५६	,,
			३१-१२-५६			१७-७-५६	
			३१-५-५७			५-११-५६	
५५.	प्रतापगढ	२४-१०-५६	३०-४-५७	६	७	२०/२६-१०-५६	,,
५६.	शाहपुरा	२३-३-५६	३१-५-५६	४	२१	१६-११-५६	,,
			३१-७-५६			३०-५-५६	
			१४-८-५६			१४-६-५६	
५७.	कुशलगढ़	२०-१०-५५	३१-५-५६	१३	११	२५-१-५६	,,
			३१-७-५६			२२-५-५६	
			३०-११-५६			८/२०-११-५६	
५८.	बारां	३१-३-५६	३०-६-५७	१५	०	१३-११-५६	,,
५९.	केशोरायपाटन	६-१०-५६	२०-६-५७	८	२४	६-१२-५६	,,
६०.	झालावाड़	२६-११-५६	३०-४-५७	५	५	१०/१७-११-५६	,,
६१.	पिंडावा	३१-३-५६	१५-६-५६	७	१५	२६-५-५६	,,
			१५-११-५६			८-११-५६	

परिशिष्ट

तालिका 'ब'

क्रम सं०	नाम नगरपालिका	मनोनीत सदस्यों के नाम	सरकार द्वारा मनोनीत के सम्बन्ध में जारी की गई विज्ञप्ति की ता०
१	२	३	४
१.	चौमू	श्री रूपनारायण	
		श्रीमती गुलाबदेवी	५-११-५६
२.	दौसा	श्रीमती विमलादेवी	
		श्री जगन्नाथ बलाई	४-१०-५६
३.	नरायणा	श्रीमती रामदेवी	
		श्री बिरधा रेगर	१०-१०-५६
४.	फुलेरा	श्रीमती रामकुमारी चौहान	
		श्री जीवाराम	२६-६-५६
५.	बैराट	श्रीमती भगवतीदेवी	
		श्री मक्खनलाल हरिजन	१८-१-५४
६.	चाकसू	श्रीमती सूजादेवी	२२-१०-५६
		श्री कल्याण मास्टर	२६-१-५४
७.	पोकरण	श्रीमती कान्तादेवी	
		श्री कृपाराम	२८-१-५६
८.	निम्बाहेडा	श्रीमती कृष्णाकुमारी	
		श्री कृष्ण चमार	५-१-५४
९.	छोटी सादड़ी	श्रीमती पार्वतीदेवी	
		श्री नानालाल रेगर	२१-६-५६
१०.	बान्दीकुई	श्रीमती सीतारानी माथुर	१६-४-५५
		श्री छुट्टनलाल चमार	२७-१-५४
११.	लछमणगढ	श्रीमती पुष्पादेवी	
		श्री सूरजमल	५-११-५६
१२.	झुंझुनू	श्रीमती विमलादेवी	
		श्री नौरंगराम	७-६-५६
१३.	नवलगढ़	श्रीमती सत्यदेवी	
		श्री लालाराम	३-१२-५३
१४.	खेतड़ी	श्रीमती ताराबाई	
		श्री रामदयाल	२३-६-५४
१५.	गंगापुर	श्रीमती रतनदेवी	
		श्री तेज्या रेगर	४-८-५६

१	२	३	४
१६.	करौली	श्रीमती सावित्रीदेवी	२४–४–५७
		(स्थान रिक्त)	
१७.	टोंक	श्री सूवालाल	
		श्रीमती बिरजीबाई	५–४–५४
१८.	तिजारा	श्रीमती शकुन्तलादेवी	
		श्री गुलाब हरिजन	४–६–५३
१६.	खेडली	श्रीमती लज्जावतीदेवी	
		श्री कुन्दनलाल	१–१–५४
२०.	बैर	श्रीमती सावित्रीदेवी	
		श्री जगन जाटव	१७–२–५४
२१.	भुसावर	श्रीमती प्रीतम प्यारी	
		श्री गरीबा जाटव	१७–२–५४
२२.	बाडी	श्रीमती रामदेई	
		श्री प्यारेलाल हरिजन	२३–६–५४
२३.	गंगाशहर	श्रीमती सावित्रीदेवी	
		श्री हरखाराम	१६–५–५६
२४.	नापासर	श्रीमती प्रभातीदेवी	
		श्री मुल्तानचन्द	४–६–५३
२५.	भीनासर	श्रीमती खुरानी	
		श्री पन्नाराम	२५–६–५६
२६.	चुरू	श्रीमती आनन्दीदेवी	
		श्री महादेव चमार	१५–५–५६
२७.	रतनगढ़	श्रीमती कृष्णादेवी	
		श्री पन्नालाल	३१–७–५६
२८.	राजगढ़	श्री मंगलाराम नायक	१२–२–५७
		श्रीमती पारवतीदेवी शर्मा	१६–२–५३
२६.	सुजानगढ	कुमारी शान्तिदेवी	
		श्री रामजीवन रेगर	२४–२–५६
३०.	तारानगर	श्रीमती मोहनीदेवी	
		श्री पन्नालाल	२४–११–५६
३१.	छापर	श्री शान्ताकुमारी	
		श्री दानिया	१५–६–५६
३२.	बीदासर	श्रीमती जमनीदेवी	
		श्री तारा रेगर	१२–८–५३

१	२	३	४
३३.	सूरतगढ़	श्रीमती सावित्रीदेवी	
		श्री सुन्दरराम	१०-११-५६
३४.	सांगरिया	श्रीमती परमेश्वरीदेवी	
		श्री गुलजारीलाल	१६-१२-५३
३५.	फलौदी	श्रीमती मोहिनीदेवी	
		श्री पोकरदास	१०-११-५६
३६.	मेड़ता	श्रीमती सिरेकंवर	
		श्री रामकरण	१८-३-५३
३७.	बाली	श्री जसीबेन मणिबाई जैन	
		श्री फूलचन्द	२६-८-५६
३८.	सोजत	श्री गेलाराम	
		श्रीमती केसर	२३-१-५७
३९.	कपासिन	श्रीमती उषादेवी गर्ग	
		श्री हरिदास भावी	७-२-५४
४०.	भीनमाल	श्रीमती पूसीबाई	
		श्री बिरधा	१०-११-५६
४१.	बाडमेर	श्रीमती रुकमणीदेवी	१६-२-५७
		श्री हरिराम	२८-६-५६
४२.	सिरोही	श्रीमती कुसमबेन	
		श्री समरथमल	२५-६-५६
४३.	शिवगंज	श्रीमती मगनीबाई	
		श्री हुक्मा	५-६-५३
४४.	पिंडवाडा	श्री भीलाबुदा चमार	
		स्थान रिक्त	८-७-५४
४५.	डूंगरपुर	श्री किशनलाल	
		श्रीमती जयन्तीदेवी	१४-७-५३
४६.	सागवाडा	श्रीमती सावित्रीदेवी	
		श्री श्रीपदजी	१४-७-५३
४७.	गलियाकोट	श्रीमती कंबरीबाई	
		श्री कंबराजी	१४-७-५३
४८.	प्रतापगढ़	श्रीमती प्रेमाबाई	
		श्री चुन्नीलाल	३०-५-५६
४९.	शाहपुरा	श्री उर्मिलादेवी	
		श्री सूवा	३०-५-५६

१	२	३	४
५०.	कुशलगढ़	श्रीमती पूर्णिमादेवी	
		श्री देवा भील	३०-६-५६
५१.	केशोरायपाटन	श्रीमती कस्तूरीबाई	
		श्री कल्याण लाल	१७-१२-५३
५२.	झालावाड़	श्रीमती दयावती	
		श्री राम दर्जी	१७-२-४४
५३.	पिडावा	श्रीमती नवीसर्	
		श्री श्रीरामा	३-५-५६

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ६ मई, १९५७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३१८	११	श्री श्रीमानसिंह	७४. श्री श्रीमानसिंह
१३१८	प्रथम पंक्ति के नीचे	श्री हरिशंकर सिद्धांत-शास्त्री : क्या	श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : आवाज सुनाई नहीं दी। श्री नाथूराम मिर्धा (क) नहीं। (ख) प्रश्न् ही नहीं उठता। (ग) पर्याप्त धन के अभाव में। श्री हरिशंकर सिद्धांत-शास्त्री : क्या
१३२४-२५	१	-६ मई, ५ -	-६ मई, ५७-
१३२५	१०	श्री हरिशंकर सद्धांत ास्त्री	श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री
१३३३	२६	श्री भैरोंसिंह : once more.	श्री भैरोंसिंह : Once more
१३३६	१६	वे उपयोगी समझा जावें	वे उपयोगी समझे जावें
१३३८	१२	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
१३४४	३२	श्री नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
१३४६	१३	श्री बदीप्रसाद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
१३५०-५१	१	- मई, १९५७	- ६ मई, १९५७ -
१३५१	२१	हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री	श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री
१३५६	११	श्री मुक्तीलाल मोदी	श्री मुक्तिलाल मोदी
१३७०	२६	कलन समिति	प्राक्कलन समिति
१३७५	३१	होता है वह uncalcwlable	होता है वह uncalculable
१४६१	२९-३०	"शुभैषी हरिभाऊ	शुभैषी हरिभाऊ"
१४८४	१६	२० प्रतिशत तैयार हो जाता है	२० प्रतिशत लैप्स हो जाता है।
१५०२	३-४	(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, सभापति, पदासीन	(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)
१५१४	१	आय-व्ययक वाद-विवावाद	आय-व्ययक वाद-विवाद
१५१५	१	समितियों से नाम वापिस	समितियों से नाम वापिस